

राजस्थान का सामाजिक जीवन

लेखक :

जगदीशसिंह गहलोत

एम. बार. ए. एम., एफ. बार. बी. एस. (सन्दर्भ)

भूतपूर्व प्रधीक्षक, पुरातत्व एव संप्रहालय विभाग
बीकानेर व जोधपुर खण्ड, जोधपुर

सम्पादक :

देखेन्द्रसिंह गहलोत एम. ए.

भूमिका लेखक :

सुखबीरसिंह गहलोत

एम. ए., एल. एल. बी.,

यूनिक ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर ..

प्रकाशक :

हिन्दी साहित्य मन्दिर,
जोधपुर

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन है।

मूल्य :

25 00 रुपये

मुद्रक :

विजय प्रिण्टर्स,
जोधपुर (राज.)

राजस्थान का सामाजिक जीवन

विषय - सूची

क्र स	विषय	पृ स
1	सम्पादकीय	व
2	भूमिका	ड
3	सामान्य परिचय	1
4	ऐतिहासिक महत्व	3
5	प्राचीन राजस्थान	6
6	राजस्थान का वर्तमान स्प	8
7	निवासी	9
8	अद्यूत जातिया	21
9	नरेश	25
10	मामन्त	28
11	राज रमंचारी	32
12	किसान	33
13	धर्म	41
14	शिक्षा	54
15	भाषा	60
16	लिपि	65
17	साहित्य	66
18	कला	70
19	स्थापत्य	70
20	चित्रकारी	71
21	सगीत	71
22	नृत्य	72
23	नाट्य	72
24	हस्तकला	73
25	रीति रिवाज	74
26	खानपान	77

क्र सं.	विषय	पृ. सं.
27.	पोशाक	79
28.	नामकरण सम्बन्धी	80
29.	मेले	82
30.	त्यौहार	82
31.	स्त्रियों की दशा	85
32.	अन्धविश्वास एवं जादू टोने	88
33.	पेशे	92
34.	उद्योग	93
35.	ब्यापार	94
36.	परिवहन	96
37.	भूमि और पैदावार	98
38.	सिचाई	99
39.	मालगुजारी व भूमि अधिकार	100
40.	लाग वाग	103
41.	अकाल	108
42.	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा	114
43.	बेगार	116
44.	दास प्रथा	119
45.	उपसहार	121
46.	चित्र	77

सम्पादकीय निवेदन

मेरे पितामह इतिहासवेत्ता स्वर्गीय श्री जगदीशसिंहजी गहलोत के 'राजस्थान का सामाजिक जीवन' विषय सम्बन्धी लेख सन् 1929 की फ़रवरी व जुलाई के बीच दिल्ली के 'महारथी' मासिक मे छपे थे। इसके बाद उन्होंने 'राजपूताना का इतिहास' के प्रथम भाग के प्रारम्भ में राजस्थान के सामाजिक जीवन पर काफी लिखा। यह ग्रन्थ सन् 1937 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने और भी लेख इस विषय पर लिखे। उन्हीं को आधार बनाकर यथामाध्य सशोधन कर तथा टिप्पणियाँ देकर उन्हें पुस्तक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

इस पुस्तक के सम्पादन और प्रकाशन की प्रेरणा मेरे पिता (श्री मुख्योर्जितसिंहजी गहलोत) को श्री आदर्श किशोरजी मक्सेना आई ए. एस जिलाधीश वाडमेन ने दी। उन्होंने 'महारथी' मे छपे उपर्युक्त लेखों को पढ़कर यह मत व्यक्त किया कि स्वतंत्रता पूर्वकाल मे जितने निष्पक्ष, साहस व स्पष्ट रूप से तद्दानोन ममाज का वर्णन श्री जगदीशसिंहजी ने किया, वह अत्यन्त प्रशसनीय है। आवश्यकता है कि ये लेख पुस्तकाकार मे शीघ्र छपे। मुझे भी यह लगा कि स्वतंत्रतापूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन का मेरे पितामह ने जो वर्णन किया वह राजस्थान की वर्तमान पीढ़ी के लिये ऐतिहासिक सामग्री के रूप मे पठनीय है। यो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान मे अभूतपूर्व परिवर्तन आये— यहां की 19 रियासतों का विलयन होकर एक सुसंगठित राज्य बना, राजाशाही की समाप्ति हुई, उत्तरदाई लोकतात्त्विक सरकार बनी, जागीरदारों प्रथा समाप्त हुई, काष्ठ-कारो के हित मे कई कानून बने, सामाजिक जागृति हुई और हम समाजवादी समाज के निर्माण हेतु प्रगति करते जा रहे हैं। इस प्रकार के तेजी से होने वाले परिवर्तनों की हवा मे हम भूलने लगे कि कुछ ही दशकों पूर्व राजस्थान का समाज कैसा था, किन परिस्थितियों मे हमारे पिता व पितामह रहते थे और वया उनका जीवन सुखद था? आज जब हम समाचार पढ़ते हैं कि कुछ गांवों मे अद्यूतों को भवणों के कुवों से पानी भर लेने के कारण बुरी तरह से पीटा गया, कुछ गांवों मे आज भी काश्तकारों से तिहाई हिस्से से आधे हिस्से तक हासिल लिया जाता है, पिछड़ी जाति के लोगों से बेगार ली जाती है, औरतों की सोना के गहने पहनने नहीं दिया जाता है, दुल्हे को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है अपूर्क कार्य को सफलता हेतु नर बल दी जाती है आदि आदि, तब शयद काफी नव-

युवकों को यह पता ही नहीं होगा कि स्वतन्त्रपूर्व काल में तो ऐसी बातें सामान्य थीं। यही विचारकर मैंने अपने पितामह के लेखों को सम्पादित कर प्रकाशित करने का प्रयास किया है।

मेरे पितामह द्वारा की गई साहित्य तथा इतिहास के प्रति सेवाओं का अभूतपूर्व सम्मान हो चुका है। समकालीन प्रमुख समाचार पत्रों व शोध पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा, वह पाठकों की जानकारी के लिये बानगी के रूप में लिखना पर्याप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह 'उच्च कोटि के विद्वान् व इतिहासज्ञ थे' (दैनिक हिन्दुस्तान, 8 नवम्बर 1936)। उन्होंने अपने इतिहास को 'यथा सम्भव, सजीव और रोचक बनाने का प्रयत्न किया था (उसमें) सहानुभूति और निष्पक्षता का अच्छा मिश्रण था (शासकों के) जीवन की साधारण घटनाओं के अतिरिक्त उनके शासन सम्बन्धी मुधारों, प्रजा हित कार्यों तथा धर्म, साहित्य कला का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है। विवादग्रस्त विषय पर प्रमाणिक, ऐतिहासिक साधनों के आधार पर प्रकाश डालने का अच्छा प्रयत्न किया था' (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अक्टूबर 1941, पृष्ठ 245) राजस्थान और राजस्थानी के लिये उन्हे अपाध प्रम था। उन्होंने एकीकृत राजस्थान प्रान्त के लिये माग सन् 1947 में ही की थी (नवभारत टाइम्स, 16-4-1947) और उन्होंने सन् 1925 में ही कहना आरम्भ कर दिया था कि 'राजस्थान की उच्चति जैसी राजस्थानी भाषा के द्वारा को जा सकती है वैसी हिन्दी के द्वारा नहीं हो सकती है' (तक्षण राजस्थान, 21 फरवरी सन् 1925 पृष्ठ 9)। प्रसन्नता की बात है कि अब राजस्थान प्रान्त बन गया है और राजस्थानी को शिक्षा में उचित स्थान दिया जाने लगा है।

श्री जगदीशसिंहजी गहनोत के गीरव ग्रंथ राजपूताना का इतिहास' की समोक्षा करते डा० पी० के० गोडे ने लिखा था— 'यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि ऐसा गहन अध्ययन पूर्ण ग्रंथ जिसमें राजपूतों की ग्रनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर नृतन प्रकाश डाला गया है, लखक को स्वतं ही मीरव प्रदान कर देता है। इसको पढ़कर प्रत्येक पाठक अपने में उस राजपूत जाति के पुनरुत्थान को नई उम्मे उत्पन्न किये विना नहीं रह सकता, जिस पर भावी राजपूताने का गीरव निर्भर है' (न्यू डिडियन एंटीक्वेरी, 7 मई 1940)। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० ईश्वरीप्रसाद ने लिखा था— इस पुस्तक के गहन अध्ययन से राजपूताने की जनता की आर्थिक, सामाजिक और जैक्षणिक जीवन की बहुत सी बातें

ज्ञात होती है। एक साधारण पाठक, जो राजपूताना के लोगों के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी रखता है, यह पुस्तक न केवल उसके ज्ञान में बढ़ि करेगी अपितु उस (वीर गाथा काला) के सम्बन्ध में, जिसमें बहुत से बौरतापूर्ण कार्य हुए हैं और जो अनन्त समय तक स्वाभिमान का विषय रहेगा, दिलचस्पी पैदा करती रहेगी, (बॉम्बे कानिकल, 17 दिसम्बर 1940)। अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त मासिक पत्र 'माडन रिव्यू', कलकत्ता ने भी लिखा था—

'भारतीय इतिहास के साधारण विद्यार्थियों तथा हिन्दी भाषा भाषी जनता के लिए राजपूत राज्या के इतिहास की एक पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता थी। यद्यपि म० म० प० गौरीशक्ति ओझा का इस सम्बन्ध में, स्मरणीय ग्रन्थ 'राजपूताना का इतिहास' प्रकाशित ही चुका है परन्तु वह साधारण जनता की हाफिट से अत्यन्त आलोचनात्मक, विद्वत्तापूर्ण एवं बृहत् है। अत इस श्री जगदीशसिंह गहलोत को राजपूत रियासतों के इतिहास के लेखन कार्य में सफरता प्राप्त करने के उपलक्ष में बधाई देते हैं।

'श्री जगदीशसिंह को न केवल राजपूतों ही से बल्कि भील, मीणा, मेर, जाट तथा गुजर आदि प्रानोन वहादुर जातियों से भी सहानुभूति है। देशभक्त होते हुए भी, लेखक देश के बीते हुए समय का सुनहला चित्र ही पाठक को दिखाकर अपने आपको घोखा नहीं देना बल्कि राजपूतों की बत्तमान गिरी हुई दशा तथा उस प्रान्त के पश्च पालकों और किसानों की गिरी हुई आर्थिक अवस्था को भी मासने लाता है। उस स्थान के जागोर-दारों को स्वतं न कमाई हुई आमदनी को व्यर्थ के ऐशोप्राराम, शराव, स्थो तथा अफीम ने निगल लिया है। उन ही तलवारे म्याना में पड़ा जग खा रही है या ज्यादा से ज्यादा विशेष अवसरों पर बलिदान के बकरों की गर्दन पर अजमाई जानी है। मध्यकालीन भारत का बीर राजपूत आज अध पतन का एक नमूना और एक दुख पूर्ण लिलोना है। पजाव के उन्नति करते हुए किमानों के मुकावले में राजपूताना के किमानों की आर्थिक एवं मामाजिह दशा अत्यन्त दुष्प्रशूर्ण है। भूमि रहित मजदूर-किसानों की दयनीय दशा अत्यंत शोचनीय है। केवल पूर्जोपति तथा ऊचे औहदेदार ही वहा ऐशो-प्राराम करते हैं। अधिकाश में वहा के किसान अपनी भूमि वचे हुए निकृष्ट धान से बुझते हैं, जब कि बौहरे लोग गेहूं का आनन्द लेते हैं। वहा कहावत है 'कूड़ों करमा खाय, गेहूं जीमे बाणिया। सनातनियों की धार्मिकता के नाम पर द्राघ्यण भी गृलछर्र उड़ाते हैं।

‘लेखक का यह साहित्यिक चातुर्य प्रशसनीय है कि उसने घटनाओं को वहूत सी उपयुक्त एवं प्रसिद्ध कहावतों से गौण कर सूचनात्मक, विस्तृत एवं दिलचस्प बनाने में सफलता प्राप्त की है।

‘लेखक ने साधारण हिन्दी पाठ्यों के लिये अपनी पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिये काफी परिश्रम किया है और पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक ग्रथों की सूची दी है जिनसे उन्होन सामग्री एकनित की है। लेखक की पुस्तक स्वयं ही जनता की जानकारी में आन पर प्रशसा प्राप्त करेगी। हमें यह आशा है कि गहलोतजी अपने वाय को एक देशी राज्य के आपत्तिजनक क्षत्र म बैठे राजपूताने के प्राचीन इतिहासज्ञों मुहरणों नेणासी और कविराजा श्यामलदास की तरह द्रभाग्यशाली बने विना जारी रखें।’ (अनुवादित) फरवरी सन् 1941 पृ 214।

श्री जगदीशसिंहजी के विषय म ‘अजमेर के नवज्योति साहस्रिक ने भी लिखा था।’— (राजपूताना का इतिहास) ग्रथ म उनके ज्ञान और परिश्रम का अच्छा परिचय मिलता है यह (ग्रथ) सजीव रोचक और उपयोगी है। इसमे राजवंश और शासक जातिया क अलावा जन-साधारण की भाषा, भेष रोतिरिवाज और सामाजिक धार्मिक आदि रित्यतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। देश प्रम की भावना क दशन जगह जगह होत है। गहलोनजी ने सभी दिशाओं मे इस ग्रथ को ऐसी सामग्री से भर दिया है कि उससे रियासतों को मोजुदा अवस्था वहा के निरकृश शासन राजाओं को किंजुलसर्चीं प्रजा को कगाला, दास प्रथा आदि बुराइयों पर अच्छा प्रकाश पड़ गया है। जागरूक पाठ्य को इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजपूताना को रियासता के राजा प्रजा से कितना धन लते हैं और उसका कितना कम हिस्सा प्रजा की भलाई पर खच करते हैं। (साहस्रिक नवज्योति अजमेर 2 अक्टूबर 1939)। इस प्रकार के अनेक मत मन्त्रों, आलाचना निवन्ध आदि प्रकाशित हो चुके हैं।

ऐसे सिद्धहस्त लेखक एवं शोध पडित की कृति पुन प्रकाशित करते हैं होता है और यह आजा की जाती है कि यह कृति तत्कालीन राजस्थानी समाज के विषय म जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक सम्पादन का यह मेरा प्रयत्न प्रयास है। इम कारण इमम कुछ गलतिया रह गई है। आगामी सक्तरण म इसे कई और सशाधनों एवं टिप्पणियों के साथ प्रकाशित करने की चेष्टा करू गा।

भूमिका

मेरे पिता स्व० श्री जगदीशसिंहजी गहलोत ने आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन पर जो कुछ लिखा वह बहुत ही तथ्यपूर्ण और रुचिकर है । अप्रैल 1973 में जब श्री आदर्शकिंशोर सक्सेना आई ए एस जिलाधीश बाडमेर ने मुझसे ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी चाही जो स्वतन्त्रता-पूर्व के राजस्थानी जनजीवन के बारे में सही जानकारी दे सके तब मैंने उनको अपने पिता श्री द्वारा लिखित वे लेख दे दिये जो “महारथी” मासिक में फरवरी 1929 से जुलाई 1929 (अक 41 से 46) के बीच अमण्डल छ्याये थे । इन्हे पढ़कर वह गदगद हो गये और मुझे प्रोत्साहित किया कि उन लेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाय । मैं उस समय से निरन्तर आद्यावधि अकाल, अतिवृष्टि बाढ़ आदि के कारण सरकारी कार्य में इतना व्यस्त रहा कि मैं इन लेखों को वापस पढ़ नहीं सका लेकिन मैंने यह कार्य मेरे पुनर्चिंह देवेन्द्रसिंह को सौंप दिया । उसने आवश्यक सशोधन तथा टिप्पणिया लिखकर व सम्पादन कर मुद्रण हेतु दे दिया । दीपावली के बाद राजकीय कार्यों से कुछ सास लेने के कारण मिले तब सभी लेखों को मुद्रित होकर पुस्तक रूप में देखा । चिंह देवेन्द्रसिंह का यह प्रथम प्रयास था । अत टिप्पणियों तथा छार्चा आदि में कुछ कमी अवश्य रह गई है लेकिन फिर भी उसका प्रयास अच्छा रहा । मेरे पिता श्री के अध्ययन के मुख्य विषय थे—राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का समाज और राजस्थान का लोक साहित्य । मैंने भी राजस्थान के इतिहास तथा राजस्थान के समाज की दिशा में कुछ अध्ययन किया है । चिंह देवेन्द्रसिंह का राजस्थान के समाज पर कुछ अध्ययन करना इसमें दृष्टीगोचर होता है, यह मेरे लिये सतोप की बात है ।

मैं कई बार सोचता हूँ कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्थान के लोगों को जैसी दशा थी उसमें अब किनना परिवर्तन आगया है । ये परिवर्तन क्यों और कैसे आये ? इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाये और प्रवृत्तिया क्या क्या थी ? इनका लेखा जोड़ा लगाने के लिये काफी शोध और अध्ययन करने की आवश्यकता है । मेरे जैसे व्यक्ति के लिये, जो रात-दिन सरकारी कार्य में ही व्यस्त रहता है, अभी सम्भव नहीं कि इस विषय पर पूर्ण रूप से लिख सकूँ फिर भी दिशा सकेत करना अनुचित नहीं होगा ।

पिछली अर्ध शताब्दी में राजस्थान के सामाजिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण है — पिछले 50 वर्षों में न केवल राजस्थान, बल्कि भारतवर्ष में होने वाले राजनीतिक आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति। इन राजनीतिक आन्दोलनों के कारण लोग अपने मूल अधिकारों की मांग करने लगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के योग्य बनाने लगे। सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत का सूर्य उदय हुआ। राजस्थान के देशी राज्य सरदार पटेल की रक्त विहीन क्राति की लपेट में आये। मिट्टी की तरह मैंकड़ों वर्षों की मुद्रद सामतों प्राचीरे ढहने लगी। सामन्ती शासन समाप्त हुए और यह सम्पूर्ण भूखण्ड-राजस्थान के नाम से समर्थित होकर लोकतन्त्र की सास लेने लगा।

इस प्रकार देशी राज्यों, उनकी सीमाओं, उनके दरबारी तोर तरीकों, जाति-पाति के बन्धनों आदि का सदा के लिये लोप हो गया। जन्मजात वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न विष वेल और उमके कुफलों का नाश होना आरभ हुआ। राजस्थान तथा केन्द्रीय शासन ने अनेक नये अधिनियम विविष्वर्वक लागू कर समाज के निम्नधरों तथा पिछड़ी जातियां का समान अधिकार दिलाये। कई दशाओं में ऐसे वगों को विशेष मुविधाये प्रदान की। इसमें ध्येय यही रहा कि एक नये समाज का निर्माण हो जिसका मकल्प भारत के सविधान में किया गया है।

राजस्थान सन् 1949 की मार्च तक एक ही प्रशासन के अन्तर्गत न होकर अलग अलग रियासतों में बढ़ा हुआ था। यहां तक कुन 19 रियासतें थीं। इन रियासतों में सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत था जिसके पूर्वजों की वीरता, साहस और स्वतन्त्रता प्रेम की गाथाय भारत भर में प्रसिद्ध है। इस शताब्दी में जब भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन चले तब मेवाड़ के महाराणा सागा व महाराणा प्रतापसिंह, आदि से ही आन्दोलनकारियों ने प्रेरणा ली थीं। मेवाड़ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण रियासत थीं— मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, कोटा व वृन्दी। यहां के वोरों न कई युद्धों में भाग लिया व भारत के इतिहास का प्रभावित किया। इन 19 रियासतों से घिरा 1, 32, 152 वर्ग मील का क्षेत्र तब राजपूताना कहलाता था। राजपूतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही यह प्रान्त राजपूताना कहलाता था अन्यथा राजपूतों की यहाँ कोई विशेष सख्ता नहीं थी। क्षेत्रफल की हाप्ति से यह प्रान्त इंगलैण्ड, इटली, आस्ट्रिया व हगरी से भी बड़ा था।

राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 है जिनमें 1,22,81,423 स्त्रियाँ हैं। यहाँ के 33,305 गांवों में 2,12,045 मनुष्य रहते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ की ज्यादातर जनता (82 प्रतिशत) ग्रामीण है। यहाँ के 157 नगरों व कस्त्रों में केवल 45,43,761 बसते हैं। एक लाख से ज्यादा जनसंख्या के नगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अलवर हैं।

राजस्थान में हिन्दुओं का बहुमत है। यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या तथा प्रतिशत इस प्रकार है— हिन्दू 2,30,93,895 (89 63 प्रतिशत) मुसलमान 17,78,275 (6 90 प्रतिशत) जैन 5,13,548 (1 96 प्रतिशत) मिथ्या 341,182 (1 33 प्रतिशत) व बौद्ध 3,642 (0 2 प्रतिशत) है। सबसे ज्यादा प्रतिशत हिन्दुओं का झूगरपुर में (95 40) मुसलमानों का जैसलमेर में (24 42) जैनों का जालोर में (5 20) सिक्खों का गगानगर में (19 19) व ईसाइयों का वासवाडा में (0 75) है। सबसे कम प्रतिशत हिन्दुओं का जैसलमेर में (74 92) मुसलमानों का सिरोही में (2 48) जैनों का गगानगर में (21) सिक्खों का सीकर, नागोर व वाडमेर में (01) व ईसाइयों का सीकर व जालोर में (01) है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जन संख्या क्रमशः 40,75,580 व 31,25,506 है व प्रतिशत क्रमशः 15 82 व 12 13 है। अनुसूचित जातियाँ गगानगर, भरतपुर व जयपुर में ज्यादा हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जन जातियाँ उदयपुर, वासवाडा व झूगरपुर में ज्यादा हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के लिये पिछ्ने 25 वर्षों में काफी बहुत बने व प्रजासत्रिन् कारवाडियाँ की गई लेन्डिन उनकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसका मुख्य बारण राजनीतिक दबो, भगवारी कार्यालयों मध्यांगों, मध्यांगों आदि में कई जातिगत विलक्षण बने होना है। इनका जब तक तोड़ा नहीं जायेगा तभी तक इन जातियों का उत्थान होना कठिन है। इन जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक बरना भी अत्यन्त आवश्यक है। इनका आर्थिक पिछड़ापन ही इन्हें राजनीतिक, धार्मिक नया मामाजिन स्प से पिछड़ा हुआ बनाये रखता है।

राजम्यान बनने के पूर्व मन् 1941 में अन्तिमद्वार जनगणना हुई थी तब द्विजों का प्रतिशत 18, कास्तवारों व पश्च पालकों का 27 6 नीनरी

पेशा व कारीगरों का 55 अनुसूचित जातियों का 13.7 अनुसूचित जन जातियों का 11.2 व मुसलमानों का 5.7 था। जब जातिवार जनगणना नहीं होती है लेकिन अब काम करने वालों के हिसाब से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों व नागरिक क्षेत्र में व्यवसाय अनुसार प्रतिशत इस प्रकार है—

धन्धे	गावों का प्रतिशत	नगरों का प्रतिशत
काश्तकार	41	4
कृषक मजदूर	22	4
पशुपालन, आखेट, खनिज	9	5
कार्य आदि		
कुटिर उद्योग	31	25
कुटीर उद्योग के अलावा उद्योग	3	38
निर्माण कार्य	3	18
परिवहन आदि	2	28
व्यापार व वाणिज्य	8	48
अन्य सेवा में	20	96
काम न करने वाले (वेकार सम्मिलित)	491	698

यहां के लोगों का मुख्य धन्धा कास्त है लेकिन पानी व अच्छी उपजाऊ भूमि की कमी होने कारण कास्तकार भली प्रकार अपनी जीविका नहीं चला सकते हैं। इसी प्रकार परिवहन तथा सचार व्यवस्था की कमी के कारण यहां उद्योग नहीं लग सके हैं। यो यहां के उद्योगपति जो अन्य प्रान्तों में मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान के बाहर उद्योग लगाने में काफी आगे रहे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति-विडला डालमीया, गोयनका, तापड़ीया पौदार, सिहानीया, वानड, शाहू जैन आदि राजस्थान के ही निवासी हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। स्वतन्त्रता के पूर्व मन् 1941 की जनगणना के समय साक्षरों का प्रतिशत केवल 5.51 था तथा राजस्थान के निर्माण के बाद सन् 1951 की जनगणना के समय प्रतिशत 8.95 तब ही पहुँचा था। अब यह प्रतिशत 19.07 तक पहुँच पाया है। यो पुरुषों का प्रतिशत 26.74 व महिलाओं का केवल 8.46 है। सबसे ज्यादा साक्षर अजमेर जिले में 30.30 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षर

जालोर जिला मे 10 13 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रति रात केवल 13 85 ही है। वहा साक्षर स्त्रिया केवल 4 03 प्रतिशत है। राजस्थान मे अब 3 विश्वविद्यालय, 137 व्यवसायिक कॉलेज, 75 सामान्य शिक्षा के कॉलेज, 43 विशेष शिक्षा के कॉलेज, 872 उच्च माध्यमिक शालायें, 1858 माध्यमिक शालायें तथा 19,180 प्राथमिक पाठशालायें हैं। इनमे लगभग बीस लाख लडके व पाच लाख लड़किया पढ़ती हैं। शिक्षा पर अब लगभग दो करोड रुपये खर्च किये जाते हैं। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र मे काफी प्रगति हुई है। नेकिन अग्री भी बहुत कुछ करना शेष है।

राजस्थान राजाओं का गढ़ रहा है। इन राजाओं की रियासतो मे वे सब बुराईया मौजुद थी जो एक व्यक्ति के निरकुश शासन मे हो सकती है। हर कोटि बट्टलर के शब्दो मे “यहा वे रियासते हैं जहा पितृतत्र या अद्व सामन्त तत्र का बोलागाला हैं, जिससे इतिहास के मध्ययुग का रूप आँखो के सामने आ जाता है और वे रियासते भी हैं जहा सोलह आने प्रशासन कायम है।” यहा राजा का आदेश सर्वोपरी होता था। कानून को कोई जानता ही नही था। जोभी राजा ने कह दिया उसका सभी को पालन करना पड़ता था। जनता की प्रतिनिधि सस्थाओं का यहा नाम भी नही था। पिछ्ले 30 वर्षो म कुछ रियासतो— बीकानेर, जयपुर, जोधपुर आदि मे प्रतिनिधि सस्थाओं का निर्माण हुआ नेकिन वे पूर्णतया शक्तिहीन थी। उनको कानून बनाने, कर लगाने या विकास के कार्य करने के कोई अधिकार नही थे। राजाओं ने केवल उपरी दिखावे के लिये इनका निर्माण कर दिया था। ढहती दीवारो पर सफेदी पोतने से क्या लाभ होता है? यह स्वतन्त्रता प्राप्त होने ही सबको पता लगगया।

राजस्थान का 60 7 प्रतिशत भाग जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत था। उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर मे तो यह प्रतिशत और ज्यादा था। जागीरदार भूमि के लगान का कुछ हिस्सा (रेख) ही देते थे। यह हिस्सा (रेख) जागीर देने के समय तय किया जाता था जिसका वास्तविक लगान से कोई संबंध नही था। जागीरदार अपनी जागीर के गावो मे मनमाना लगान बमूल करते थे। लगान देते हुए भी काश्तवार सुरक्षित नही थे। जागीरदार भरचाहे जब उन्हे बेदखल बर देते थे। लगान के अलावा काश्तवारो को बेठ बेगार भी नियातनी पड़ता थी तथा कई लागे देनी पड़ती थी। भागे तथा बेगार बाश्तवारो के अलावा व्याप, रियो तथा भूमिहीनों को भी देनी पड़ती थी। इस प्रकार ये जागीरदार अपनी जागीर मे राजाओं से

कम शक्ति नहीं रखते थे। यो जागीरदारों के अधिकारों को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। शासक को अधिकार था कि वह जब चाहे तब जागीर का पुनर्ग्रंथण कर सकता था— तथा दूसरे को हस्तान्तरित कर सकता था। जागीरदार को महाराजा द्वारा सैनिक व आर्थिक सहायता मांगने पर देनी पड़ती थी तथा कभी कभी व्यक्तिगत सेवा हेतु उपस्थित होना पड़ता था।

राजस्थान की ज्यादातर जनता कृषि पर निर्भर थी लेकिन काश्तकार के अधिकार नाममात्र थे। काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना अधिकार कानून से नहीं दिया हुआ था। जागीरी गांवों में तो वह जागीरदार द्वारा मनचाहे जब बेदखल कर दिया जाता था। उसकी भूमि पर लगान भी मनचाहे जब बढ़ा दिया जाता था। लगान के अलावा उसे कई प्रकार की लाग वागें व वेगार देनी पड़ती थी। इनके कारण काश्तकार तग आ गये थे और उन्हे विवश होकर आन्दोलन करने पड़े। इन आन्दोलनों के कारण पिछले वर्षों में काश्तकारों के हित के लिये कुछ कानून बनाये गये लेकिन वे भी उनका ज्यादा भला नहीं कर सके। काश्तकारों में असन्तोष बराबर बना रहा। इन आन्दोलनों का विशेष महत्व है क्योंकि इन्होंने न केवल काश्तकारों वलिक अन्य वर्गों के भी सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित किया। इनके कारण विभिन्न वर्गों व जातियों के स्त्री-पुरुष एक दूसरे के ज्यादा ही सम्पर्क में आये। उनमें राष्ट्रीय चेतना आई और जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। इन राजनीतिक आंदोलनों के कारण रियासतों को विवश होकर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, वाधों आदि का निर्माण करना पड़ा लाग वाग व वेगार बन्द करने को कानून बनाने पड़े व उद्योग धन्ये खोलने पड़े। मेरे भितायों ने असनो लेखमाला के अन्त में यही बाते अप्रत्यक्ष रूप में बतानी चाही था। उस समय राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ ही गये थे लेकिन व तत्कालीन परिस्थितियों (सरकारी सेवा में होने) में केवल इशारा करके ही रह गये। राजस्थानी समाज में तब जो राजनीतिक चेतना आई तथा जो आन्दोलन हुए उनका सक्षेर में विवरण इस कारण अब देना उचित होगा ताकि पाठक तेजी से बदलते सामाजिक जीवन को आक सके।

राजस्थान में राष्ट्रीय जागृति रूस-जापान युद्ध और वर्ग भग के बाद ही आरम्भ हुई लेकिन रियासती शासन के विरुद्ध अमतीय की ज्वाला प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के वर्ष सन् 1918 में, राजपूताना-मध्यभारत सभा स्थापित हो जाने पर प्रज्वलित हुई। उस समय रियासती

शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ, राव गोपालसिंह, दामोदरलाल राठी व विजयसिंह पथिक अग्रणीय थे। विजयसिंह पथिक ने विजोलिया का सुप्रसिद्ध किसान आन्दोलन (1913 - 1922) बड़ी कुशलता से चलाया। यह आन्दोलन वेगार, लागवाग, अत्याधिक लगान आदि से तग आकर ठिकाने के विरुद्ध चलाया गया था। इस आन्दोलन में पथिक के अलावा रामनारायण चौधरी व भागेकलाल वर्मा का भी महत्वपूर्ण भाग रहा। यह आन्दोलन राजस्थान स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कड़ी में बंगु (1921-1922) व बून्दी (1922) के आन्दोलन माने जा सकते हैं। इनके कारण सामन्तशाही वो किसानों के सामने भुक्ता पड़ा। इन आन्दोलनों के कारण देहाती स्त्रियों में भी कुछ जागृति आई। वे भी पुरुषों के साथ सत्याग्रह में सम्मिलित हुईं। पुरुषों में जो राजनीतिक जागृति आई उसके फलस्वरूप विभिन्न रियासतों में नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सेवा समितियाँ, हितकारीणी सभायें, चल पुस्तकालय आदि स्थापित हुए तथा प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छारिता के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण सगठन राजस्थान सेवा संघ था जो सन् 1921 में वर्धा में स्थापित हुआ था और जिमका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की रियासतों में विटिश हस्तक्षेप का विरोध करना तथा राजाओं और जागीरदारों की दमनकारी नोतियों से सिधी टक्कर लेना था।

जोधपुर में तब हो जयनारायण व्यास वा आविर्भाव हुआ। उन्होंने रियासतों के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध काफी संघर्ष किया और इस बारण वह रियासत से निर्वाभित बर दिये गये। रियासत के बाहर व्यावर, अजमेर, बम्बई आदि स्थानों में रह बर भी उन्हान राजाशाही के विरुद्ध बरावर आन्दोलन किये। उसी भ्रमय पहाड़ों की ओर में भीलों के लिये अधिकारों की लडाई 'मेगाड़ के गाधी' मोतीलाल तेजावत ने (1922-1929) में लड़ी। उसके नेतृत्व में मारवाड़, सिराही, मेवाड़, दूगरपुर, ईडर आदि के भीलों को सफ्टित होकर रियासतों सरकारों और विटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किय। भील तेजावत की अपना मसोहा मानते थे। इस भील आन्दोलन वो मरमार ने अपनी सत्ता के लिये चुनीती समझ और इस बारण निमंम दमन चक्कर चला कर कुचल दिया। भील तब तो शात हो गये लेकिन अपने अविराम हो गये।

सन् 1925 में अलवर रियासत में भी काष्ठतारों ने बड़े नगानों के

ने आग बबुला होकर किसानों को पाठ पढ़ाने को, उनके गाव नीमूचाणा में सेना भेज दी। सेना ने अन्धाधून्ध गोली चलाकर लगभग 95 आदमियों को मारड़ाला तथा गाँव में आग लगा दी जिससे 355 मकान जलकर नष्ट हो गये। इस काण्ड को देशों रियामतों का “जलियावाला बांग” काण्ड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस काण्ड पर अपने पत्र में बहुत ही कड़ी टिप्पणी लिखी थी।

सन् 1924 में जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के काश्तकारों पर अत्याधिक लगान लगा दिया गया। इस ठिकाने को वार्षिक लगान लगभग 95 लाख रुपये मिलता था लेकिन इसमें से 4 लाख जागीरदार अपने निजि खर्चों में लगा देता था। काश्तकारों के हित में कोई विकास कार्रव नहीं किया जाता था। काश्तकारों ने जब इस बढ़े लगान का विरोध किया तब ठिकाने ने काश्तकारों को त्रुट्टा से दबाना आरम्भ किया। आन्दोलन और तेज हो गया और इस मामले को केन्द्रीय विधान सभा और ब्रिटिश सरकार तक में उठाया गया। आखिर मई, 1925 में जागीरदार व किसानों के बीच समझौता हुआ। जिसके अनुसार किसानों ने फसल के अनुमान से लगान देना स्वीकार किया। जागीरदार ने किर भी समझौते का पालन ईमानदारी से नहीं किया। इस कारण किसानों में असतोष चलता ही रहा। सन् 1935 में किसान आन्दोलन की सफलता के लिये एक जाट महायज्ञ आयोजित किया गया जिसमें लगभग 80 000 किसानों ने भाग लिया। यह देखकर सरकार ने संबड़ो किसानों की जेल में बन्द कर दिया। खूड़ो और कुन्दा गाव में पुलिस ने गोली भी चलाई जिसमें 10 व्यक्ति मरना स्थल पर ही मर गये और लगभग 100 व्यक्ति घायल हो गये। कई स्त्रीयाँ भी घायल हुईं। आन्दोलन दबा दिया गया लेकिन किसानों में प्रपूर्व जागृति आ गई।

वीकानेर में भी महाराजा के निरक्षण प्रशासन के विरुद्ध कुछ लोगों ने सन् 1932 में आवाज उठाई तो उसने 8 व्यक्तियों को गिरफतार कर उनके विरुद्ध मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा वीकानेर यड्यव काण्ड के नाम से जाता जाता है। एक अभियुक्त के मुख्यविर हो जाने पर शेष तात अभियुक्तियों को छँ माह में लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की उजा दे दी गई। इस निर्णय की भारत भर के समाचार पत्रों ने कड़ी प्रालोचना की। स्पष्ट हो गया कि राजा महाराजा अपने विरुद्ध कुछ भी रहना व सुनना नहीं चाहते हैं।

जोधपुर में नागरिकों का भाषण देने व लेख लिखने की भी स्वतंत्रता नहीं थी तथा प्रशासन में अप्टाचार का ज्यादा ही बोलबाला था । इस कारण सन् 1925 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर सरकार वी निरकृष्ण व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन किया गया । सन् 1929 में जयनारायण व्यास, आनन्दराज मुराणा भवरलाल सरफ आदि ने सार्वजनिक सभायें वर राज्य सरकार व प्रशासन की बटु आलोचना की । इस कारण इनकी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हे तोन से पाच वर्ष तक के कारावास की सजा दी गई । इन निर्णय का जब जनता ने विरोध किया तब उनके जल्म पर लाठी प्रहार किये गये जिससे कई व्यक्ति घायल हो गये तथा कई गिरफ्तार कर लिये गये ।

ये कुछ बड़ी घटनाएँ हैं । अन्यथा कोई भी रियासत, उन लागा का जा यथास्थिति को चालू रहने नहीं देना चाहते थे दमन करने में नहीं चुकी । इन दमनशारों नोतियों का सामना करने हेतु कई राजनीतिक व सामाजिक सम्प्रयोग उठ खड़ी हुईं । इनमें भवसे महत्वपूर्ण हरिजन सेवक संघ तथा बनवासी सेवा सब थे । हरिजन सेवक संघ धनश्यामदाम विडला की अध्यक्षता में संगठित हुआ था तथा यह राष्ट्रीय स्तर वी स्थापी थी । राजस्थान में इसकी शाखा के अध्यक्ष हरविलास शारदा थे । इस संघ के प्रयत्नों से शोषण ही प्रात में लगभग 50 हरिजन सेवक समितियां बन गईं जिन्होंने लगभग 125 पाठशालाय में स्थापित कर दी । इनमें लगभग 3000 छात्र पढ़ने लगे । संघ के प्रचार के कारण संकड़ों हरिजनों ने शराब पीना छोड़ दिया और मुर्दा मास न खाने की प्रतीक्षा ले ली । हरिजनों के लिये कई जनाशय भी बनवाये गये । एक और संस्था गाधी मेवा संघ थी जिसकी राजस्थान शाखा के प्रधान संगठन मन्त्री हुरिभाऊ उपाध्याय थे । राजस्थान में सेवक मण्डल अलग था जिसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे । इसके अन्य प्रमुख कायेवत्ती नयनूराम शर्मा, चन्द्रभानु रामसिंह माणकलाल वर्मा शोभालाल गुप्त आदि थे । यह मण्डल भी हरिजनों के उत्थान का कायें करता था । इसी के फलस्वरूप सन् 1935 में हूँ गरपुर के मायदाङ्ग स्थान पर भोल सेवा आश्रम स्थापित किया गया । इसके द्वारा हूँ गरपुर व बामबाड़ा के भोलों में काफी जाग्रत्ति लाई गई । उनमें काफी सामाजिक मुक्तार किये गये ।

महात्मा गाधी द्वारा सन् 1930 में चन्द्रवत्ती नागरिक अवक्षा आन्दोलन का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा और यहां भी विभिन्न राज्यों में प्रजा

मण्डल स्थापित कर जनता ने आनंदोलन आरम्भ कर दिये । ये प्रजा मण्डल अलग अलग रियासता में अनग अलग वर्षों में स्थापित हुए, यथा सन् 1931 में जयपुर में, सन् 1934 में मारवाड (जोधपुर) में, सन् 1935 में सिरोहा में, सन् 1938 म उदयपुर, धोलपुर, कोटा, बून्दी, अलवर व शाहपुरा में, सन् 1939 में भरतपुर मे सन् 1940 में रासवाडा मे रान् 1942 मे बीकानेर में, सन् 1945 मे दूगरपुर मे और सन् 1948 मे किंगडम मे । सन् 1937 मे जयपुर प्रजा मण्डल का नाम मारवाड लोर परिपद कर दिया गया । इन प्रजा मण्डलों की स्थापना का सभी रियासतों सरारारा ने विराध रिया तथा इन्ह तत्त्वाल अवैद घोषित कर दिया । इस कारण रियासता मे आनंदोलन भी चले ।

इन आनंदोलनों के आरम्भ मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया । कांग्रेस यह नकी चाहती थी कि वह रियासता व मामले मे उलझे । महात्मा गांधो तक का रियासतों के प्रति स्वयं पूर्ण नवा अहस्तक्षेप का था । इस कारण रियासतों के प्रजामण्डला को अकेने ही आनंदोलन चलाने पडे । कांग्रेस ने रियासता के मामले मे तभी ही हस्तक्षेप करने का सोचा जब भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत रियासतों भारतीय सघ के विधान मण्डल मे भाग नेने का विचार करने लगी । सन् 1938 मे हरिपुरा अधिकेशन मे कांग्रेस ने अपना यह लक्ष्य बतलाया कि वह रियासतों मे भी उसी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहो है जिसके लिये शेष भारत मे, और वह रियासतों को भारत का अविभाज्य अंग समझती है परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी वह इस स्थिति मे नहीं है कि स्वभूमि रियासती जनता को मुक्ति दिला सके । कांग्रेस ने रियासती जनता को यह सलाह अवश्य दी कि स्वतन्त्रता के लिये सघर्ष का भार उन्हे स्वयम् ही उठाना चाहिये । बाद मे महात्मा गांधी ने राजाओं का चेतावनी भी दी कि यदि राजा लोग उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की मांग को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेग तो कांग्रेस अहस्तक्षेप की नीति को छोड़ सकती है । उन्होंने राजाओं को सलाह दी कि वे उस मण्डल (कांग्रेस) से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करे जा निकट भविष्य मे मंत्रीपूर्ण व्यावस्था द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का स्थान लेने वाला है ।

महात्मा गांधी व कांग्रेस की नेत्र सलाह को राजाओं ने नहीं माना । वे ग्रप्ते पुराने ढर्ने पर चलते रहे । यो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, किंगडम

भरतपुर, वासवाढा आदि के शासकों ने प्रतिनिधि सभाये बनाने की कोशिश की ताकि जनता के कुछ चुने हुए व्यक्ति शासन में कुछ भाग ले सके लेकिन ये सभायें न तो जनता का वास्तव में प्रतिनिधित्व करती थी और न इन्हे शासन को प्रभावित करने के कोई अधिकार ही मिले थे। जनता इस कारण सतुष्ट नहीं हो सकी और उन्हे आंदोलन चलाते ही रहना पड़ा। राजा और प्रजा के बीच याई बढ़ती ही गई।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् की घटनाओं और अधिकारिक घोषणाओं से स्पष्ट हो गया कि अयेज शीघ्र ही भारतीयों के हाथों में मत्ता का हस्तान्तरण करने वाले हैं लेकिन राजाओं ने तब भी यह नहीं सोचा कि भावी शासन कायेस ही करेगी। अत उन्होंने कायेन तथा उसके समर्थित प्रजा मण्डलों व लोक परिषदों को कोई महत्व नहीं दिया। विभिन्न रियासतों में आंदोलन चलते रहे और राजाओं द्वारा उनका दमन किया जाता रहा। इससे राजाओं के प्रति जनता में ज्यादा ही कठुता आ गई। जब भारत के स्वतन्त्र किये जाने का विटिश सरकार ने तय कर दिया तब भी कई राजा स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के स्वप्न देखने लगे। ऐसों में जोधपुर नरेश महाराजा हनुवन्तसिंह मुख्य थे। यो कुछ नरेशों में राष्ट्रीय भावना भी जागृत हुई। ऐसों में बीकानेर नरेश महाराजा शार्दूलसिंह व उदयपुर के महाराणा भूपालसिंह थे। राजाओं के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास नहीं रहा इस कारण भारत के स्वतन्त्र होने के बाद कायेस ने यही उचित समझा कि राजाओं को पेशन देकर उनके सभी अधिकार छीन लिये जावें। प्रजा राजाओं से तग आई हुई थी हो। उन्होंने इस कार्य में कायेस को समर्थन दिया।

सन् 1947 की 15 अगस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ। यहां के राजाओं ने समय का अभूतपूर्व परिवर्तन देखकर अपनी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किये जाने को सहमति दे दी। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सरदार पटेल को मूर्ख-बूझ तथा लांड माउण्टवैटन को मनाह विशेष रूप से काम आई।

भारतीय संघ में अधिमिलन हो जाने के पश्चात् रियासतों के एकोकरण का प्रश्न उठा क्योंकि राजनतिक एकता तथा प्रगासनिक दृढ़ता के लिये यह अवश्यक था कि भावों राज्य इतने छाटे नहीं हो कि वे प्रशासन ठोक प्रशासन से नहीं चला सके। इस कारण यहां को 19 रियासतों

वा एकीकरण किये जाने का तथा दिया गया। यह एकीकरण 5 अवस्थाओं में पूरा हुआ। पहली अवस्था में उत्तरपूर्व को चार रियासतें—मलवर, भरतपुर, करोली व धोलपुर वा मिला कर 'मत्स्य संघ' 17 मार्च, 1948 को बनाया गया। एकीकरण को और दूसरा कदम उठाने पर सन् 1948 को 15 मार्च को कोटा, बुन्दी, भोजपुरा, वासवाडा, दुगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, विशनगढ़ व टार्क को मिलाकर एक संघ 'संयुक्त राजस्थान' बनाया गया। इस संघ के निर्माण के बाद ही उदयपुर के महाराजा न इसमें शामिल होने को इच्छा प्रकट की। इस कारण अप्रैल 18 से उदयपुर रियासत भी इसमें सम्मिलित हो गई। यह राजस्थान वा तीसरा संघ था। तब ही सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि जयपुर, जावपुर, बोकानर व जैमलमेर की रियासतें भी राजस्थान संघ में जाव। राजस्थान में राजप्रमुख के निर्वाचन तथा राजधानी के चुनाव के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श वर एक नया बड़ा संघ 'महाराजस्थान' बनाने की सहमति राजाओं ने दे दी। यह संघ 30 मार्च, 1949 को बना। एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने को 15 मई को 'मत्स्य संघ' महाराजस्थान में मिला दिया गया।

सिरोही रियासत राजस्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित थी। इसको गुजरात के लोग गुजराती भाषा भाषी व स्त्रृकृति का बताते थे। इस कारण सरदार पटेल ने सन् 1948 में इसे गुजरात में मिला दिया था। इसका राजस्थानियों ने विरोध किया। कन्द्रीय सरकार ने यह देखरेह 26 जनवरी 1950 को आवूरोड और देलवाडा की तहसीलों को वस्त्रई प्रान्त में व शेष भाग राजस्थान में मिला दिया। राजस्थान के लोगों न तब भी आवूरोड व देलवाडा को तहसीलों को राजस्थान में मिलाने के प्रयास जारी रखे। राजस्थान के मध्य में अजमेर-मेरवाडा आया हुआ था जा सभी प्रकार से राजस्थान से सम्बन्धित था। अत जब भारत के प्रान्तों का भाषा के अनुपार नवनिर्माण हुआ तब अजमेर-मेरवाडा तथा सिरोही रियासत की दोनों तहसील-पावूरोड व देलवाडा राजस्थान में मिला दी गई। यह एकीकरण सन् 1956 को पहली नवम्बर को हुआ।

इम प्रकार लगभग 40 वर्षों तक बराबर मध्ये करने के बाद यहां की जनता का एक राज्य के अन्तर्गत समाजित झोकार स्वतंत्रता के मीठे फल चखने को मिले। अब जनता आश्वस्त हो गई कि वह अपने मूल अधिकारों को निर्वाचित भोग सकेगी। इन अधिकारों की प्राप्ति में यहां के दो वर्गों-शिक्षित

मध्यम् श्रेणी व अनपठ काश्तकारो तथा दो जातियो— ब्राह्मणो व जाटो का मुख्य हाथ रहा। शिक्षित मध्यम् श्रेणी को सामन्तशाही वातावरण मे जीविका के वे साधन नहीं मिल पाये जो वे आशा करते थे। साधारण साक्षर सामन्त व धनी व्यापारी राजाओं को छन्दोलया मे मजे करते थे। सामन्त रात दिन शराब, नाचरण आदि मे ढूबे रहते थे। वे अपनी जागीरों को अपनी निजि जायदाद मान बैठे थे। व्यापारी राजाओं व सामन्तों की हा मे हा मिलाते रहते थे। सभी प्रकार के मुख उन्हे पैसों के दल पर मिल जाते थे। ये लोग अशिक्षित काश्तकारों को चूसते रहते थे। शिक्षित मध्यम् श्रेणी के युवक नोकरियों की तलाश मे व अपनी जीविका चलाने हेतु उद्योग धन्दो क अभाव मे परेशान हो रहे थे। अत उन्होंने आधुनिक विचारों का तेजी से अपनाया और राजनीतिक आन्दोलनों मे कूद पड़े और आखिर स्वतन्त्रा प्राप्ति के साथ सामन्तशाही समाप्त करके रहे। इन शिक्षित मध्यम् श्रेणी के लोगों मे ज्यादातर ब्राह्मण युवक थे। ब्राह्मण होने के कारण इन लोगों को समाज मे बड़ा आदर था। समाज इनको अपना अगुआ मानता था और इनके द्वारा बतलाये मार्ग पर चलने मे नहीं हिचकिचाया। काश्तकारों मे जाटों की सख्ता बहुत थी। इनका प्रतिशत अन्तिम जातिवार जनगणना के वर्ष (सन् 1941) मे समस्त आवादों का 10 प्रतिशत था। पिछले महायुद्ध के वर्षों मे इस जाति को जोधपुर के बलदेवराम मिठा, बीकानेर के कुम्भाराम आर्य व शेखावटी के हरलालसिंह आदि का नेतृत्व मिल गया। तबसे यह जाति अपने पूल अधिकारों की माग मे सबसे आगे आ गई। सामाजिक भेदभाव दूर करने, लागवाग व अत्याधिक संगान को कम करने के आन्दोलनों मे इस जाति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया। इन आन्दोलनों के कारण स्त्रियों मे भी जाग्रति आई। वे भी नारे लगाने लगी “राज किनो, किसाना रो”, “जमीन कीनी, किसाना री” आदि, आदि। किसान वर्ग इस काल मे काफी शिक्षित हुए और इस कारण वह वर्ग अब सभी शोषों मे महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। आज विधानसभा सदस्याओं मे भी सबसे ज्यादा प्रतिशत किसान महिलाओं का है। सभी उच्च शिक्षा प्राप्त है। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रा आन्दोलनों के कारण सामाजिक परिवर्तन तेजी से आये। आज का युवक कल्पना ही नहीं कर सकता है कि लगभग 40 वर्ष पहले गाड़ों मे जातिवाद, छुप्रादून, दाम प्रथा, देगार, लागवागा आदि का अत्यन्त बोलवाला था। लेकिन अब वे तेजी से लुप्त हो रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति घाउ पर चढ़ार मनचाहे जहा जा सकता है। भगी वा लड़का भी मशी हो सकता है। चमार की

स्त्री भी सोने के गहने पहन सकती है। सरगरा जाति का व्यक्ति पवका मकान बनवा सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है, आदि आदि ।

मेरे पिताजी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन को जैसा देखा उसका वास्तविक चित्रण अपने लेखों में किया। उन्हे तत्कालीन समाज का जीवन सुखद नहीं लगा। यह उनके लेखों से स्पष्ट है। तत्कालीन समाज में वह परिवर्तन लाना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनों को आवश्यक बतलाया। वह स्वयम् मारवाड़ सेवा संघ के मध्ये रह चुके थे और इस कारण उनमें राजनीतिक चेतना काफी थी। ऐसे सिद्धहस्त लेखक की यह पुस्तक वर्तमान पीढ़ी के युवक अत्यन्त उपयोगी पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

चि देवेन्द्रसिंह ने मोनो टाईप में टिप्पणिया देकर पुस्तक को अद्यावधि करने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि उसका यह प्रथम प्रयास अच्छा हुआ है।

28 दिसम्बर, 1973

सुखबीरसिंह गहलोत



‘इतिहास विभूति’ श्री जगदोशसिंह गहलोत

एम आर. ए एस, एफ आर. जी. एस (लन्दन)

भूतपूर्व अधीक्षक, पुरातत्व एव संग्रहालय विभाग,
बोकानेर व जोधपुर खण्ड, जोधपुर

[जन्म 14 - 1 - 1903 स्वर्गवास 22 - 9 - 1958]

लेखक का सक्षिप्त परिचय

(राजस्थान इतिहास परिपद की स्मारिका से सामार)

‘अन्तिम हिन्दू सम्राट हर्ष’ की मृत्यु के बाद से उम्मीसवी सदी के आरम्भ तक राजपूताना एक विस्तृत रणक्षेत्र रहा। यहा का इतिहास शीर्यं, साहस, देशभक्ति और आत्मत्याग का इतिहास है लेकिन राजपूताने के सम्पूर्ण इतिहास का हिन्दी में अभाव था। स्व. जगदोशसिंह गहलोत ने “राजपूताना का इतिहास” लिखकर इस अभाव की पूर्ति की। गहलोतजी ने सस्कृत की पुस्तकों, फारसी तबारीखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों, स्थातों आदि के आधार पर इस इतिहास की रचना की है। रोजिपूताने की प्रत्येक रियासत का भौगोलिक व ऐतिहासिक वर्णन, प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व वित्त सबधी स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन आपके द्वारा ही किया गया है।



“राजपूताना का इतिहास” श्री गहलोतजी के अथक परिश्रम व अध्यवसाय का ही दोतक है। जोधपुर के इस यशस्वी इतिहासकार ने इतिहास, पुरातत्व और साहित्य की साधना में अपने जीवन का अमूल्य समय अपित कर दिया। पुरुषार्थ ही इनके जीवन का मूल-मय था। पट्टना और लियना ही इनका प्रिय कार्य था। जोधपुर-बोकानेर खण्ड के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए भी आप अपनी साहित्य साधना में रत रहते थे। राजपूताने के इतिहास के अतिरिक्त मारवाड़ राज्य का

इतिहास, इतिहास सहायक पचाम, भारतीय नरेश, राजस्थान का सामाजिक जीवन, मारवाड़ का साधिष्ठ वृत्तात, मारवाड़ के ग्राम-गीत, राजस्थान की हृषि कहावतें आदि अनेक पुस्तकों की आपने रचना की। आपकी कृतियों पा बहुत सम्मान हुआ और देश के मूर्धन्य इतिहासकारों, पश्चात्तरों तथा साहित्यकारों ने आपकी प्रशंसा की। उदयपुर के महाराणा ने 2,000), दू गरमुर नरेंग ने 1,200) तथा प्रतापगढ़ नरेण ने 500) राये के पुहस्तार प्रदान कर आपका सम्मान किया। राजदूताने के प्रसिद्ध इतिहासकार रायभट्टादुर डॉ० गोरोगार होराचन्द्र ग्राम ने निवाया 'मारवाड़ राज्य का एका सु-दर, सचित्र आद्योगान्त व्यागन ग्राज तर हिंदी भाषा मे हम हिन्दिगाचर नहीं हुमा। बिनार निर्माता और देगप्रन म्यान स्यान पर भलसता है।' स्व० श्री मदनमोहा मालवीय ने थो गहलानजो का प्रशंसा परते हुए निवाया— "जोधपुर राज्य के निये सतोग य गर घो थात है ति उस राज्य का एक सापूत इनको प्रभिदि प्राप्त इतिहासवता है।'

श्री गहलोत निर्भोर, निढर एव श्रोजम्बो व्यक्ति थे। आपकी रचनामा भ राष्ट्रप्रम तथा गमाज कन्याएं की भावना व्यक्त हुई है। आप समाज के सत्रिय रायंसतों होने के नान ग्राम उसको गतिविधिया मे प्रमुग भाग लेते थे। जोधपुर के सरकारी ग्रनायथपर मे राष्ट्र निर्माताओं के तन चित्रों को एक गेनेरो जाइन का थ्रय आपका हो है। 'तरण राजस्थान' साहित्य पत्र मे आपने राजस्थानी भाषा का प्रबन शब्दा भ गमर्थन किया था। ई० सन् 1925 मे "मारवाड़ा मित्र" नामक राजस्थानी मामिर पत्र का समादन भा द्वान किया था। जोधपुर को आपने इम यगत्तो गूत पर शाज भी गवं है।



राजस्थान का सामाजिक जीवन

सामान्य परिचय

✓ राजस्थान भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस प्रान्त में अधिकतर राजपूत राजा राज्य करते हैं। इसलिये इसको राजपूताना कहते हैं।¹ इसका यह नाम अग्रेजो के समय में पड़ा। वि स 1857 (सन् 1800 ई) में पहले पहल मिस्टर जार्ज टामस ने हो उस प्रान्त के लिये इस नाम का प्रयोग किया था।² यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गोडवाना और तिलगाना (क्षेत्रों के नाम) उन प्रान्तों के लिये हैं जिनमें गोड और तेलग लोग बसते हैं। यहाँ राजपूतों की सह्या अन्य जातियों—जाटों आदि को देखते कम हैं लेकिन राजपूतों के अधिक प्रभावशाली होने से ही यह प्रान्त राजपूताना कहलाया।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नेल टॉड ने वि स 1886 (ई सन् 1829) में इस प्रान्त के लिये अपने इतिहास में “राजस्थान” शब्द का प्रयोग किया था।³ इसके पूर्व यह प्रान्त कभी भी राजस्थान या अन्य ऐसे ही एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा। इसके भिन्न-भिन्न क्षेत्र भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते थे।

इस प्रान्त का आकार एक पत्तग के ममान चौरांग है। यह 23 अश 3 कला से 30 अश 12 कला उत्तर अक्षांश और 69 अश 30 कला से 78 अश 17 कला पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल

1. वित्तम फ्रेक्टिन, मिलीट्री मेसायर्ट आंक मिस्टर जार्ज टॉमस, पृष्ठ 347, सन् 1805 ई (लैटन संस्करण)

2. टॉड, एनाल्स एंड ऐटिविटीज आंक राजस्थान, भाग 1, नूमिका (सन् 1829 ई. का संस्करण)

* फारसी-में राजपूत का बहुवचन ‘राजपूता’ लिया जाता है। अन-

1,35,052 वर्ग मील¹ है और इसमें 148 शहर और 34,376 गांव हैं।² अब इस प्रान्त में 1,20,81,880 मनुष्य वसते हैं।³ इस प्रान्त के उत्तर और उत्तर-पूर्व में पजाव, उत्तर-पश्चिम में पजाव प्रान्त का भावलपुर राज्य, पूर्व में सयुक्तप्रान्त (यू. पी.) और ग्वालियर राज्य, दक्षिण में मध्यभारत और गुजरात के ईडर आदि राज्य हैं तथा पश्चिम में सिन्ध प्रान्त है।⁴

इस प्रान्त में 21 राज्य, 2 खुदमुखियार ठिकाने (जागीर) और बीचो-बीच में एक छोटा-सा हिस्सा अग्रेजी इलाके का है, जो “अजमेर में बाड़ा” के नाम से पुकारा जाता है। 21 राज्यों में उदयपुर, दूँगरपुर, वासवाढा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा गहलोतों (सिसोदियों) के, वूँदी, कोटा और सिरोही चौहानों के, करोली और जैसलमेर यादवों के, जयपुर व अलवर कछवाहों के, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ राठोड़ राजवंश के, भालावाड़ भाला राजपूतों का, दाता परमारों का, भरतपुर और घोलपुर जाट नरेशों के, और टोक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने के अधिकार में हैं।⁵ कछवाहो का लावा नामक स्वतन्त्र ठिकाना टोक राज्य में होने पर भी वि स 1924 (ई सन् 1867) से अलग गिना जाता है। ऐसे ही राठोड़ों का कुशलगढ़ ठिकाना भी स 1925 (ई 1868) से वासवाढा राज्य से स्वतन्त्र है।

1 सन् 1931 ई की जन गणनानुसार राजस्थान का क्षेत्रफल 1,29,59 वर्ग मील था परन्तु इसमें अजमेर मेरवाडे का क्षेत्रफल 2,711 वर्ग मील जामिल नहीं था। सन् 1933 ई में दो ग्राज्य पालनपुर और दर्बना राजस्थान ऐजेन्सी में और जामिल किये गये। इनका क्षेत्रफल 2,115 वर्ग मील भी अलग पा। इन सबको जोड़ने से अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,35,052 वर्ग मील होता है और इस प्रकार मनुष्य गणना भी जोड़ने से 1,12,25,712 से अब 1,20,81,880 होती है।

2 इस स्थाना में पालनपुर राज्य के 520 गांव तथा 2 शहर और दाता राज्य के 172 गांव भी जामिल हैं।

* बर्तमान राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,32,147 वर्ग मील है तथा सन् 1971 की जनगणना के अनुमार जनसंख्या 2,57,65,806 हैं जिनमें पुरुष 1,34,84,383 तथा स्त्रिया 1,22,81,423 हैं।

¹ राजस्थान के उत्तर में पजाव का कुछ भाग तथा हरियाणा प्रान्त, उत्तर पूर्व में उत्तरप्रदेश, पूर्व में मध्यप्रदेश दक्षिण में गुजरात और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हैं।

² पालनपुर व दाता राज्य दो गुजरात राज्य के भाग हैं। राजपूताना ऐजेन्सी भारत के स्वतन्त्र होने पर हट गई और उसके हटने के साथ ही ये दोनों राज्य पहले बम्बई प्रान्त के और अब गुजरात राज्य में भाग बन गये हैं।

ऐतिहासिक भूत्व

राजस्थान वह वीरभूमि है जिसकी समानता भारतवर्ष का अन्य कोई भी स्थल नहीं कर सकता है और यह भी लिखना अनुचित नहीं होगा कि इस भूमि का सा गौरव ससार के अन्य किसी भी स्थान को प्राप्त नहीं हो सका है। यद्यपि ससार के इतिहास में अनेक वीरों के देश-प्रेम से भरे कारनामे देखने को मिलते हैं तथापि वे राजस्थान के वीरों और वीराग-नायों के चरित्रों से तुलना करने पर कीके लगते हैं। इसी से यह स्थल भारतवासियों के लिये वास्तविक तीर्थ स्थान सा है। हमारे भारतीय नवयुवकों को भारतीय वीरता, धर्म व प्राचीन आदर्शों को जानने के लिए दूर-दूर के देशों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कोना-कोना वीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता धर्म, आन, मान और शान पर मर मिटने के भावों से गूँज रहा है। यहाँ के वीरों के कार्यों का मुनक्कर एक बार तो कायर के हृदय में भी वीरता का सचार होने लगता है। इस वीर-भूमि की प्रशंसा करने में विदेशी विद्वान् भी नहीं अध्याते हैं। कर्नल टॉड ने ठीक ही लिखा है कि “राजस्थान में कोई छाटा राज्य भी ऐसा नहीं है कि जिसमें (यूरोप की) थर्मोगाली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ ग्रीष्म वीर लियोनिडाम के ममान मातृ-भूमि पर वलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।”*

महाराणा सांगा, जयमल, रावत पत्ता, महाराजा प्रतापर्सिह, दुर्गादास राठोंड आदि अनेक वीरों और पश्चिमी भोगवाई, पन्नाधाय, गोराधाय आदि देवियों की यह जन्म भूमि है। इसे देश के लिए मर मिटने वालों का वलिदान-कुण्ड भी कह सकते हैं। वीरों का आत्म वलिदान और वीर नारियों का ‘जीहर’ का बठिन अभिधारा वत ही राजस्थान की अमूल्य और अक्षय निधि है। यहाँ के वीरों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए निर्भय होकर अपने जान और माल कुरवान किये थे और यहाँ की वीरांगनाओं ने त्रिना हिचकिचाहट के अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी और अपने बाल-बच्चों

1. पुढ़ो मे जब राजपूत बच्चे की कोई आशा नहीं देखते थे तब अपनी स्त्रियों को विधियों से बचने के लिए अग्नि मे समर्पण करने की आज्ञा देते थे। इसे “जीहर” कहते थे।

* कर्नल जैस्ट टॉड-एनल्स एण्टोनीटोटीज आफ राजस्थान, जिल्ड,

की आहुति दे डाली थी । ऐसी भूमि के प्रत्येक स्थल पर यहाँ के रण-वाँकुरों की गोरव गाथा भरी पड़ी है और यहाँ के पत्थर और मिट्टी तक भी इन वीरों के रक्त से सिंचे होने की गवाही देते हैं । चित्तौड़, कुम्भलगढ़, जैसलमेर, मण्डोर, सिवाना, रणथम्भोर, भरतपुर और जालोर के सुदृढ़ दुर्गों की दीवारों से आज भी क्षत्रियों के प्रवल पराक्रम और वीरागनाओं के जीहर की प्रति-ध्वनि निकल रही है । बास्तव में उन ललनाओं के साहस की जितनी प्रशसा की जाय उतनी थोड़ी है, जिन्होंने आन के लिए ही अपने पति, पुत्रों और कुटुम्बियों को रणक्षेत्र में भेजकर उनके पीछे की चिन्ता को दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपने सिर तक काट डाले थे । वीर बाला का, मोह को त्याग कर रणक्षेत्र को विदा करते हुए अपने पति के हाथ में घड़े उत्साह से रण-ककण वाँधने का हश्य कवियों और भाट-चारणों के मुख से स्पष्ट हो जाता है —

फंकण बधन रण चढण पुत्र बधाई चाव ।

तीन दिहाड़ा त्याग 'रा काँई रंक काँई राव ॥

ये ही रमणियाँ अपने कुटुम्बियों के केसरिया वस्त्र पहन कर युद्ध में वीर गति प्राप्त कर लेने पर दहकती हुई चिताओं में अपने को मल शरीर की आहुति दे डालती थी । यही नहीं, बल्कि वहुत-सी देवियों ने समय आने पर रणचण्डी का रूप धारण कर अपने खड़ग से शशुदल को धास की तरह काटकर अन्त में आत्म-बलिदान किया था । इसीसे आज भी यह भूमि उस हश्य की याद दिलाती है जबकि भीपण युद्ध में सैनिक अपने शत्रुओं के मुण्डों को गेद की तरह उछाल कर अन्त में स्वयं भी महानिद्रा में शयन कर जाते थे । इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को देखने से हल्दीघाटी की भीपगा लडाई, राजपूत वीरों की ललकार, महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठोड़ जयमल और सिसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम मिर्जा राजा जयसिंह के युद्धकीशल, महाराजा जसवन्तसिंह के अदम्य उत्साह, राठोड़ दुमरीदास के देश प्रेम और वीर सतियों के जीहर के चित्र मानसिक पटन पर खिच जाते

1 दान देना । राजस्थान में भाट, चारण और नवकारची (दमासी) लोगों को जो दान विवाह आदि के समय दिया जात है उसे "त्याग" कहते हैं । (देखो कायदा बाबत खर्च शादी व गमी व त्याग कीम राजपूत मुज़दिवजे जनरल कमेटी राजस्थान अजमेर सन् 1888 ई पृष्ठ 1 तथा कानून शादी और गमी बाल्टरकृत राजपूत हितकारियों सभा, राज मारवाड़ पृष्ठ 8 सन् 1891 ई)

है और साथ ही सहमा मुँह से य शब्द निरन पढ़ने हैं फि “राजस्थान ! तू धन्य है, राजपूत जाति तेरी कीति अटल है ! बोर क्षत्राणिया ! तुम्हारा दूध उज्ज्वल है ! ”

यहाँ के सामान्य ध्यति भी समय पढ़ने पर मान रक्षा के लिए प्रागा देने मे मोह नहीं करते थे । इसी मे आज दिन तक यहाँ के गाँव-गाँव मे कहा जाता है —

धर जाना धरम पलटता त्रिया पड़ता ताव ।

ओ तोनुहि दिन मरण रा कहा रक कहा राव ॥

अर्थात्, जब कोई अपना धरया धर्मो छोनने को तैयार हो, जब अपने धर्म पर आपति आवे और जब स्त्री जाति का अपमान होता हो तब प्रत्येक गरीब और अमीर को अपने प्राणों की वलि देने मे सकोच नहीं करना चाहिए ।

जप हम इतिहास मे उपरोक्त दोहे के अनुसार, विना जाति पाति के भेद भाव के, सबको एक साथ रणभूमि मे हृष के साथ जाने का बृनान्त पढ़ते हैं तब हमारा मस्तिष्ठ अभिमान से ऊँचा हा जाता है । वह कैसा स्वर्णीम समय था जब मातृभूमि की रकाथ यहा ऊँचनीच का भेद भुला कर क्या राजा और क्या रक एक माय क्षेत्र से कन्धा लगाकर शत्रु से रणभूमि मे जूँझते थे । ऐसे जूँझारो के प्राय प्रत्येक ग्राम मे पवित्र स्मृति चिन्ह जहा तहा मिलत है ।

इन्ही सब अद्वितीय और महत्वपूर्ण घटनाओ के लिए ही राजस्थान भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मणीय घटना-स्थल है । यह भूमि भारत की नाक है । यहो भारतवर्ष का प्राण है । यद्यपि राजस्थान का सिंह आज सोया हुआ है और यहाँ को जनता अविद्या, अकोम व मदिना रुरी शत्रुओ से घिरी हुई है तथापि इसके पूर्ववर्ती चरित्रो को देखो हुए भारत का कौन ऐसा पुरुष होगा जिसके हृदय मे यहाँ पर हुई घटनाओ का स्मरण कर देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नहीं पेंदा होगा ? इस समय का शाचनीय दशा मे भी यही एक स्थल है जहाँ पर प्राचीन आर्य सम्प्रता राजनीति और क्षत्रियो की प्राचीन विभूतियो के दर्शन हो सकते है । इस पवित्र धरती का न्मरण करने से ही श्रद्धा से तिर भुक जाता है । यहाँ के इतिहास के पाने उलटते ही मुर्दा दिल मे भी जोश आ जाता है और कायर पुरुषों तक की भुजाएँ फड़ने लगती है ।

प्राचीन राजस्थान

जो प्रदेश इस समय राजस्थान कहलाता है वह प्राचीन काल में समुद्र जल से ढका हुआ था। भूगर्भवेत्ता इस बात से सहमत है, क्योंकि अब तक यहां पर सीप, शख, कौंडी आदि अनेकों सामुद्रिक पदार्थ मिलते हैं।¹ महाभारत के समय में राजस्थान का उत्तरी भाग (नागीर, वीकानेर आदि) जांगल देश² और पूर्वी भाग (जयपुर, अलवर आदि) मत्स्य देश कहलाता था और यहीं पर पाँडवों ने गुप्त भेष में एक वर्ष व्यतीत किया था।³ महाभारत के मुद्द से लेकर वि स 264 वर्ष पूर्व (ई सन् पूर्व 321) तक का राजस्थान का इतिहास विलकुल अन्धकार में है। इसके बाद मीर्य वश के प्रसिद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त और उसके पौत्र सम्राट् अशोक का राज्य इस प्रदेश पर भी रहा था। जयपुर राज्य के बैराट् (विराट्)⁴ कस्बे में अशोक के दो शिलालेख वि स पूर्व 193 (ई सन् से 250 वर्ष पूर्व) के मिलते हैं। इसके 200 वर्ष पूर्व के आस पास जब यूनानी (ग्रीक) लोग उत्तर-पश्चिम से भारत में आये तब उनका अधिकार भी यहां रहा था और उन लोगों ने

1 महाभारत बनपर्व अ 23, श्लोक 5, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग 2, अंक 3, स 329, स 1978 वि ।

2 यही, पृष्ठ 333 ।

3 बैराट् नाम के अनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु बैराट् (विराट्) जिसका वर्णन महाभारत में आया है वह मत्स्य देश की राजधानी थी और वह बैराट् अब राजस्थान में जयपुर राज्य के अन्तर्गत है।

4 कनिंगहम, कार्पंस् इन्डिपेन्स इंडिकेरम भाग 1 पृष्ठ 96-97

* आज से लगभग 1,20,000 पूर्व राजस्थान की चम्बल, बनाम, मभीरी, बैठच, बागा, लूणी आदि नदियों के किनारे पर मानव बस्तिया वस गयी थी। प्रारम्भ में ये लोग गुफाओं व पेड़ों पर रहते थे तथा जगली जानवरों को मारकर या जगली पेड़ों के फल फूल इकट्ठडे कर याते थे। इस युग का इतिहास अभी तक स्पष्ट नहीं है। राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है। सासार के अन्य राष्ट्रों का क्रमबद्ध इतिहास इसी समय से आरम्भ होता है। यगानगर जिसा के बालीबगा, नोहर, सोयी आदि स्थानों की खुदाई करने पर वहां कई बस्तियां मिली हैं। इन बस्तीयों के लोग बाफी सम्य थे। इनकी सस्कृति “सोयी सस्कृति” कहलाती है, तथा हड्डिया सम्झूति से भी प्राचीन है। इनकी सोयी सस्कृति के लोगों के बाद हड्डिया सम्झूति वाले लोग यहां आकर वसे। इनका समय लगभग चार हजार वर्ष पूर्व का है।

जो प्रदेश जीते थे, उनमे “नगरी” या माध्यमिका नाम की पुरानी नगरी वा वर्णन भी मिलता है।¹ वह नगरी चित्तोड़ के पास थी। अब उसके खण्डहर चित्तोड़ के बिले मे 7 मील उत्तर मे स्थित है। यूनानी नरेणो मे दो राजाआ (एपालोडार्टिस और मिनेडर) के कई मिस्र के भेवाड ने मिले हैं।² इसा को दूसरी शताव्दी मे चौथो शताव्दी तक शक (मिदियन) लोगो का राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भागो पर अधिकार रहा और शक सवत् 72 (वि स 207=ई सन् 150) का गिरनार स मिले लेन से शक नगेश लद्दामा का राज्य मर (मारवाड) और मावरमती के आस पास तक फैला होना प्रकट हाता है।³ चौथो शताव्दी के अन्तिम भाग मे लवर छठी शताव्दी तक मगध के गुप्त वश का राज्य राजस्थान के कई भागो पर रहा था।⁴ बाद मे हूणो के राजा तोरमाण ने गुप्त को निकाल दिया।⁵ सातवी शताव्दी के शुरु मे हर्षदर्थन ने, जो बैस वश का धनिय राजा था, थारोश्वर और कम्भोज का अपनी राजधानी बनाया और राजस्थान का बहुत सा हिस्सा अपने नज्य मे मिला लिया।⁶

सवत् 696 (ई म 639) के लगभग जप्त चीनी यात्री हुन्नसाँग भारत मे भ्रमण वरता हुया राजस्थान मे आया तब उसने राजस्थान को चार भागो मे बैटा हुया पाया था। अर्थात् पहला युर्जेर (जिसमे जो पुर, बीकानेर और शेखावटी का कुछ भाग था), दूसरा वधारि (दागड़) (जिसमे दक्षिण भाग और बीच का कुछ हिस्सा था) तीसरा बैगठ (जिसमे जयपुर, अलवर और टोक का कुछ हिस्सा था) और चौथा मथुरा था (जिसमे आधुनिक भरतपुर, धीलपुर और करीली के वर्तमान राज्य थे)। 7वी ने 11वी शताव्दी के बीच राजपूत जाति के कई वश प्रमिद्धि मे आये, जिन्होने अपने बाहुबल से यहा के आदि निवासियो व विदेशियो ता हटा कर अपने अपने राज्य स्थापित किये। ये गहलोत, पडिहार, चोहान और भाटी (7वी शताव्दी), परमार, सातवी (10वी शताव्दी),

1 कर्तिगहम, आर्यिलाजिकल सबै रिपोर्ट भाग 6 पृष्ठ 203।

2 नागरी प्रवारिरणी पत्रिका, नवोन सस्करण भाग 5 पृष्ठ 203।

3 इण्डियन ऐटिविटेशन भाग 7 पृष्ठ 259।

4 पचोट, गुप्त इन्शिपशन्स पृष्ठ 141।

5 ऐजेंट्राफिया इण्डिक्शन भाग। पृष्ठ 239।

6 बोत बुद्धिस्त रेकडज ग्रांक दी बेस्टमें बल्ड, भाग। पृष्ठ 213-219

नाग, जीधेय (जोहिया), तंवर, दहिया, डोडिया, गोड, यादव, कछवाहा और राठोड आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाहरवो शताव्दी में मुमलमानों के आक्रमण के समय इन्हीं राजपूत राजवंशों के राज्य राजस्थान में फैले हुए थे।

राजस्थान का यत्नपान रूप

राजनैतिक शासन के लिहाज में राजस्थान की देशी रियायतों का सम्बन्ध भारत सरकार के एजेन्ट दू गवर्नर जनरल (ए जी जी) अजमेर के द्वारा है। इन रियासतों के समूह बने हुए हैं जिनमें एक एक अ ग्रेज राजदूत (रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्ट) रहता है। मेवाड़ रेजीडेन्सी व दक्षिणी राजस्थान स्टेट एजेन्सी (उदयपुर) के मातहत उदयपुर, दू गरपुर, वासवाडा और प्रतापगढ़ हैं। पश्चिमी राजस्थान रेजीडेन्सी (जोधपुर) के अधीन जोधपुर, जैसलमेर, पालनपुर और दाता के राज्य हैं। जयपुर, अटवर, शाहपुरा, टोक और किशनगढ़ का सम्बन्ध जयपुर रेजीडेन्सी, (जप्पुर) से है। पूर्वी राजस्थान स्टेट्स एजेन्सी (भरतपुर) के अन्तर्गत भरतपुर, बूदी, कोटा, भालावाड, करोली और धोलपुर की रियासतें हैं। बीकानेर और सिरोही राज्यों का सम्बन्ध सीधा ए. जी जी (रेजीडेन्ट राजस्थान) से है।

इन रेजीडेन्टों या पोलीटिकल एजेन्टों (राजदूतों) के माध्यम से देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच लिखा-पढ़ी होतो है और आवश्यकतानुसार राज्य के आतंरिक मामलों में भी राजाओं को सलाह दिया करते हैं। राज्यों के शासन प्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती है। विना अ ग्रेज सरकार की आज्ञा के ये नरेश किसी विदेशी सत्ता से सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं। आज कल भारतीय नरेशों की शिक्षा, लालन पालन वहुधा अ ग्रेजी रणनीति से और गोरे अध्यापकों द्वारा ही होती हैं। इससे वहुधा नरेश अपने देशी रीति रिवाजों को भूलते चले जा रहे हैं।

किसी समय इन राजाओं के लिए अ ग्रेजी भाषा में “किंग” (राजा) शब्द का प्रयोग किया जाता था किन्तु आजकल इनके लिए “चीफ” या “प्रिन्स” शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि ये देशी नरेश अपने को “राज राजेश्वर” और “महाराजधिराज” लिखते हैं।

निवासी

सन् 1931 की जन गणना के अनुसार राजस्थान की आवादी 1,12,25,712 हैं, जिसमें 13,08,271 लोग कस्बो में और शेष गावों में रहते हैं।¹ यहां प्रति वर्गमील 76 मनुष्य औसतन निवास करते हैं। 35 मनुष्य प्रति वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान और 79 दक्षिण के उपजाऊ भाग में और 165 प्रति वर्गमील पूर्वी भाग में रहते हैं। सब से घनी आवादी भरतपुर राज्य में है जहाँ प्रति वर्गमील 316 मनुष्य निवास करते हैं और सबसे कम आवादों जैसनमेर में है जहाँ प्रति वर्गमील 4 मनुष्य रहते हैं।² कुल आवाद नगरों की संख्या 145 और गावों की 33,688 है।³ इनमें अनेक जातियां निवास करती हैं जो मुख्यतया तीन विभागों में वाटी जा सकती हैं, अर्थात् हिन्दू, मुसलमानों और आदिवासी।⁴ हिन्दुओं में बहुत सी जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, भाट, महाजन (वैश्य), जाट, माली, गूजर आदि हैं परन्तु विशेष जातियाँ जो राजस्थान के बाहर दूसरे प्रान्तों में नहीं पाई जाती हैं, उनके नाम यह हैं —

(1) जोधपुर, जैसनमेर, बीकानेर और सिरोही राज्यों में मेघवाल (भावी, डेढ़, बलाई) रेगर, वावरी⁵ (मोगिया) भील, थोरी, नायक, भोपा,

1 मनुष्य गणना के इन सब आंकड़ों में अनमेर, मेरवाडा और पालनपुर तथा दाँता राज्यों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

2 यह जुम्ब पेशा जाति मानी जाती है जो मेघाड में मोगिया और जयपुर में बोहरे कहलाती है।

* राजस्थान में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,56,65,806 है जिनमें 45,63,791 लोग नगरों में रहते हैं। कुल नगरों की संख्या 152 तथा गावों की संख्या 32,241 है।

[±] सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का औसत घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्ये अधिक घनत्व भरतपुर जिले में 184 है। द्वितीय स्थान जयपुर जिला का 177 है। सर्वे बम घनत्व जैसलमेर का 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

+ सन् 1971 की जनगणना के अनुमार हिन्दुओं की संख्या 2,30,93,895 है। इनमें से अद्वृतों की संख्या 40,75,580 है।

§ सन् 1971 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या 17,78,275 है।

बीसनोई, गाँधा, कुनवी, मीणा, सीरवी, सरगरा, रेवारी, रायका, वेद, धाणका, वर्गी, डाकोत, (दीशाश्री), दरोगा (रावणा), वारी,¹ (रावत) राठ (लोक) गरसिया, घोसी (मुसलमान खाला), घाची, (हिन्दू खाला). ढवगर, सासी, सरभगी, साटिया, गवारिया, जागरी,² भगत,³ मोतीसर, चारण, सेवग (भोजक, शाकद्विषी), सालवी और रगड हैं।

(2) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वी रियासतों में अहीर, खटीव, मेव, मीणा, वारहसेनी (द्वादस थे एंगो), चतुरसेनी, और सेनी।

(3) उदयपुर, हू गरपुर और दक्षिणी रियासतों में डाँगी, घावड, भील, मीणा, हूमड, अजना।

(4) किशनगढ़, अजमेर—मेरवाडा में मेर, चीता, रावत आदि।

प्राचीन काल में भारतवर्ष में बेवल चार वर्ण थे जो गुण, व्यवसाय, स्वभाव, सस्कृति आदि के आधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शुद्र माने जाते थे, बेवल जन्म से ही नहीं। अर्थात् ब्राह्मण गुण कर्म आदि से शूद्र बन जाता था और एक शूद्र अपने बो ब्राह्मण तक बना सकता था। आपस में खान पान में कोई रोक टोक नहीं थी। शुद्रता का विचार अवश्य रखा जाता था। पुराणों में अनेकों उदाहरण वर्ण परिवर्तन के मिलते हैं। यो मामान्यत शूद्र वही होते थे जिन्हे आर्य लोग जीत कर अपने समाज में सम्मिलित कर लेते थे। उनका सास्कृतिक धरातल निष्ठ बोटि का होता था। चीनी यात्री हूवेनसाग के भारत भ्रमण के समय (ई सन् 630-645) तक भारत में 4 वर्ण थे। बोद्धकाल (ई सन् से पूर्व 300 से सन् 500 ई) में तो जन्म सम्बन्धी जातीय और सामाजिक नियम नहीं थे इसलिये वे विना जाति और वर्ग का विचार किये हो वैवाहिक सम्बन्ध करते थे। जोधपुर में मिले वि स 894 चंत्र सुदि 5 (ई सन् 837 की 15 मार्च, गुरुगार) और स 918 चंत्र सुदि 2 (ई सन् 861 की 17 मार्च, सोमवार) के शिला लेखों से पाया जाता है कि ब्राह्मण

1 यह लोग परतों के दोने ओर पतल बनाकर बेचते हैं। आगरा, इलाहाबाद व लखनऊ में भी 'बारी' नाम की एक जाति है जो यही पेश करती है और भूठन भी उठाती है।

2 व 3 हिन्दू वेश्याओं के बाप भाई आदि। जागरी लोगों की बहन देटिया 'पातर' और भक्तों की भक्तण कहलाती है। यह दोनों जातियां अलग अलग हैं।

हरिश्चन्द्र की दो पत्नियों में से एक ग्राहण और दूसरी धर्मिय जाति की थी। मारवाड़ से जावर कन्नोज में अपना राज्य स्थापित करने वाले पड़ीहार राजा महेन्द्रपाल के गुरु राजशेखर ग्राहण की विदुयों पत्नी अवन्ति सुन्दरी चौहान वंश की थी। इन जातियों व उपजातियों के कारण देशभेद, धर्मभेद, व्यवसाय भेद एवं अविद्या था। जाति के भमेलों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि 4 वर्णों के स्थान पर अनेकों जातियाँ बन गई और परस्पर विवाह सम्बन्ध की बात तो दूर रही राने पीने में भी यड़ा भेद हो गया। एक ग्राहण दूसरे ग्राहण के हाथ का खाना नहीं सा नक्ता था और न विवाह कर सकता था। वारहवी शताव्दी तक ग्राहण वर्ग में कोई जातिया या उपजातिया नहीं बनी थी। गोड़ और पच द्वारिंद का भी भेदभाव नहीं था। वि स 1200 के बाद सम्भवत मासिहार और अग्राहार के कारण यह भेद आरम्भ हुआ और बाद में नगरों क्षेत्रों आदि के नाम से ग्राहणों की भिन्न भिन्न जातियाँ बन गईं।¹ इसी प्रकार दूसरे वर्णों की दशा हुई और अब 4 वर्णों के स्थान पर 2,378 जातियाँ बन गई हैं। वई जातियाँ तो ऐसी हैं कि उनसी मध्या 15 परिवार में अधिक नहीं हैं और उन्हीं 15 परिवारों में उनका विवाह सम्बन्ध आदि होता है।

गजम्यान में जातिवाद अन्य प्राता वा भाति ही काफी फैला हुआ है। शिक्षित ज्यादा नहीं होने के कारण यहाँ सभी वा इसमें विश्वास हैं। जाति के अनुसार ही किसा भी व्यक्ति वा मान व प्रादर रखा जाता है तथा कथित ऊचों जातियों वालों से ग्रच्छा व्यवहार रखा जाता है लेकिन पिछड़ी जातियों के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं रखा जाता है। इस कारण पिछड़ी जाति के लोग बहुत ही कष्टप्रय जीवन बीताते हैं। उन्हें सोना व चान्दी के गहने पहनने तक की इजाजत नहीं है। सामन्त लोग तो इतने स्थीवादी हैं कि यदि पिछड़ी जाति को कोई स्त्री गहना पहन लेती है तो उससे गहने उतरवा लेते हैं और उमका समाज में रहना मुश्किल कर देते हैं। अद्यूतों को पानी पीने के लिये सार्वजनिक कुओं पर जाने नहीं दिया जाता है। जो पानी पशु पीते हैं वही पानी उन्हें लेन दिया जाता है। उच्च जाति वाले तथाकथित पिछड़ी जाति के लोगों के हाथ का न तो खाना खाते हैं और न उठते बैठते हैं। सामान्यत उच्च जातिवाले तथा पिछड़ी जाति वालों के मोहूले तक अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हिन्दू जाति के लोग

6 चिन्तामणि विनायक वैद्य कृन हिन्दू भारत का अन्त (मध्यपुणी भारत) भाग 3 पृ 578-580 हिन्दू अर्णु मेडीएवत इंडिया जिल्द 3 पृ 375 से 381।

हिन्दू होते भी एक नहीं हो पाते हैं। इनमें मुसलमानों में भी हिन्दुओं के देसा देखी अपने में मुगल संव्यव शेख, पठान आदि जातियाँ और उपजातियाँ-पिजारा, तेली रगरेज, प्रिसाती लोहार, जुनाहा कुंजडा, सिलावट, मीरासी आदि बना डाली। इससे उनमें भी शादी व्यवहार वा भेद हो गया है।

राजस्थान के ज्यादातर देशी राज्यों में राजपूत ही शासक है। अत यहाँ पर उनका उल्लेख करना यावश्यक है। यहाँ की 21 रियासतें राजपूत जाति की भिन्न भिन्न खाड़ी (वशा) के अधीन हैं। सामान्यतः राजपूत सुडोल, कहावर और मजबूत होते हैं। इनमें दाढ़ी रखने का रिवाज है परन्तु आजकल इनका रिवाज उठ रहा है। ये नोग मान मर्यादा और आनंदान के लिए अपना जान हथेली पर रखते आये हैं। अपने राज्य जाति और मान मर्यादा को बचाने के लिए वेसरिया करना और बाल-बच्चा सहित शशु के साथ लड़कर मर जाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी बारण अन्य जाति के लागे इनका आदर करते आये हैं। लकिन अब समय बदलता जा रहा है। अब केवल शारारिक बल व तलबार के भरोसे पर न रहवार मानसिक स्वस्थ्य व कलम के धनी व्यक्तियों का जमाना आ रहा है। अब भूमि पर खेती कराने वालों के बदल खेती करने वालों को महत्व दिया जा रहा है। खेती न करने वाले राजपूतों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति गिरती दिखाई दे रही है। अत राजपूतों का युग वे परिवर्तनों की आर ध्यान देवार अपने में भी परिवर्तन लाना चाहिये।

राजस्थान में राजपूत 6 33 830 हैं जिसमें अजमेर-मेरवाडा जिला में 17 273 हैं। रजवाडों में इनकी खापवार-गणना (सन् 1931 ई की मनुष्य गणनानुसार) इस प्रकार है—

खांप	पुरुप	स्त्री	कुल जाड़
राठोड़	90 653	72 481	1,63 134
कछवाहा	60 889	35 459	96 429
चौहान	46 699	41 995	88 694
यादव	33 285	28 564	61 849
गहलोत (सिंहोदिया)	30 142	24 596	54 738
पंवार (परमार)	21 111	14 977	36 088
पडिहार	11 406	11,047	22 453
तवर (तोमर)	11,200	9 668	20 868

सोलकी	10,232	8,857	19,089
गौड़	3,061	2,246	5,301
भाला	2,753	2,315	5,068
बडगूजर	1,711	1,436	3,147
चन्देल	92	62	154

यद्यपि राजपूत लोग भव एक ही है परन्तु इनमें भी एक दूसरे के धन और हैसियत के लिहाज से और कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक दूसरे से खानपान और व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। जैसे राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा स्त्री का नाता (करेवा-पुत्रविवाह) होता है। मनुष्य गणना आदि अवसरों पर इन “नातारायत राजपूतों” का गणना शुद्ध राजपूतों में होती है और उसमें “नातारायत” आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन, सम्पत्ति, जमीन-जायदाद वाले इनको अपने बरावर नहीं समझते हैं क्योंकि यह थोक साधारणतया गरीब होता है। ये लोग दूसरे राजपूतों की भूमि बोते हैं। इनकी कन्याएँ कभी कभी बड़े-बड़े ठाकुरों के यहाँ भी व्याह दी जाती हैं। कहावत भी है कि “नातगयत की तीजी पीढ़ी गढ़ चढ़े हैं” ।¹

राजपूतों के विवाह सम्बन्धी यह आम रिवाज है कि एक खाँप (कुल) में विवाह नहीं हो सकता है जैसे राठीड़ खाँप का पुरुष, राठीड़ वश और उसकी शाखा या प्रशाखा को कन्या से विवाह नहीं कर सकता है परन्तु राजपूत जाति के अन्य वशी में कर सकता है अर्थात् इस जाति में एकसो-गेमस यानि विवाह में निज वश के टालने का रिवाज है। उत्तराधिकारा केवल पुरुष हो होता है। मगनी-सगाई के मौके पर दोनों ओर के लोग अपनी विरादरी के सामने अफीम गलाते हैं और उपस्थित लोगों को पिलाते हैं। इसके बाद सगाई पक्की समझी जाती है।

विवाह के लिये दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता है। राजा महाराजाओं की शादी जव कभी उनके आवित जागीरदार या कम हैसियत वाले कन्या के साथ होती है तक कन्या वाले की तरफ से डोला पेश होता है अर्थात् उस कन्या को वर के निवासस्थान पर पहुँचा कर वही विवाह की रीति पूरी की जाती है।

1. जोधपुर राज्य की ओर से प्रकाशित “मारवाड़ की कौमों की उत्पत्ति व इतिहास” पृ 44 (सन् 1891 की जनगणना) ।

राजपूत जाति में जब किसी मनुष्य का देहान्त हो जाता है तो उसको पलग से जमीन पर ले लेते हैं और उसके ललाट, वाह और कठ पर चन्दन का तिलक किया जाता है। पश्चात् यदि यह व्यक्ति धनी होता है तो उसकी मृत्यु समय उसे पद्मासन बैठा देते हैं और नहलाकर चादर ओढ़ा देते हैं। साधारण लोगों में मृतक पुरुष को सुना दिया जाता है। धनी लोगों में सिर्फ मृत पुरुषों को ही विमान (बैकुण्ठी)¹ में बिठला कर गाजे वाजे से मरघट ले जाते हैं। शब के आगे प्राय रूपये पैसे आदि की बखेर² (बौद्धार) ऊट सवारो द्वारा की जाती है। साधारण लोगों को मुला कर और सब अँग मय मुँह के ढक कर दा वाँसो को रथी (सोढी) में बस कर शमशान में ले जाते हैं। दाह किया के बाद जब कभी मौका मिलता है तब भस्मी (राख) और फूलों (हड्डिया) को आस पास की नदी या हरिद्वार (गगा नदी) में डाल देते हैं। मृत्यु मूचक शोक में भाई, लड़के व नौकर अपनी दाढ़ी व सिर मुँडवाते हैं तथा सफेद पगड़ी पहनते हैं। यह शोक 12 दिन तक साधारणतया मनाया जाता है, जिसमें आमपास के रिश्तेदार व मित्र सहानुभूति प्रकट करने के लिये आते हैं। वाहरव इन यथागति दान पुण्य कर स्वजाति लोगों को भोजन खिलाया जाता है। निकट सम्बन्धी लगभग एक वर्ष तक कोई त्याहार नहीं मनाते हैं और शोक मूचक सफेद या पक्के रग की या आसमानी पगड़ी पहनते हैं। पुरुषों की भाँति ही स्त्रिया भी शोक मनाती है। स्त्रिया मृतक का नाम लेकर ज्यादा ही रोती है और कभी तो उनका रोना छोग की हृद तक पहुँच जाता है। विवाह तथा मृत्यु के ये रिवाज सामान्यत और जातियों में भी प्रचलित हैं।

अन्य कुछ जातियों का विवरण इस प्रकार है —

ब्राह्मण—राजपूतों के बाद सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जाति ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों में श्रीमाली, दाधीच, पुष्करना, पालीवाल, पारीख, खण्डेलवाल आदि आते हैं। इनका धन्या पूजा पाठ के अलावा

1 बैकुण्ठी यह एक छतरीदार ठाकुरजी (देवमूर्ति) के सिंहासन के जैसा लकड़ी का ढाँचा होता है जो उसी समर्थ तंत्रज्ञान किया जाता है। इसमें मूल पुरुष का पद्मासन में बिठला कर गाजे वाजे से मरघट ले जाते हैं।

2 बखेर (उद्धार) यह राजस्थान की एक प्रया है। किसी जागीरदार, रईस या धनी की मृत्यु समय पर ऊट पर रूपये पैसे और कौड़ियों के थंडे भरे जाते हैं और सवार लोग आगे चलनेवाले मेहतर और भिलारियों का घर से लेकर कुछ दूर तक चुटाते रहते हैं।

व्यापार व सेती हैं। ये ज्यादातर वैष्णव धर्मविलम्बी हैं लेकिन शैव व शाक्त भी काफी हैं। इनमें विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया वर्जित हैं।

वैश्य—इनमें ओसवाल, सरावगी, अग्रवाल, महेश्वरी आदि आते हैं। ओसवाल अपने को मूलतः राजपूत बताते हैं तथा अपना मूल स्थान ओसिया (जोधपुर राज्य) बतलाते हैं। इसमें वैष्णव व जैन धर्मविलम्बी होते हैं। ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं लेकिन राजकीय सेवा में भी काफी लोग हैं, इनमें कई गोत्र हैं, यथा मुहण्डोत, भण्डारी, डागा, राका नाहर, पटवा, छाजेड आदि। इनमें विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया वर्जित हैं। वैश्य व्यापार व लेनदेन का कारण सभी जातियों के सम्पर्क में ज्यादा हो आते हैं। इस कारण सभी जातियाँ इनसे डरती हैं। तब भी आदर भी काफी करती हैं। यो इनको सामान्य लोग बलिये कहते हैं। वैश्यों ने व्यापार व उद्योग धन्धों में काफी रथाति व धन अर्जित किया है। राजस्थान के वैश्य भारत के कोने कोने में जा वसे हैं और वहाँ उद्योग धन्धे फैला रखे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण ये लोग सामाजिक कार्यों, मन्दिरों, धर्मशालाओं पाठशाला और अस्पतालों आदि के लिये काफी दान देते रहते हैं।

काश्तकर जातिया—यो राजस्थान की प्रत्येक जाति काश्त करती है लेकिन कुछ जातियाँ-जाट, गुजर, माली, कलवी, सिरवी, पीटल, धाकड आदि का मुख्य धन्धा काश्त है। काश्त का धन्धा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक धन्धा नहीं है। लगभग सभी काश्तकार क्रृष्णप्रस्त हैं। भूमि के उपजाऊ न होने, सिंचाई की सुविधायें कम होने, अकाल पड़ने, अनुचित लाग वागों की वसूली, लगान ज्यादा होने, शादी विवाहों व ओसर मोसर पर ज्यादा ही अपव्यय करते रहने के कारण काश्तकार जातियाँ आर्थिक दृष्टि से गरीब मानी जाती हैं।

जाट—भारत में ३६ राजवंशों में जाट जाति भी आती है। यह अपने को यदुवंशी बतलाते हैं। जाटों में पूनिया तथा गोदारा सबसे पुराने हैं। राजस्थान में ये सदसे पहले वीकानेर व जैसलमेर राज्य में शाकार वसे थे। वीकानेर के स्थापक राव वीका को इन्होंने राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता की थी। जाट लोग वाद में राजस्थान के विभिन्न भागों में फैल गये। अहीर—अहीर शब्द सस्तृत के 'आभीर' शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है दूध वाला। अहीर अपने को कृष्ण के पालक-पिता नन्द के बशज बतलाते हैं। यह जाति प्रिय काश्तकार जाति हैं। रेवाड़ी के अहीर नन्दराज,

जो श्रीरामजेव का समकालीन था, के बच्चे में कभी 360 गाव थे लेकिन अग्रेजों ने इनसे 315 गाव छीन लिये। ई० सन् 1857 के विद्रोह के बक्त शेष 45 गाव भी जब्त कर लिये। अब ये केवल काश्त पर निर्भर हैं। यह वैष्णव धर्मावलम्बी जाति है।

गुजर—यह एक क्षत्रिय जाति है। जो पहले गुर्ज से लड़ने में सिद्धहस्त होने वे कारण गुर्जर कहलाई। अब भी इस जाति के लोग लकड़ी के नीचे लोहे का ठास पोला 'गुर्ज' लगाते हैं। सातवी शताव्दी में इनका राज्य पजाव, राजस्थान व गुजरात के काफी भाग पर था। ग्यारहवी शताव्दी में इनका राज्य अलवर पर भी था। तब इनकी राजधानी राजोर गढ़ थी। ये बनोज के राजा महिपाल (क्षितिपाल) के सामन्त थे। वही लेखक इनको सूर्य वशी क्षत्रिय मानते हैं। राजस्थान के राजाओं में राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए गुर्जर महिला को धाय रखा जाता है। इन लोगों का मुख्य पेशा काश्त बरना तथा पशु पालन है।

माली—माली जाति विभिन्न नामो-मालाकार, ग्रामवान सेनी सेनिक क्षत्रिय आदि नामों से पुकारी जाती हैं। जिस प्रकार राजवशो में उर्जर महिला राजकुमारों को दूध पिलाने को रखी जाती है वैसे ही इस जाति की महिलायें भी राजवशो में धाय रखी जाती हैं जिनके पुत्र धाय भाई कहलाते हैं। ये लोग पहले क्षत्रिय थे लेकिन शहायुदीन गारो के समय से इन्होंने बागवानी का पेशा धारण कर लिया। इस जाति की शाखाएँ राजपूतों जैसी ही हैं, यथा—कछवाहा, पडिहार, सोलवी, गहलोत, साखला, भाटी राठोड़, चौहान, तवर, देवडा, परमार दहिया आदि।

चमार—यह जाति चर्म का काम बरने वे कारण चमार कहलाई। जितनी उपयोगी यह जाति है उतनी शायद ही कोई हो। ये न केवल गाय, भैस, बैल आदि के मरने पर खान उतारते हैं बल्कि उसे रगते भी हैं तथा उसके जूने, चड्स आदि बनाते हैं। गाव में ये गोवर इकट्ठा बरना, आँगन लीपना, घास, लकड़ी आदि इकट्ठा बरना भट्टियां खोदना, दूसरे गाव में न्योता देना, तथा गाव की बैठपैगार निकालने का काम भी बरते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों की जितनी सेवा यह करते हैं उतनी शायद ही कोई जाति बरती हो। इनकी आर्थिक व सामाजिक दशा गिरी हुई है। चमार जाति को मुमलमान होने से रामदेव तवर (रामशाह पीर) ने बचाया था। उसकी यह बड़ी पूजा करते हैं। इस जाति को अद्यूता में गिना जाता है।

— मीणा—ये लोग जयपुर राज्य के, बछवाहा राजपूतों द्वारा अधिपत्य जमाने के पहले, यहा के शासक थे। अभी भी राजपूत समाज में इनका आदर किया जाता है। राजपूत इनके हाथ का खाते पीते हैं। मीणों को दो श्रेणियाँ हैं—काश्तकार व चौकीदार। चौकीदार मीणा अपने को ऊँचा मानकर काश्तकार मीणों में अपनी लड़की नहीं देते हैं। या इन चौकीदार मीणों से सभी घबराते हैं व इनको चौकीदारी की लाग देते रहते हैं। ये समय पढ़ने पर दूर दूर तक लूटमार कर आते हैं। मीणा के ३२ गोत्र हैं। सूसावत मीणों का आमेर में पहले राज्य था। मीणे डकैती के लिये बदनाम है लेकिन अब इनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है।

भील—भीलों की ज्यादा वस्तिया मेवाड़, झुगरपुर, वासवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्यों में है। भील एक स्वामीभक्त जाति है। इनका मुख्य धन्धा खेतों वाड़ी व मजदूरी करना है। इनमें बहुविवाह ज्यादा होता है। इनमें नात की भी प्रथा है। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर विधवा अपने देवर का चूटा पहन लेती है।

भाट—ब्राह्मणों और राजपूतों की वशावली रखना इनका काम है। यो ये अन्य जातियों की भी वशावलिया रखते हैं। ब्राह्मणों और राजपूतों के भाट राव भी कहलाते हैं। भाटों में ब्रह्म भाट भी होते हैं जो अपने को गोड ब्राह्मण बतलाते हैं और अन्य भाटों से ऊँचा मानते हैं। कुछ भाट स्त्रियों की भी वशावलिया रखते हैं जो राणीमगा भाट कहलाते हैं।

चारण—राजपूतों की भाति चारण अपनी दैवीय उत्पत्ति बतलाते हैं। ये देवी के पूजक हैं और उसके नाम से गले में काला ढोरा बाधते हैं। चारणों की तीन शाखायें हैं—मारू, काढेला और तिवारी। मारू चारण राजपूत नरेश की सेवा में रहते हैं और साहित्य सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको काफी जागीर मिली हुई है। इनकी जागीरे मृत्यु हाने पर सभी भाइयों में बरावर बट जाती है। इस कारण जागीरों का ‘चारणिया बट’ प्रसिद्ध है। इनके विपरित राजपूतों की जागीरों में ज्येष्ठ पुन ही उत्तराधिकारी होता है। शेष भाइयों को जीविका में थोड़ी थोड़ी भूमि दे दी जाती है। काढेला चारण व्यापारी होते हैं। इनमें अपनी माता के गीत में विवाह करने का रिवाज है। प्रसिद्ध भी है—‘मामा की धी, गिचड़ी में धी’ तिवारी चारण मूलत श्रामाती ब्राह्मण थे जो जासोर के कान्हड देव के समय चारण बन गये। मारू और काढेला चारणों का इनके साथ खान-पान नहीं है।

मेर—मेरो का उत्पत्ति स्थल अजमेर मेरवाडा का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाडा है। इस जाति के लोग पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोड लाखन के वशज हैं। गोड लाखन ने बून्दी की एक भीणा स्त्री से विवाह किया था और इस सम्बन्ध से मेरो की उत्पत्ति बतलाई जाती हैं। इनकी कई उपजातिया बरार, चीतार, मेरात आदि है। पन्द्रहवी शताब्दी के लगभग इनमें से अधिकाश ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मेर सामन्यत विश्वास पात्र, सहदय और उदार होता है। उसका मुख्य पेशा खेती ही रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ज्यादानर लूट-खसोट पर निर्भर रहने लगे। ये लूटमार में भी द्वाद्युगा स्त्री, सन्यासी पर हाथ नहीं उठाते हैं। मेरवाडा क्षेत्र से होकर कई व्यापारिक भाग निकलते थे। इस कारण वहां शाति व्यवस्था स्थापित करने हेतु मध्य काल में मेरो को दबाने के कई प्रयत्न जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर राज्या ने किये लेकिन वे असफल रहे। शाति व्यवस्था उन्नीसवी शताब्दी में ही अब जा द्वारा की जा सकी। अब जा द्वारा प्रशासन स्थापित करने के पूर्व यहा कन्या हत्या, महिलाओं की विक्री आदि का रिवाज था। वेटा अपने पिता को मृत्यु हो जाने पर अपनी माता तक को बेच देता था। इनमें दास प्रथा भी थी। दास-दासियों का क्रय विक्रय होता था। अब्रोजो ने ये सामाजिक कुरीतियां काफी सीमा तक बन्द कराईं।

सहरिया—यह एक बनवासी जाति है जो कोटा राज्य में मुख्यत रहती है। कर्नल टॉड ने सहरियों को भीणा, भोल और गुजरो की भाति राजस्थान वे आदिवासी बतलाया है। इनका रहन-महन भीलों की भाति ही है। इनमें कई गोत्र राजपूतों के समान हैं यथा चौहान, देवडा माल-किया, बाधेल आदि। उनमें मासाहारी ज्यादा है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये अधिस्तर भूमिहीन हैं तथा मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं। जगलों से लकड़ी व धास लाकर व बोयला बना कर भी बेचते हैं।

गरासिया—यह जाति मारवाड़ के दक्षिण पूर्वी भागा व सिरोही राज्य में वास करती है। यो यह अपना मूल स्थान मेवाड़ व अपने को राजपूतों का वशज बतलाते हैं। इनमें कई गोत्र राजपूतों के समान हैं, यथा चौहान, सोलभी, परमार आदि। इन लोगों में विधवा विवाह, तलाक, वहु विवाह आदि होता है। लड़के लड़कियों में प्रेम विवाह होते हैं।

डामोर—वासवाडा राज्य में गुजरात की सीमा पर पाई जाने वाली यह बनवासी जाति भी अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बतलाती हैं। इनके कई

गोन राजपूतो से मिलते जुलते हैं। ये नोग मामाहार्गे व भगवद के देखी हैं। इनका मुख्य पेणा खेती है। इम जानि के पुनर्भूती मिट्टियों की अर्थ गहने पहनने के शौकीन हैं। इनका अन्य वनवासा इन्हीं के बाहरी सम्बन्ध या खान-पान नहीं होता है।

कजर—कजर नाम मम्बृत शब्द 'मानवाद' का अर्थ है। काननचार का ग्रथ होता है जगन्नो में विचरण आत्मा है। इस चोरी, डकैती व लूट मार में ज्यादा विचार मिलता है। इसका वेश्यावृत्ति करती है। ये गाने व नाचने में उत्तम अभियंता है। इसका साथा अजमेर, अलवर, उदयपुर, बोटा, बुर्जी, व इन्हें लगातार ज्यादा है। कजर औरत घाघर के बदने मृगी (मृगी बड़ी, लगातार पहनती हैं। यह रगीन छापल कपड़े का ढाढ़ा है, लगातार लगातार तथा शराप प्रिय हैं। स्त्रिये व बच्चे भी युग्मी हैं। इसका अर्थ है। २ हजार रुपये तक दने पड़ते हैं। इम जानि में अन्यतर उत्तम अभियंता है। तलाक दोनों पक्षों में से कोई भी देखता है। इसका मामता है तो वह वधु का मूल्य वापस नहीं मिल सकता है। मामले जातीय पचायत द्वारा स्वीकृत रिये गए हैं। इसका अर्थ है। मरते समय व्यक्ति के गले में शराप थी।

जोगी—यह जाति योग वरने वे नियंत्रित नहीं हैं। योगी कारण योगो (अमर योगी) वहलायि। योगी अपने विद्याय के धर्मावलम्बी हैं। ये कनकटा साधु भी वहलायि। इन्हें अपने नामों में देव करा कर दात या हड्डी के गाव कुम्हम लगाता है। इनकी नामों गादी होती है लेकिन अब ये लोग विचाह करना चाहते हैं। इन्होंने नाम भी बहलाते हैं। ये गाव में शिव मन्दिर के दुर्गम हैं।

बलाई—यह अद्यत जाति चमांग व अन्य वृक्षों की मानी जाती हैं। इनका मुख्य धन्धा चपड़ा है। योगी नाम बढ़ाव वरते हैं या खेतीहर भजदूर हैं।

विष्णोई—मूलत विष्णोई एक पक्ष है। यह भारतीय जातियों के दूसरे थे। न केवल हिन्दू धर्म मुसलमान व अन्य जाति के बाद में एक जाति बन गई है। इस पक्ष के लोग श्रवण, श्रवण, वैद्य आदि जाति के ज्यादातर लोग हैं लेकिन इन्हें अन्य जातियों के बीच विष्णोई का अर्थ है।

का भूत्य प्रवर्तक जाम्बेश्वर (जाभा) था जिसका जन्म सन् १४५१ में पीपासर मे हुआ था। इसके पिता का नाम भावर था जो पवार राजपूत था। जाभा विष्णु का अवतार वहा जाता है। उसके द्वारा वर्तनाये २६ उपदेशों को मानने वाले ही विश्नोई (बीस और नीं) वहलाये। विश्नोई मृतक को गाड़ते हैं अन्यथा उनके सभी राति रिवाज हिन्दूओं के समान हैं।

राजस्थान के 1 12,25 712 लोगों में से 15 56 305 व्यक्ति यहाँ के 145 वस्त्रों व नगरों में तथा 96 69 407 व्यक्ति यहाँ के 33 668 गावों रहते हैं। प्रति वर्गमील और सतन 87 मनुष्य रहते हैं। यहाँ के लोगों की सरया जातिवार इस प्रकार है — अग्रवाल 1 83,754 वणजारा 23 409 चाररण 35 548 छोपा 25,498 डवगर 696 दाढ़पन्थी 6 122 डाक्तात 27, 353 डागी 50 898 दरागा 1 77,104 दर्जी 47,398 धाकड़ 96 158 धानक 30 735 हूमड़ 10 541 जाट 10 42,153 जोगी 76,704 काढ़ी 60 510 कहार 15,143 कलाल 42,876 कुम्हार 3 57 751 कुनवी 57 815 लखारा 10 966 लोधा 48 503 लोहार 67 391 महेश्वरी 81 819 माली 3 69 173 मव 1 67 530 मीणा 6 07 369 मिरासी 1 568 नाई 1 66 096 नायक 62 329 आसवाल 1 97 460 पालीवाल 4 362 पटेल 55,867 पोरवाल 29 359 पुरोहित 45 308 रायगर 1 30,104 राजपूत 6 33 830 राणा 10 035 रगड़ 24,091 रावत 27 804 रेवारी 1 35 820 साद 29 044 साधु 66 597 सरावगी 32 648 सिरवी 53 611 साधिया 34 257 सुनार 73 455 स्त्रामी 44 937 धोत्री 38 783 भोई 10 340 ढोली 30 862 ग्रिसनोई 69 873 ब्राह्मण 8 54 634 गाढ़ा 14 575 गड़ीया 77 370 गहड़ा 86 99 जुजर 5 26 791 कायस्थ 23 165 खण्डेलवाल 48 435 खातो 2 09 937 कीर 23,980 ओड 7,757 तेनी 49 500 सिलावट 4 744। मुसलमानों में भिस्ती 23 949 विसाती 3 384 बोहरा 15 302 फकीर 54,859 जुनाहा 17 087 बैमलानी 35 686 खानजादा 8 674 मगरीहार 7 082 पठान 1 19 803 पीजारा 26 388 रगरेज 16 128 शेव 2,10 499 सिलावट 9,532 मिन्धो 43 588 तेली 30 495 मिरासी 15,483 छोपा 7,553 लखाग 2 019 लोहार 13 659 मकराणी 1 320 धोवी 5,049 और ढोली 4,710 हैं।¹

1 (से सेत्र प्राच इण्डिया 1931 जिल्हा 27 राजपूताना एजे सो)।

(२१)

अद्यूत जातियाँ

हिन्दुओं की जातियों का वर्गांन करने के साथ ही उन जातियों का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा जिन्हे (हरिजन) समझा जाता है। राजस्थान के 1,001,50,251 हिन्दुओं में से 17,57,374 अद्यूत (हरिजन) समझे जाते हैं।* अर्थात् हिन्दुओं में से 16 प्रतिशत अद्यूत हैं। इन हरिजनों का जातिवारः व्यौरा इस प्रकार है —

1 चमार	7,66 643	4 मेहनर (भगी)	92,747
2 मेघवाल ^१	4 24 900	5 खटीब ^३	59,502
3 रेगर ^२	1 30 103	6 ढोली ^४ (दमामी)	39,999

1 इनमें से 2,18,857 बलाई और 1 62,863 भावी है।

2 ये दीकानेर मेर रगिया और मेवाड़ मेर बूला कहलाते हैं।

3 ये चमड़ा रगते हैं और कई शराब और मास भी बेचते हैं। इससे ये हिन्दू कसाई भी कहलाते हैं। सिंध मेर ये ताग अपने को कलाल (कलवार) कहते हैं।

4 ये जोधपुर मेर नष्कारचो व झूम तथा जयपुर मेर राणा और हाड़ीती मेर यारहट कहलाते हैं। (देलो महाकवि सूर्यमल चारण कृत वश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ 79)।

* यह जनसंख्या सद् 1931 म थी। सद् 1971 की जनगणना के अनुसार कुल अद्यूत 40 75 580 है अर्थात् 2 30 93 895 हिन्दुओं म से 17 6 प्रतिशत अद्यूत मान जाते हैं।

† अप्र अद्यूता वो नया नाम 'अनुमूलित जातियों' भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत दिये गये संविधान (अनुमूलित जातिया) आदेश 1950 म निम्न जातिया अनुमूलित जातिया (अद्यूत) वर्तलाई गई है —

1- भगमेर जिला सिरोही जिले के आवूरोड तालुका और भालावाड जिले के मुनेन टप्पा के मिवाय सारे राज्य म —

1- धादि धर्मी	2- धहरी	3- वादी	4- वागरी
5- बैरवा या बैरवा	6- वाजगर	7- वनाई	8- वामपोद
9- वर्गी, वर्गी विरगी	10- वावरिया	11- वडिया या वेरिया	
12- माड	13- मगी	14- विदाकिया	15- बोला
16- चमार भाभी जटाव जटिया, मोची रेदाम रेगर या रामदामिया		17- चौंगान	
18- चूडा	19- डावगर	20- पातिया	21- डड 22- डाम 23- गडिया
24- गराथा	मेहनर या घाचा	25- गगे गहडा य गुड़ी	26- गवारिया

7. धोबी	38,783	13. वागडी ⁴	10,597
8. घाणका ¹ (वर्गी)	32,326	14 गुरडा ⁵	8,699
9. सरगरा	31,300	15 सामी	7,147
10. थोरी ²	20,388	16 नट	6,416
11. मोची ³	22,102	17 वावरा	5,945
12. कोरिया (कोलीव)	11,303	18 गाढ़ा (वासफोड)	5,698

1. ये अपने को पनुषपारी साधुओं में से बताते हैं और अपना यतन दिल्ली कहते हैं। हरी पुरुष गतियों में भूठन माँगते किरते हैं। इससे भगी भी इनसे परहेज करते हैं। (देखो मारवाड़ की कीर्ति की उत्पत्ति व इतिहास, तोहरा हिस्सा पृष्ठ 582 तात् 1891 ई. मदुमगुमारी)। जप्युर में ये सोग वर्गी भी बहताते हैं। 1,563 वर्गी भी इस सल्हा में शामिल हैं।

2. ये आहुड़ी तथा नायक भी बहताते हैं। इस सल्हा में 1204 आहुड़ी भी शामिल हैं।

3 इनसे से 175 ने अपने को जोनगर 45 ने पन्नोगर और 66 ने जटाय दजं कराया है। ये सब एक ही हैं और आपस में ब्याते हैं।

4 लेतों की खोकीदारी बरने वाली एक कीम।

5 मेघवाल कीम के गुण हैं जो उनके विवाह आदि सम्भार करते हैं और अपने को जोशी आहुला समझते हैं। सोयल (बीकानेर) के रामस्नेही पथ के आदि गुण महात्मा हरिरामहास इसी गुरहड़ा जाति के थे। मेघवालों के साधु कामदिया कहताते हैं। जो भय स्त्री के तम्बुरे पर गाते किरते हैं। ये मेघवाल कीम ही से हैं।

27- गोधी 28- जीनगर 29- कालबेतिया 30- वामद या वामडिया 31- वंजर
 32- कापडिया मासी 33- घगार 34- खटीर 35- बोली या बोरी
 36- कूचबन्द 37- बारिया 38- कु जर 39- मदारी या वाजीगर 40- मजहबी
 41- मेघ या मेघवाल 42- मेहर 43- मेहतर 44- नट 45- पासी 46- राबन
 47- सालबी 48- मासी 49- साटिया 50- मरगरी 51- मरगरा 52- मीगी-
 वाना 53- थोरी या नायक 54- हीरगर 55- वान्मीवी

2- अजमेर जिले में —

- 1- अहेरी 2- बागरी 3- बलाई 4- भाभी 5- वासफोड 6- वावरी 7- वर्गी
- 8- वाजीगर 9- भगी 10- विदाकिया 11- चमार, जटाव, जटिया, मोची या रेगर
- 12- डावगर 13- धानक 14- हेड 15 धोबी 16- ढोली 17- ढोम 18- गरोड़ा
- 19- घाचा 20- कबीरपथी 21- कालबेतिया 22- लानगर 23- खटीव 24- बैली

19. महार	5,362	27	डबगर (ढालगर)	652
20 गवादिया	5,354	28	बाजीगर	372
21 कालदेलिया (मपेग)	3,740	29	कुचबध	326
22 कजर	3,553	30	सीगीवाला	203
23 खगार	2,925	31	वीदकिया	63
24 साटिया	1,103	32	पासी ¹	43
25 तीरगर	708	33	सरभगी	23
26. रावल	677			

1 सून्हर पालने वाली एक कोम ।

25- कोरिया 26- कुचमन्द 27- भेहर 28- मेघवाल 29- नट 30- पासी
 31- राबन 32- सरभगी 33- सरगरा 34- साटिया 35- थोरी 36- तीरगर
 37- कजर 38- सासी ।

3- सिरोही जिले का आङ्गूरोड ताल्कुका —

1- घगोर 2- वाकड या वन्ट 3 भावी, भाभी, असादरु, असोदी, चमाडिया चमार,
 चाम्मार, चामगार, हरणा, हराली, खालणा, माचिगार, मोचिगार, मादर, मादिग,
 तेलगू मोची, वामाटी मोची, राणीगर, रोहिंदा, रोहित या समगार 4- भगी,
 मेहतर, ओलगाना, रूपि, लानवेगी, वालमीकी, कोरार या भाडमल्ली 5- चलक्कादि या
 चन्नेय्या 6- चैनदासण या होनेय दासर 7 ढोर, वक्कंय्या या कन्वंया 8 गराडा
 या गरो 9- हल्लीर 10- हल्सार, हमसार, हुलस्वार या हुलस्वार 11- हालार या
 वन्हार 12- होलिया या होनेर 13- लिगाडेर 14- महार, तराल या धेगू मेगू
 15- माह्यावजी, टेड, वगवर या मन्दवगवर 16- माग, मातग या मिलिमादिग
 17- मग गाह्वी 18- मेघवाल या मेघवार 19- मुक्रो 20- नाडिया या हाडी
 21- पासो 22- जेनवा, चेनवा, सडमा या रावत 23- तीरगर या तीरखण्डा
 24- तुरो ।

4- भालावाड जिले के सुनेल टप्पा मे —

1- वागरी या वागडी 2- चलाई 3- बनचडा 4- वरहार या वसोद 5- वरगुँडा
 6- वेदिया 7- भगी या महतर 8- भानुपती 9- चमार, देंगवा, भावी, जटाव, मोधी
 या रेगर 10- चीडर 11- धानुक 12- डड 13- ढोम 14- कजर 15- घटीक
 16- कोली या कोरो 17- कोनवाल 18- महार 19- माग या माग गारोही
 20- मेषवान 21- नट, कालदेलिया या मारा 22- पारथो 23- पानी 24- मागी
 25- भमरन ।

इन हरिजनों की दशा रियासतों में बड़ी शोचनीय है। जो सामाजिक अत्याचार इन पर होते हैं। उनका वर्णन यहा नहीं किया जावे तो उचित ही होगा। इतना लिखना जहरी है कि इतनी बड़ी सख्त्या के लोगों को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नहीं हुआ है। जितने अत्याचार इन लोगों पर समाज से होते हैं, राजकर्मचारियों द्वारा उनसे कम नहीं होते हैं। इन लोगों पर अत्याचार तुरन्त ही बन्द हो जाते हैं जब वे मुसलमान या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। यही बारण है कि धोरे-धोरे हरिजन लोगों की सख्त्या कम होती जा रही है। आधुनिक जागृति इस धर्म परिवर्तन में उनको और भी सहायता देगी क्योंकि ये लोग अपने ऊपर बिधे जानेवाले अत्याचारों को समझने लगे हैं और धर्म परिवर्तन के लाभ जानने लगे हैं। हरिजनों पर उच्च हिन्दूधरों वा दुर्घटवहार और उनकी कुम्भकर्णी नीद इस परिवर्तन में गहरी सहायता प्रमाणित हुई है।

जैसी दशा अद्भुत जातियों की है वैसी दशा बनवासी जातियों (भील, मीणा, मेर, सहरिया, गिरामिया, डामोर आदि) की है।¹

आद्वारोड तालुका सद् 1956 में पूर्व महाराष्ट्र म तथा सुनेल टप्पा मध्यप्रदेश में मिला हुआ था। अत सन् 1950 में आदेश म जो जातिया महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातिया घोषित वी गई वे ही अब भी घोषित रही। इनमें से कई जातिया राजस्थान में नाममात्र वी है।

(1) राजस्थान म भील भीलमीना, डामोर (डामरिया), गरासिया (राजपूत गरासियों को छोड़ कर) मीणा और सहरिया (मेरिया) को भारतीय संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश १६५० जारी कर सरकार ने आदिम जातिया (जन जातिया) माना है। सिरोही जिल वा आद्वारोड तालुका सद् १६५६ तक बम्बई प्रांत से तथा भालावाड जिल वा सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश में मिले हुए य अत सन् १६५० में उन राज्यों म घोषित जन जातिया अब राजस्थान म सम्मिलित हो जाने पर भी यहा की जनजातिया माना गया है। इनम कई जातियाँ नाम मात्र वी हैं। आदेश म बणित जनजातिया इस प्रकार है—

I— अजमेर जिले, सिरोही जिले के आद्वारोड तालुका और भालावाड जिले के सुनेल टप्पा के मिवाय सारे राज्य मे—

I— भील 2— भील मीना 3— डामोर, डामरिया 4— गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर) 5— मीणा 6— मेरिया वा सहरिया

नरेश

राज्य में सबसे उयादा प्रतिष्ठा व सम्मान नरेश व उसके परिवार को दिया जाता है। वह दैविक सम्पन्न माना जाता है। इन नरेशों में गहलोत, कछवाहा, राठोड़ आदि राजवंश के तथा यादव भाटी आदि चन्द्रवंश के तथा चौहान (हाडा व देवडा) व परमार अग्निवंश के माने जाते हैं। जनता इनके दर्शन करने को लालायित रहती है। नरेश के पुत्र जन्म पर जनता प्रसन्न होती है तथा मृत्यु होने पर शोक मनाती है मानो उनके परिवार में ही किसी बड़े बुद्धे की भृत्यु हो गई हो। कई लोग नरेश या उसकी महारानी के स्वर्गवास पर अपना सिर, दाढ़ी आदि तक मुड़वाते हैं, लेकिन अब कम ही लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। इसका कारण है जनता का नरेश में विश्वास रखने व प्रेम में कमी आना है। जनता में अब आर्य समाज के द्वारा सामाजिक जागृति लाने और काम्रेस द्वारा राजनीतिक चेतना फैलाने के कारण नरेशों में दैविक शक्ति होने का विश्वास घटना है। फिर भी ग्रामीणों में अभी भी नरेशों के प्रति अगाध थद्धा है। अभी ग्रामीणों के लिये नरेश उनका “अन्नदाता” है।

2- अजमेर जिले में—

- | | | |
|--|--|--|
| 1- भील | 2- भील मीना | 3- भीन गरासिया, धौली भील, |
| 4- सिरोही जिले के आवूरोड तालुका में— | | धूंगरी भील, धूंगरी गरासिया में वासी मिले रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाल पावरा, वासवा और वसाप सहित भील |
| 5- तड़वी, तेलरिया और बलवी सहित धारणका | 6- धोड़िया | 4- चौवरा |
| 7- तलाविया या हलपति सहित दुबला | 8- मावची, पाड़वी, वसावा, वसावे और | 5- तड़वी, तेलरिया और बलवी सहित धारणका |
| वलवी सहित गामीत या गामिटा या गावीता | 9- गाड़ या राज गोड | 6- धोड़िया |
| 10- धौर काथोडी या ढौर कातवारी और सोन बाथोडी या सोन बातकारी के सहित बाथोडी या कातकारी | 11- बोकना, बोकनी, कुकना | 7- तलाविया या हलपति सहित दुबला |
| 12- कोली-धौर टोकरेकोली, बोयचा या कोलधा | 13- चोलियाला नायका, कपाडिया | 8- मावची, पाड़वी, वसावा, वसावे और |
| नायका मोटा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायका | 14- अडनीचिचेर और फासे पारधी महिन पारधी | 9- गाड़ या राज गोड |
| 15- पटेलिया | 16- पोमला | 10- गाड़ या राज गोड |
| 17- राठवा | 18- वारली | 11- बीठोलिया, कोठोवालिया या बाराडिया |
| 19- बीठोलिया, कोठोवालिया या बाराडिया | | |
| 4- भालावाड जिले के सुनेल टप्पा में— | | |
| 1- गोड | 2- फोड़ | 3- सेहरिया |

सामन्त

सामन्तों का अविभावि लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ जब नरेश अपने सम्बन्धियों और अधिकारियों को इस कारण भूमि देने लगे ताकि उसके सैनिक अभियान ठीक प्रकार से चल सके। सामन्तों को दी गई भूमि या गावों पर सामन्तों का नियन्त्रण रहता था लेकिन शासन प्रबन्ध राजाओं का ही रहता था। इस कारण सामन्तों के गावों के निवासियों पर दोहरा शासन रहता था। इन सामन्तों के गाव जागीर के गाव वहलाते थे। इन सामन्तों को आवश्यकतानुसार राजाओं को सैनिक या आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी। राजा की विजय या पराजय पर ही उसके सामन्तों को और भूमि मिल जाती थी या उसकी भूमि से अधिकार हट जाता था। मुसलमानों के राज्य काल में बादशाहों की सेवा में वरावर रहने वे उनके लिए सैनिक अभियानों में बगवर जाते रहने के कारण भी राजाओं को सामन्तों की सहायता की ज्यादा ही आवश्यकता पड़ने लगी। अत मध्यकाल में सामन्तवाद पूर्णतया सुदृढ़ हो गया।

इस प्रकार सामन्तवाद पनपने से राजा को एक बड़ा लाभ यह था कि उसे बड़ी सेना नहीं रखनी पड़ती थी। जब भी उसे सेना की आवश्यकता होती थी वह अपने सामन्तों को आदेश भेज देता और वे तत्काल अपनी सेना लेकर इकट्ठे हो जाते थे। राजा को इनसे आर्थिक लाभ भी था। नजराना, हुक्मनामा, रेख, चाकरी, खडगवन्दी, मातमी, मतालपा आदि तथा राजकुमार या राजकुमारी के विवाह पर भेट आदि से, जो उस के सामन्त देते थे, राजा को अच्छी आय हो जाती थी। उत्तराधिकारी न होने या कोई सगीन अपराध करने पर सामन्त की जागीर भी नरेश द्वारा जब्त कर सी जाती थी। इस प्रकार राजा का सामन्तों पर न केवल नियन्त्रण रहता था बल्कि उनसे आर्थिक लाभ भी मिलता रहता था।

मुगल साम्राज्य के पतन काल में मरहठो से युद्धों आदि के कारण राजस्थान में जो अराजकता फैली उसका लाभ उठाकर ये सामन्त उपद्रवी हो गये। उनकी मनमानी व अराजकता इतनी बढ़ गई कि राजा को चैन से सोना हराम हो गया और किसी सीमा तक उन्हे विवश होकर अपेजो से सन्धिया बर उनके अधीन होना पड़ा। इन सामन्तों ने न केवल राजाओं बल्कि अपनी जनता को भी तग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अधिकाश सामन्त अपनी जागीर में छोटे राजा बन गये। वे अपनी प्रजा पर

मनमानी करने से चूकते नहीं थे । अपनी जागीर का प्रथम व्यक्ति होने से अपनो जनता के मूल अधिकारों को कुचलने में अपनी शान समझने लगे । उनको कोई दूसरा आदमी उनकी बराबरी में बैठना तक अच्छा नहीं लगने लगा । यहा तब कि दूसरे लोगों का धोड़े पर बैठना तक अखरने लगा । इस कारण उनके सामने दूसरे व्यक्ति चारपाई पर बैठ नहीं सकता था और दूल्हा तक धोड़े पर चढ़ नहीं सकता था । स्त्रिया जूता पहन कर उनके सामने नहीं निकल सकती थी । जनता में बेगार लेने व लाग-वाग लेने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते थे ।

सामन्तों से बढ़कर अत्याचारी उनके नौकर ज्यादा तर उनके ही दरोगे या गोले होते थे । हीनता के भाव से ग्रसित इन दरोगों का ग्रामीणों के साथ व्यवहार पूर्णतया अपमानजनक होता था । वे ग्रामीणों को तग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे । इन नौकरों की जिया गोलिया जागीरदारों पर ढोरे डालती रहती थी और ये दरोगे गाव की पिछड़ी जातियों की स्त्रियों की इज्जत लूटने में ही अपनी शान समझते थे ।

जागीरदारों के गावों व उनकी भूमि की देख रेख व जागीरों का आय व्यय का लेखा ज्यादातर महाजन लोग देखते थे । ये भी जागीरदार को बेकूफ बनाये रखने व काश्तकारों को तग करने से चूकते नहीं थे । वे न केवल जागीरदार बल्कि काश्तकारों को खूब लूटते थे । वे जागीरदारों को बाश्तकारों को दबाये रखने के तरीके बतलाते रहते थे । जागीरदारों को छोटे नरेश बतलाकर, उनको मुरा और मुन्दरी के चबकर में डालकर अपने घर भरते रहते थे । उनकी तो यह इच्छा रहती थी कि—

ठाकर वालक होय, हुकम ठवराणिया ।

गाव दुसाखियो होय, के बसती वाणिया ॥

धर ही न्याव वताव, धर से तोलगा ।

इतरा दे बिरतार, केर नहीं बोनणा ॥

अर्थात्—ठाकुर छोटा हो और स्त्रिया (ठकुरानिया) की आज्ञा चलती हो, गाव (जागीर) में दो शाखे (फसलें) उत्पन्न होती हो और महाजनों की बसती हो, अपने घर से ही तोलकर सामान दिया जाता हो और घर पर ही हिसाब-किताब से निर्णय करने का अधिकार हो । यदि इतना हमें ईश्वर दे दे तो फिर किसी वात की चाह शेष न रहे ।

अधिकांश सरदारों की यह दशा देख कर अग्रेज विद्वान श्वेतोष मंकी ने राजपूत सरदारों का हृदय-द्रावक चित्र इस प्रकार खीचा है।—

"वे ही राजपूत जो चन्द्र और सूर्य के बशधर कहे जाते हैं और जो अग्निकुल से उत्पन्न हुए है अब अपनी जाति विषयक उत्साह-पूर्वक झड़ियाँ भूल गये हैं और मूर्खता तथा विलाम-प्रियता के कारण ऐसे अकर्मण्य वन गये हैं कि जब उनके पूर्वजों की हैं और धर्मयुक्त वीरता, उनके बुद्धिमता-पूर्ण व्यवहारिक देश-प्रेम, समुचौत सम्झूति तथा उदारहृदयता का स्मरण करते हैं तो वडा दुख होता है। आज कल के राजपूत रईस अपनी मातृभापा में लिखना पढ़ना कठिन सा समझते हैं, उन्हे अपनी जाति, राज्य तथा राज्योचित कर्तव्य के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होना और वे अपने दुर्गुणों के कारण सेवक शब्द को कल्पित करते हैं। राजपूत सरदार शराव और अफीम के नशे में चूर होकर बुणास्पद ढग और दरिद्रता की दशा में रहा करता है। उसे अपने काम काज की कुछ भी सुध-वुध नहीं रहतो है। वह अपने कामदारों तथा उसके सहायकों पर ही अवलम्बित रहता है। वह ऋण में भी बुरी तरह लदा रहता है जिन्तु उसे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती है। उसे इस बात की सदैव लालसा रहती है कि जब कभी कही वह जावें तो उसके राजपूती कुल के प्रति सम्मान-सूचना के रूप में तोपों की सलामी हो, गलीचे के पावडे डाले जावें, उनके साथ घुड़-सवार सैनिक हो और उसको यह भी हार्दिक अभिलापा रहती है कि उसकी लड़कियाँ वाल्यावस्था में ही अपने से ऊँचे राजकुलों में बगाही जावें। यही नहीं, दशहरे के दिन वे यह आशा करते हैं कि अमीर व उमराव यथोचित रीति से उनको उपहार देते और अपनी राजभक्ति का परिचय दे।"

राजपूतों में, विशेष कार वडे जामीरदार व राजाओं में, यह प्रधा चली आती है कि कन्या का सम्बन्ध अपने से ऊँचे या बरावरी के धराने तथा धनी रईस से करें। इस बात की परवाह नहीं की जाती कि वर की शारीरिक व विद्या-सम्बन्धी योग्यता ठीक है या नहीं? यहाँ तक हठ किया जाता है कि कही-कही कन्याओं को आजन्म, अविवाहिता रहना पड़ता है और यदि सम्बन्ध हुआ भी तो अनमेन, जिससे पासवानों का पासा तेज रहता है।

राजस्थान के इन राजपूतों के रीति-रस्मों को नियम-पूर्वक चलाने और वहाँ की अनेक सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए कर्नल

वाल्टर (ए जी जी) ने स० 1945 की चैप बदि 13 को अजमेर में एक सभा स्थापित की थी। दूसरे वार्षिक अधिवेशन पर 15 फरवरी को सन् 1889 ई० को इस सभा का नाम उन्हीं के नाम पर “वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा” रखवा गया। देश में अनेक राजा महाराजाओं के होते हुए भी, उन्हें अलग रखकर राजस्थान के ए जी जी उसके सदा के लिए स्थायी सभापति बनाये गये। इस सभा की शाखाएँ प्रत्येक राज्य में अब तक प्रचलित हैं परन्तु उसका असर उतना नहीं पड़ा और राजपूत-समाज में वैसी ही कुरीतियाँ चालू हैं। इन कुरीतियाँ के कारण ही विवाह आदि में सर्वं करन को पैसा न होन से इस जाति का संबंदो वानिकाएँ बवारो हैं। अनेक कन्याएँ पूरे स्त्रीत्व को पहुँच चुकी हैं किन्तु उनके विवाह का पता ही नहीं है। वे एक प्रकार से निराश हो चुकी हैं। वमेल विवाह के कारण ऐकड़ा युवतियाँ असमय में ही विधवाएँ बन कर समाज पर भार-स्वरूप हो गई हैं। संबंदो परिवार नष्ट हो गये। इस कारण यदि सभा के अधिकारी नियमों की कड़ाई का पूरा ध्यान रखत तो राजपूत समाज की स्थिति में बहुत शीघ्र परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि उनके पास साधनों की कमी नहीं है केवल मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है। सामाजिक कुरी-तियों को दूर करना तभी सम्भव है जब स्वयं राजा व प्रजा हृष्टा से वटिवद्ध हो परन्तु राजस्थान में तो एक उल्टा ही ढग देखने में आता है। यहाँ के अधिकारी जागीरदार अशिक्षित और दुर्ज्यसनों में लिप्त हैं। वे प्राय स्वेच्छाचारी होते हैं, जिस पर यदि उन्हें राज्य से न्यायालय (जुहीशियल) के अधिकार भी मिल जाय तो करेला और नीम चढ़ा वाली वहाँ वह चरितार्थ होती है और उनके कुशामदी नौकर चाकर उन अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग करते हैं। इससे उनकी प्रजा दुख ही पाती है।

जागीरदारों ने दीन-दुखी प्रजा से मनमानी कई लागों और वेठ वेगारों के नाम से रूपया लेना अपना धर्म और इम बठोरता से इकट्ठी की गई सम्पत्ति को कुमांग में उड़ाना अपना कर्म समझ रखता है। रियामतों की वेसभाल ने इन जागीरदारों को और भी स्वेच्छाचारी कर दिया है और ये निरकुश होमर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने में कभी नहीं चुरते हैं। उचित होगा कि रियासत प्रत्येक जागीर में एक पचायत नियम कर जो आय-व्यय का बजट बनाये और वह बजट उन रियासत में प्रति वर्ष पास हो तथा उम्में ही अनुसार प्रत्येक जागीर में कार्य हो तब हो जनता मुखी होगी।

कही कोई जागीरदार राजकुमार कॉलेज में पढ़ भी गये तो वे मोटर, पोलो, शिकार आदि के शौकिन बन कर निकलते हैं और प्रजारजन की वास्तविक शिक्षा से वचित ही रहते हैं। वयोंकि कॉलेज में पाश्चात्य सम्यता का अनुकरण करते। अग्रेजी भाषा को अप्रेजो की तरह बोलने के सिवाय कदाचित ही कुछ और सिखलाया जाता है। अधिकार्ण विद्यार्थी वहाँ के शिक्षण से अपने वश की उच्चता और धर्म के महत्व को भी नहीं पहचानते हैं और इस प्रकार प्राचीन हिन्दू आदर्श इनके सामने नहीं रहता है। दस वर्ष के शिक्षण से भी वे यह नहीं सीखते कि अपनी प्रजा के प्रति तथा अपने देश के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। प्रत्युत कई तो अनोख दुर्ब्यंसनों में लिप्त हो जाते हैं जिसका प्रभाव आजीवन बना रहता है। वहाँ की शिक्षा के विषय में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है कि जिसमें राजस्थान की सास्कृति भलकर्ती हो। कितने राजकुमार लाठी, तलवार आदि चलाना जानते हैं और कितने सदाचार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं? कितने राज रत्नों और भावी मुकुट धारियों ने विदेशी राजकुमारों की भाति जहाजों पर कोयला भोक कर मेहनत मजदूरी द्वारा अपने सुकुमार शरीर को कठोर बनाने का साहस किया है? यदि सब कहा जाय तो वहाँ केवल भक्ति-पूर्ण दरबारी या एपीकूरियन क्लब का मैम्बर होना ही सीख पाते हैं जैसा कि गवालियर महाराजा ने सन् 1918-19 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इन जागीरदारों के विषय में लिखा था—

“जागीरदार लोग केवल दरबार के सुन्दर साज हैं। हमाग यह प्रयत्न होना चाहिये कि जनता योग देशर वे काम में लगे। ऐसा होने में यूरोप में कितने अच्छे परिणाम निकल हैं।”

राज कर्मचारी

राजस्थान में राज कर्मचारियों की संख्या 3,01,671 है जिनमें से 59,289 सार्वजनिक सैनिक सेवा में (सेना में 29,049 व पुलीस दल में 30,240) व सार्वजनिक प्रशासन में 71,581 और अन्य महकमों में 1,70,801 हैं। इनमें वकील भी सम्मिलित हैं जिनकी संख्या 1433 है।

बैंगार, लाग बाग आदि से दबी हुई प्रजा के साथ राज्यों में न्याय अच्छा होता हो यह सम्भव नहीं है। जिसका हाथ नरम है उसका वाम

निवल जाता है और जो रीते हाथ है वे बरचाद होकर इन्साफ से मुह मोड़ लेते हैं। अधिकाश राज्यों में घू सखोरी, अधेरशाही, पक्षपात आदि का दबदवा है। राजस्थान में लम्बी व काफी परेशानियों के पश्चात् ही कहीं किसी को सच्चा न्याय और वह भी बड़ी लम्बी मुद्रत के बाद मिलता है। उन्नत कहलाने वाली रियासतों तक में साधारण से मामलों के निर्णय में युग निकल जाते हैं। सैकड़ों मिसलें जेरतजनीज रहती हैं और इस दीर्घ मूल्यता में फरीकेन की एकाध पीढ़ी भी समाप्त हो चुकती हैं। कई राज्यों में न्यायाधीश निरक्षर भट्टाचार्य हैं। गरीब और अमीर के साथ भेद भाव वाला पक्षपातपूर्ण न्याय अधिकाश राज्यों में आवश्यकता से अधिक बदनाम हैं। कई रजवाडों में वहां के ऊचे ऊचे कर्मचारियों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए दल बन्दियाँ होती हैं। वहाँ के न्याय और पुलिस विभाग भी इन दलबन्दिया से खाली नहीं रहते। जिस थोहदेदार का जोर होता है वह अपना काम निकलवा नेता है और अपने विरोधी के पक्ष वालों को कट्ट पहुँचा देता है। इसी प्रकार अपने से विरुद्ध पक्ष वालों को गुप्त धमकियाँ दी जाती हैं। झूठे-सच्चे मुकदमे खड़े करके उनका दमन किया जाता है।

किसान

राजस्थानी किसान के जीवन की ओर दृष्टिपात करने पर भली भाति ज्ञात होता है कि ये लोग बड़े ही मतोपी, अपने व्यवहार में सच्चे, सादा जीवन वीताने वाले, मितव्ययी और स्वभाव से मेहनती होते हैं। वे केवल चाहते हैं--

नहीं मजूरी खाट, के न चूंचै टापगी ।
भेसडलया दो चार, के दूजै बापडी ॥
वाजर हदा रोट, दही में थोलणा ।
इतरादै करतार, फेर ना थोलणा ॥

अर्थात् नये बानो (मूज की रस्सी) से बनी हुई खाट और वर्षा में न टपकने वाली फूम की झोपड़ी हो एवं दो चार दूध देने वाली भैसें हो तथा वाजरे के मोगरे (रोटी) दही के साथ खान के लिये हो। यदि परमात्मा यह भव कुछ देता रहे तो फिर और किमो वस्तु की चाह नहीं है।

देहाती कन्या की इच्छाये भी अधिक नहीं होती है, जैसा कि विने कहा है—

उठै ही पीरो होय उठै ही सासरो ।
आशुणो हो खेत, चुर्व नहीं आसरो ॥
नाडा खेत नजीक, जठै हल खोलणा ।
इतरा दै करतार फेर काई बोलणा ।

अर्थात् अपने पिता और श्वमुर का घर भी उसी गाव म हो और खेत पश्चिम मे हो (ताकि सुबह घर से राटी लेकर खेत मे जाऊँ तब धूप मेरी पूठ (पीठ) की ओर हो और शाम घर को लौटू तब भी धूप मेरी पीठ पर हो । भोपड़ी मे वर्षा काल मे पानी न टपकता हो और तालाब खेत के पास हो जहा हल और बैल खोल लिये जाव और बैला को पानी पिलाने के लिये दूर न ले जाना पड़े । इतनी बात परमात्मा देवे तो फिर और मागने की जरूरत नहीं है ।

रुदिवादिता एव भाग्यवादिता से ग्रसित उनके प्राचीन हृष्टिकोण ने उन्हे सदा ही दीनता एव हीनता को असह्य स्थिति म दनाये रखा है । इसका स्पष्ट उदाहरण जोधपुर राज्य के मुसाहिव आला (प्रधान मन्त्री) दीवान वहादुर छज्जूराम के कुछ वाक्य हैं जो उन्होने अपन एक मस्मरण मे सन् 1918 ई० (वि० स० 1975) म ग्राम जीवन की कहणाजनक स्थिति का चित्रण करते हुये लिखे थे --

“किसी भी खालसा गाव व उसके निवासिया का वर्णन बिना बेगार प्रथा का हवाल दिये पूर्ण नहीं हो सकता है । इम बेगार प्रथा ने ग्राम्य जीवन को नीरस बना रखा है । इसके फारण ग्रामीणा को अपना गाव तक छोड़कर पड़ोसी जागीरदार की शरण म जाना पड़ना है । जब कोई सरकारी अहलकार गाव मे आता हे तब गाव वाला को उसके प्रत्येक सिपाही व चपरासी को बेगार देनी पड़ती है । मना करन पर बेगारियो की चपतो व जूतो से पिटाई होती है । उन अहलकारो की सवारी के पश्चु किसानो की हरी फसल को खा जाते है । यही नहीं निर्धन काश्तकार (विसान) के विरोध करने पर उस भूठमूठ दोष लगा सरकारी अहलकार द्वारा बंद कर लिया जाता है और उसे तब तक नहीं छाडा जाता जब तक वि उसका बौहरा (माहूकार) धन लकर उस छुड़ाने न आवे ।’

इस प्रकार राजस्थान के किसान पीटियों से मन्त्र बेगार, पचासों अजीव लागें (करो) और भारी लगान और मन माने राजनीतिक जुलमों की चक्की में पिमते आ रहे हैं। यह स्थिति है कि न कोई रियासत का निवासी रियासत के अन्धेर पोलखानों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का साहस करता है और न काई बाहर का समाचार पत्र ही छापने को तैयार होता है। मौभाग्य में इसी समय राजस्थान की मण्डपनान्ति के दौर में सन् 1914 ई० में भूपसिंह नाम से परार हुए विजयसिंह पथिक ने सन् 1917 ई० (वि० म० 1974) में राजस्थान की जन जागृति का श्री गणेश किया। अजमैर के चादकरण शारदा जैसे तिर्थीक व त्याग शील वकील और 'प्रताप' के मम्पादक श्री गणेशगकर विद्यार्थी (ग्वालियर) उनके दाहिने हाथ बने। पथिक ने मेवाड़ के जागीरी ठिकाना विजोलिया से ही अपना साहसी कदम किसानों के भगठन हेतु उठाया और सन् 1919 ई० से किसान पचायत ने सत्याग्रह जारी कर दिया जो 5 वर्ष तक जारी रहा तथा उदयपुर राज्य के सत्याग्रही किसानों के आगे झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह की जीत ने आस पास वे राज्यों के किसानों पर काफी असर डाला। यह आग विजली वो तरह राजस्थान भर में फैल गई। इस प्रकार महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भारत में सबसे पहला प्रयोग करने का श्रेय पथिकजी के प्रधानत्व में विजोलिया (मेवाड़) के बीर किसानों को ही है। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने चम्पारन (विहार) में सत्याग्रह का चमत्कार दिखाया था।

किसान शब्द का सामान्यत अर्थ हमारे देश में खेती वाणी करने वाले गंवार आमीण से लगाया जाता है। परन्तु यूरोप और अमेरिका में वडे वडे विद्वान एव योग्य व्यक्ति अपने वो किसान कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में किसान जितना समार का उपकार करता है उतना अन्य किसी व्यक्तियाय या जाति में नहीं हो सकता है। यह सब कुछ किसान के अथव थ्रम का ही प्रतिफल है। तभी तो विजय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर न कहा है—“चल उठ। यह क्या यौमुखी में हाथ डाल जप रहा है? यदि ईश्वर का दर्शन करना है तो वहा चल जहा किसान लोग जेठ की दुपहरी में हर चला रहे हैं और चाटो का पसीना ऐडी तक वहा रहे हैं।”

महात्मा गांधी ने सन् 1929 की 5 मित्तम्बर को अपने “नवजीवन” पत्र में लिखा था कि—“सब इतिहासवारों ने गवाही दी है कि जो सम्यता

भारत के किसानों में पाई जाती है, दुनिया के और किसानों में नहीं पाई जाती है।”

किसानों के प्रति आपनी उदासीन नीति रखते हुए भी देशी राजा महाराजा और नव्वाब इनके गुण गाये बिना नहीं रहते हैं। खालियर के महाराजा माधवराव सिन्धिया न वि० स० 1976 की माघ मुदी 10 शुक्रवार (30 जनवरी 1920 ई०) का अपने भाषण में किसानों के प्रति यह महिमा सूचक शब्द वहे थे – आप किसान-जमीदार लोगों के साथ मुझे बोई परहेज नहीं है। इसलिये जैसे मैं आपको अपना समझता हूँ वैसे ही आपको मुझे अपना समझना चाहिये। मैंने तो आप सज्जनों को “अन्नदाता” का लक्षण दिया है। मेरे रिज़व का दागेमदार याती मेरे जीवन का हृष्ण आपके ऊपर है और इसलिए लक्षण “अन्नदाता” इस्तेमाल करना मुझे विल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। आम मेरे अन्नदाता और मैं तुम्हारा तावेदार। वमाऊ पून तुम्हीं हो। जब तुम वमाई करके दोगे तभी इस बाजीगर का तमाशा चलेगा।”

ऐसे ही भाव बड़ोदा नरेश महाराजा सर मियाजीराव गायबवाड़ और मंसूर नरेश महाराजा सर कुपणराज ओडेयर ने अपने भाषणों में कहे थे। वि० स० 1975 के आश्विन (ई० सन् 1918 अक्टूबर) में मंसूर राज्य की अखिल भारतवर्षीय दशहरा कृषि कला कौशल प्रदर्शनी में मंसूर नरेश के भाषण में ऐसे ही शब्द (कृपका के प्रति अन्नदाता) मुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जबकि मैं जोधपुर स्टेट की तरफ से डेलीमेट (प्रतिनिधि) होकर मंसूर नया था। वि० स० 1986 आश्विन वदि 3 ज्ञनिवार (ई० सन् 1929 ता० 21 मितम्बर) को भोपाल नरेश नव्वाब हाजी मोहम्मद हमीदुल्ला खा ने अपने नाज्य की प्रजा प्रतिनिधि सभा (असेम्बली) का पाचव अधिवेशन में किसानों के विषय में कहा था —

‘मैं अपने सरदारा से तथा नगरों में रहने वाली प्रजा और सभी राज-मंचारियों से एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह प्रार्थना यह है कि आप सब लोगों को मेरे किसानों से प्रम करना सिखना चाहिये। वास्तव में किसान ही देश के प्राण है। वे अपने रक्त को पसीना बना कर आपके लिये भोजन उत्पन्न करते हैं। अत आपको उन्हें अपने से किसी भी प्रकार तुच्छ न समझना चाहिये। इस विषय में अपने आचरण के हारा मैंने सदा आप लागों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। इसलिये

मुझे अधिकार है कि मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँ कि आप उनके पास जाइये, उनसे मिलिए, उनके सुख और दुख में उनके साथी बनिये और शक्ति भर उनकी सहायता कीजिए। इस प्रकार की सेवा से आपको कोई हानि नहीं हो सकती। उल्टे किसान आपसे इस सेवा के लिए प्रेम करेंगे। आप लोगों को प्रसिद्ध श्रगेजी विं गोल्ड स्मिथ की यह उक्ति सदा याद रखनी चाहिये कि— “किसान वी मम्पत्ता ही देश के गौरव का आधार है। एकबार यह आधार जहां नष्ट हुआ विं इसे पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है।”

गुजरात के महाकवि पडिन दलपतराम ढाह्याभाई सी आई ई ने भी किसानों का गुणगान अपनी सरस कविता में इम प्रकार किया है और सर्व सुखों का दाता किसान को ही माना है—

सर्वथी प्रथम जेणे मृष्टि माँ अनाज वाव्या ।
जेना खेतर नुँ अद्य जुक्तियो हूँ जमूँ छूँ ॥
उपजावे शेनडी ने स्वादिष्ट सावर खाड ।
भोजन करनी हूँ सदेव सुखे भमूँ छूँ ॥
करे छै कपास पैदा कापड बने छै जेना ।
सारो सजी सणगार रग भर रमूँ छूँ ॥
करे छै खेती नु काम बहे छै दलपतराम ।
एवा एक दृपक ने नित्य नित्य नमूँ छूँ ॥

यह तो हम सभी मानते हैं कि किसान हमारे देश का आधार है परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि क्या राजस्थायी किसान अपने को ठीक उसी स्थिति में पाता रहा है जो कि तत्कालीन विद्वानों एवं नरेशों ने बखानी है तथा सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति कर अपने को गौरवशाली अनुभव बरता है? उत्तर इसके विपरीत है। सुख समृद्धि तो उसके लिये सुनहरे स्वप्न बने रहे हैं जिसका दायित्व शासकीय वर्ग से कहीं अधिक स्वयं इनके समाज पर पड़ता है। किसान पैसा न होते हुए भी कर्ज लेकर धूतंमुखियों के लहलो चप्पो में आकार मृतकों को स्मृति में जातीय भोज के औसर मौसर (नुकता) आदि करने में अपनी शान समझते आये हैं। इस विषय में एक राजस्थानी देशभक्त कवि (प० अर्जुनलाल सेठी) की ये पत्तिया उपयुक्त उदाहरण है—

जेवर बेचे घर को बेचे नुक्ता करना होता है ।
 नहीं बरे तो जाति भाई का ताना सहना होता है ॥
 जाति वाले तो इक दिन जीमें घरवाला नित रोता है ।
 लहू बाज सब चैन उठावे वह मुख नीद न सोता है ॥

जब पास में पंसा नहीं रहता तो बोहरा छाती पर सड़ा रहता है ।
 उस समय इनके खाने को अन्न भी नहीं रहता तब भी इनकी कुरीतियों से विमुखता नहीं होती और कर्ज देने वाले बोहरे (साहूकार) भी इन पर दया नहीं करते हैं । वे अपने खाता (लिखतो) में दूना छोड़ा ब्याज लगा कर झूण बढ़ाते आये हैं । कर्ज के निरन्तर बढ़ने का मूल बारण सूद की बढ़ती बृद्धि ही है । यदि किसी व्यक्ति को 100) रुपया उधार लेने हैं तो रुपये देने वाला बोहरा एक आने से तीन आने प्रति रुपया बाटे के काट लेगा । मान लिजिये कि रुपये के पोछे दो आने बाटे के लगाये गये हैं तो 100) रु० लेनेवाले का 87)50 दिये जायगे और सभ्कारी स्टाम्प (खत) लिखाई जायेगी कि कर्ज लेनेवाले को 1), 2), 4), 5), या 10) रु० संकटा के हिसाब से हर महिने के ब्याज के देन होंगे और यदि 3 मास या छ मास तक बरावर सूद अदा नहीं हुआ ता सूद की दर दुगनी करदी जावेगी । इस प्रकार त्पष्ट है कि आज कल के बोहरे मानवीय भावों से विल्कुल शून्य बन गये हैं ।

जोधपुर नरेश हिजहाईनेस मह राजा सरदारसिंह ने अपनी पुस्तक “भाई पाली दूर” (मेरी पाली यात्रा) के पृष्ठ 14 पर बोहरो अर्थात् साहूकारों के प्रति इस प्रकार लिखा है—

हित मे चित मे, हाथ मे खत मे मत मे खोट ।
 दिल मे दरसावे दया, पाप लिया सिर पोट ॥

“अर्थात् बोहरे की मित्रता में, मन मे व्यवहार मे खत (लिखावट)

¹ मे और उसके उद्देश्य मे धोखेवाजी भगी रहती है । वह दयावान होने का बहाना ता करता है लेकिन दरअसल वह होता है पापात्मा ही ।” यदि वह एक बार किसी किसान को अपने जाल मे फास लेता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता है । इसी से बहा गया है कि—

देणो भलो न वाप को साहेब गाखे टेक ।

अर्थात्—कर्ज अपने वाप का किया भी भला नहीं, ईश्वर इससे बचावे ।

इस ससार मे कर्जदार की दशा कितनी सोचनीय और दया के योग्य है ।

अधिकाश बोहरे लोग कर्ज देते और वापस लेते समय दोनों बार किसानों को लूटते हैं । उनकी चालाकी का चित्र किमी चारण कवि ने यो खिचा है—

तोल साटै ताकड़ी, लकड़ी ढेक लगावे ।

अडवा करै उधार, विणज बवार ज्युँ बसावे ॥

देता तो घटतो देवं, नेता बधतो पाव री ।

वागिया शिकार इण विध रमै, बम्ती माँय बावरी ॥

अर्थात् “तकड़ी (तराजू) से तोलते समय बोहरे लोग अपनी कलाई से रेढ़ मार कर ग्राहकों को धोखा देता है । उनका कर्जा एक धोखे की टट्ठी है । उनके व्यवहारों मे सब जगह फन्दा है । इस प्रकार साहूकार क्या है, मानो बोहरे के बेश मे सचमुच निर्दंशी पुरुष है ।” यह लोग मुह मे राम बगल मे छुरी रखते हुए, आवश्यकता से दवे लोगों से लाभ उठा लेने मे नहीं चूकते । इसोलिये इनकी विषय मे यह भी कहावत प्रसिद्ध है—

वाण्या थारी बाण, कोई नर जारी नहीं ।

पाणी पीवै छाण, लोही अणद्वाण्यो पिवै ॥

अर्थात्—ऐ साहूकार ! तेरी धूतंता का भेद कोई नहीं जान सकता । तू पानी तो बपडे से छाण कर पीता है नेकिन किसान के खून को पी जाता है ।

साधु सयामियों के प्रत्येक वाक्य पर अथवा इनकी प्रत्येक हलचल पर “आदेश बावाजी” “हुक्म महाजन” कहने वाले लेकिन किसानों के रोते बच्चों के मुह मे से रखी-मूर्खी रोटी का टुकड़ा तब छीन लेनेवाले इन निर्दंशी बोहरों की मनोवृत्ति की यह बँसी दुखद टीका है । ये अधिकाश बीहरे कर्ज देते और वापस लेते समय दोनों बार किसानों को लूटते हैं । अपने

विषय में ऐसी लोक निन्दा की बाते सुनकर जहा इन साहूकारों को शर्म आनी चाहिये और एकक्षण के लिये अपनी लोभवृत्ति के आग लगाकर, जहा उनको यह सोचना चाहिये कि उनके कुकर्मों को सर्वव्यापी सर्वशक्ति मान ईश्वर देख रहा है, जहा वे सब बातें भूलकर उल्टे अपनी शेखी बधारते हैं और ऐसी गुस्ताखी भरी बातें कहते हैं—

ओछी-ओछी डाढ़ी राखा, लावी लावी कणिया ।

सेर रो तीन पाव तोला तो बगियाली जणिया ॥

अर्थात् “हम तकड़ी की डाढ़ी तो छोटी छोटी रखते हैं पर डारा लम्बी रखते हैं। हमारा नाम असली बोहरे तभी है जब हम सेर भर के बदले तीन पाव ही तोल कर देव ।”

किसान लोग ऐसे बोहरों को यमदूत समझते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध है कि “बौरा को राम-राम जम को सन्देशो है।” अर्थात् जब कभी कोई बोहरा किसी किसान को रामराम (जैरामजी की) कहता है तो वेचारे किसान के दिल की घड़कन सेज हो जाती है और समझता है कि यमराज ने मौत का बुलावा भेजा है। यही नहीं बोहरों से वे जहरीले साप से भी अधिक डरते हैं—

साप रो काण्ठ्योडो वचै ।

पण वाण्या रो काण्ठ्योडो नहिं वचै ॥

धर्म

सन् 1931 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 90 प्रतिशत हिन्दू, 9 प्रतिशत मुसलमान, 0.05 प्रतिशत ईसाई व नाममात्र के पारसी तथा यहुदी धर्मविलम्बी हैं। हिन्दुओं में जैन धर्मविलम्बी 2.06 प्रतिशत, बनवासी 2.02 प्रतिशत और अद्वृत 15 प्रतिशत हैं।

धर्मनुसार विभिन्न धर्मविलम्बियों का व्यौरा इस प्रकार है—*

हिन्दू	1,01,50,251
(क) सनातनी (पौराणिक)	95,67,234
(ख) जैनी	3,00,748
(ग) सिक्ख	41,605
(घ) आर्य समाजी	11,471
(ड) ब्रह्म समाजी	44
(च) देव समाजी	56
(छ) बौद्ध	1
(ज) बनवासी	2,28,660
(झ) अन्य	432

* सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न धर्मविलम्बियों की संख्या इस प्रकार है—

(क) हिन्दू	2,30,93,805
(ख) जैनी	5 13,548
(ग) सिक्ख	3,41,182
(घ) बौद्ध	3 642
(ड) मुसलमान	17,78,275
(च) ईसाई	30,202
(छ) विविध	4,336
(ज) अन्यात धर्मी	723

इस प्रकार हिन्दू 89.93 प्रतिशत, मुसलमान 6.90 प्रतिशत, मिक्त 1.33 प्रतिशत, जैन 1.99 प्रतिशत, ईसाई 0.12 प्रतिशत है और बौद्ध 0.01 प्रतिशत है बौद्धों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण कई हिन्दू ग्रन्थों जातियों का बौद्ध धर्म अपना लेना है।

मुसलमान	10,69,325
(क) सुन्नी	10,41,361
(ख) शिया	21,818
(ग) अहलेहवास (वहाबी)	2,004
(घ) अन्य	4,142
ईसाई	5,778
(क) भारतीय	4,021
(ख) विदेशी	1,757

ईसाईयों में भी विभिन्न मतों के अनुसार सख्ता इस प्रकार है—

(क) एन्गलीकन	941
(ख) इण्डियन युनाईटेड चर्च	1,514
(ग) मैथीडिस्ट	893
(घ) प्रोटेस्टेन्ट	334
(ड) रोमन कैथोलिक	1,465
(च) अन्य	631

पारसी 319

यहूदी 38

जैनियों में उनके विभिन्न मतों के अनुसार सख्ता इस प्रकार है—

कुल जैन—	3,00,748
(क) श्वेताम्बरी	1,34,615
(ख) दिग्म्बरी	67,237
(ग) बाईस टोला (दु द्विया)	50,228
(घ) तेरह पथी	38,563
(ड) अन्य	1,165

हिन्दू धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया धर्म नहीं है। और न इसका कोई एक धार्मिक ग्रन्थ ही है। यह अनेक विश्वासों का समावय है। आयों के समय से लेकर अब तक अनेक धर्मों व यस्कृतियों के मेल से ही यह धर्म बना है। वास्तव में हिन्दू एक जाति है जिसका नामकरण लगभग 3500 वर्ष पूर्व ईरानी लोगों द्वारा किया गया। ईरानी सिन्धु नदी को

हिन्दु नदी कहते थे अत सिन्धु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हिन्दू कहलाने लगे । इसी से हिन्दु व उनका देश हिन्दुस्तान शब्द चल निकले । यो अब सामान्यत हिन्दु धर्मविलम्बियो में पौराणिक (पुराणों में वर्णित धर्म) मत को मानने वाले लोग आते हैं । पौराणिक मत में किसी एक ही देवता की पूजा नहीं की जाती है । पुराणों में अनेक देवी देवताओं का महात्मय बतलाया गया है । इसी कारण हिन्दु लोग ब्रह्मा विष्णु, शिव, गणेश आदि देवताओं के साथ ही साथ राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की भी पूजा करते हैं । इनके अलावा कई वृक्षों (तुलसी, बट पापल आदि) व नदियों (गंगा, यमुना, नर्मदा आदि) का भी पूजते हैं ।

आर्यों ने वेदों की रचना लगभग 3000 वर्ष ईमा पूर्व काल में की थी । वैदिक आर्य यज्ञ के प्रेमा थे । वे चर्लण सविता, ऊपा इन्द्र, मूर्य अग्नि आदि को भी देवता मानते थे । वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । अथर्ववेद में अधिकांश भाग पहले तीन वेदों के हैं । यज्ञो में प्रत्येक वेद के मत्र पढ़े जाते थे । इन यज्ञों को विधिया बतलाने को ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये । प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रन्थ है । वेदों के शुद्ध पठन और गायन के लिये वेदान्तों की रचना की गई । वेदान्तों के साथ ही उपनिषदों की भी रचना हुई । उपनिषदों में वेद के उन स्थलों की व्याख्या है जिनमें यज्ञों से अलग हटकर कृपियों ने जोवन के गहन तत्त्वों पर विचार किया था । उपनिषदों से समाज में आत्मविद्या और तपश्चर्या को प्रवृत्ति जागृत हुई । उपनिषद कान (ईमा पूर्व 600) में लोगों का ध्यान यज्ञों की ओर से हटने लगा और वे उपासना की ओर ध्यान देने लगे । मूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया । वैदिकियों और सायासियों को मृत्यु बड़ने नपी । वे लोग हठयोग में विश्वास करते थे । हठयोग की क्रिया से वे आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करना मानते थे । इस काल में वेदों के दो प्रत्रल विरोधी—ब्रह्मसति और चार्वाक हुए । इन्होंने वेदों की निन्दा करते हुए यहाँ तक कहा—“वेद ठगो, पाखण्डिया, और मासाहारियों को रचना है । वेदों के रचयता यज्ञों हेतु घाड़ों को मारते थे और उनका मास साते थे ।” इनकी यह निन्दा पूर्णतया सत्य नहीं थी । क्योंकि, उस काल के ब्राह्मण ग्रन्थों में भूषण आदेश लिखे मिलते हैं कि, “माहिस्यान् सर्वं भूतानि” (किसी भी जीव को मत मारो) । श्री कृष्ण ने भी बताया था कि, जिस यज्ञ में जीव हत्या नहीं होती है वही सर्वोत्तम यज्ञ होता है । वास्तव में आर्यों के यज्ञ हिंसा रहित होते थे । वैदिक काल में यज्ञ शब्द का अर्थ थ्रेष्ठ कर्म था ।

जिसका अर्थ सगति - कर्ण देव पूजा और दान था । मृतियों में पाच प्रकार के यज्ञ माने गये अर्थात् ब्रह्म यज्ञ, (सध्या), देव यज्ञ (हवन), पितृ यज्ञ (माता पिता की सेवा), भूत यज्ञ या वलि विश्वदेव अर्थात् घोटे पशुओं का पालन जैसे कुत्ता, पतित, निस्सहाय, मेहतर (चण्डाल, कौटी, कौआ, चीन्टी, इत्यादि को खिलाना और पाचवा अतिथि यज्ञ अर्थात् अतिथि की शुद्ध अथवा जल से सेवा और तृप्ति करना, प्रकस्मात् घर पर आये हुए पण्डितों (विद्वानों) और सन्यासियों की सेवा करना । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस काल में कुछ ब्राह्मण हिंसा पूरित यज्ञ को ही धार्मिक कृत्य समझने लगे थे और सामान्य जनता को यज्ञों में होने वाली इस अनावश्यक पशु वलि को रोकना उचित समझा । ऐसी परिमितियों में कुछ क्षत्रियों ने दिशेप कर क्षत्रिय वशज महावीर व बुद्ध ने निरीह पशुओं की प्राण रक्षा का भार उठाया उन्होंने यज्ञ के पुरोहितों (ब्राह्मणों) भी प्रमुखता समाप्त करने व समाज में समता लाने के प्रयत्न किये । इन्होंने वैदिक यज्ञों में होने वाली हिंसा का भी विरोध किया ।

महावीर जैन धर्म के प्रवर्त्तक थे । जैन धर्म की मुख्य बातें हैं— अहिंसा और तप । स्वयम् हिंसा करना, दूसरों से हिंसा करवाना, य अन्य किसी किसी प्रकार से हिंसा में योग देना, जैन धर्म में इन सबकी मनाही है । शारीरिक अर्थिंसा के अलावा बीद्रिक अहिंसा भी जैन धर्म में अनिवार्य है । इसी कारण जैन काश्त न कर ब्यापार का धन्धा अपनाते रहे हैं ताकि उनसे कोई हिंसा नहीं हो । जैन धर्म में अपरिमित कष्ट सहने की भी प्रवृत्ति है । जैन महात्मा इन्द्रीय नुख के घोर शत्रु है । उपवास और अनशन की जैन धर्म में बड़ी महिमा है ।

बुद्ध ने बीद्र धर्म चलाया । बीद्र मत भी पशु हिंसा का विरोधी रहा । यो बीद्र धर्म मूल्यत सन्यासियों का धर्म था । जैन धर्म की भाँति बीद्र धर्म वेदों का विश्वास नहीं करता है । इसा पूर्व काल में इन दोनों धर्मों का तेजों से भारत भर में प्रचार हो गया और राजस्थान में कई मठ व विहार बन गये जहां जैन व बीद्र माधु रहते थे । लेकिन, बीद्र धर्म की यहां जड़े जम नहीं सकी । यह यहां लोकप्रिय नहीं हो सका क्योंकि, बीद्र दर्शन में चिन्तन पर ज्यादा जोर दिया गया था जो सामान्य बुद्धि की जनता की समझ के बाहर था । बाद के वर्षों में बीद्र साधु ज्यादा ही सुरा और

रणी में लिप्त हो गये । अत जनता उन्हे धृणा से देखने लगी । इन रणों से अब राजस्थान में बौद्ध धर्मविलम्बी नाम के ही है । इसके परित जैन धर्म वैदिक धर्म से ज्यादा ही साम्य रखने के कारण यहां जमा है । राजस्थान में अब जैनों की सख्ती तीन लाख से ऊपर है । काफी हिन्दू धर्म में भी आ गये क्योंकि उनके आचार, रहन सहन और रीति रिवाज हिन्दुओं जैसे ही थे ।

जैन धर्म की शाखाएं मुख्यतः चार हैं—श्वेताम्बरी, दिगम्बरी, ईस टोला (दु ढिया), और तेरह पथी । श्वेताम्बरी मूर्ति पूजते हैं और उनकी मूर्तियों के पोशाक व गहने होते हैं । दिगम्बरी की मूर्तियां तथा उनके साधु नगे ही रहते हैं । ये जैन साधु शहरों में भी नगे डोलते रहते हैं । गम्बर यह मानते हैं कि, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती है परन्तु श्वेताम्बरी ने मानते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति होती है । दिगम्बरी कहते हैं कि जैन धर्म कर मत्तिनाथ पुष्प था परन्तु श्वेताम्बरी जैनी बहते हैं कि लिनाथ एवं स्त्री थी ।

दु ढिया (स्थानक वासी) सम्प्रदाय के जैनी गुरुओं की पूजा करते हैं । उनके गुरु सफेद वस्त्र पहिनते हैं और मुह पर मू मती पट्टी वाघे रहते हैं । ढियाँ मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं । तेरह पन्थी मत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की एक शाखा है । यह दु ढिया (वाईस टोला) मत से स. 1817 आसाड़ सुदी 15 जनवार (ता. २८ जून, 1760 ई.) को फटा है । इसके लाने वाले म्वामी भीक्षमजी ओसवाल थे जो स. 1783 आसाड़ मुदि 13 जी जोधपुर राज्य के गाव कंटालिया (परगना मोजत) में जन्मे थे । अपनी भंपत्ती का स्वर्गवास हो जाने पर सम्बत् 1808 वि. में वे दु ढिया मत के साधु हो गये । गुरुदेव के मतभेद होने पर इन्होंने अपने नये सिद्धान्तों के नियुसार नया पथ चलाया उस समय केवल 13 साधु उनके विचार के मले । अत यह मत 'तेरहपन्थी' कहलाया । इनके 13 नियम हैं जिनमें विषय है—मूर्ति को नहीं पूजना, सिर्फ अपने पथ के साधुओं का आदर रखना, किसी प्राणी को दुख न देना और कोई सम्पत्ति अपने पास न लेना । इस मत के कुछ मतव्य निराले हैं । जीव दया के बारे में गिरते ये वच्चों को नहीं बचाना, ब्रह्मतर को कोई विल्ली खा रही हो तो नहीं दुड़ाना क्योंकि, ब्रह्मतर विल्ली की खुराक है । अग्नि लगाने से कोई गो भा जलती हो तो उसे भी नहीं बचाना, भूखे प्यासे प्राणियों की सहायता नहीं करना इत्यादि क्योंकि इनसे एकान्त पाप लगना मानते हैं ।

यो देखा जावे तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म काफी सीमा तक वैदिक धर्म के समान ही थे । दोनों का मूल उपनिषदों के चिन्तन में ही था । यह धर्म तो केवल वैदिक धर्म को सशोधन करने को ही चलाये गये थे । राम कृष्ण की भाति महावीर व बुद्ध भी अवतार थे जिन्होंने पिछले धर्म में सुधार किये । अन्यथा सनातन धर्म तो वरावर चलता ही आ रहा था । वह कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ । कुछ समय के लिये वह भले ही दब गया हो । गुप्त काल तक (चौथी शताब्दी) आते-आते हिन्दू धर्म का पुन विस्तार हो गया । और हिन्दू यज्ञ वेदी को छोड़कर मूर्तिपूजा करने लगे । अब साकार की उपासना होने लगे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा और दशावतारों की सर्वत्र पूजा होने लगी । वैष्णव, शव और शाक्त उपासना की विधिया प्रचलित हो गयी । प्रारम्भ म शैव और शाक्त धर्म में कोई विभिन्नता नहीं थी । केवल कालक्रम से ही अलग-अलग हो गये । शैव धर्म का मुख्य ध्येय मुक्ति रहा है और उसकी साधना ज्ञानमयी भक्ति से होती है । शाक्त धर्म ने अपना ध्येय मुक्ति नहीं बल्कि सिद्धी को माना है और उसके साधनों में मुख्यतः मन्त्र, तत्र और योग¹ की साधना शैव धर्म के साथ ही विकसित हुई और उसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना ही रहा । लेकिन शाक्त धर्म ने योग को सिद्धियों का प्रमुख साधन वे रूप में अपना लिया । योग की क्रियाओं में हठयोग प्रमुख है । इसको शैव व शाक्त दोनों ही प्रमुखता देते हैं लेकिन किसी सीमा तक शाक्तों में शैवों से ज्यादा इसका प्रचलन है ।

हिन्दू धर्म का यही रूप वरावर चलता आ रहा है । पिछली शताब्दियों में कई धर्माचार्य आये लेकिन वे हिन्दू धर्म की धूल जाड़कर ही रह गये । हि दू धर्म के मूल रूप को कोई नहीं बदल सका । हिन्दू धर्म के प्रमुख सुधारकों में शकराचार्य का नाम अमर है । इस्वीं सन् 788 में जन्मे शकराचार्य ने पीराणिक धर्म से ग्रसित हिन्दू धर्म को उपनिषदों की ओर मोड़ा । इससे हिन्दुओं का ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा । उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया । शाक्त मन्दिरों में बलि देने को प्रथा का विरोध किया और बौद्ध संघों के अनुसार ही हिन्दू सन्यासियों के मध्य स्थापित किये । भारत एक ही राष्ट्र है, यह जल्दाने

1 योग द्वारा साधक शरीर को आत्मा से जोड़ लेता है और आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर मुक्ति पा लेता है । योग को किया मनोविज्ञान की क्रिया के समान होती है ।

को उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में चार पीठ स्थापित किये। ये पीठ हैं— उत्तर में बद्रीकाश्रम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में श्रुगेरी। इनके समय में बौद्ध धर्म मृत्यु प्राय हो गया। शक्ति बौद्ध दार्शनिकों की भानि जून्यवाद में ही विश्वास करते थे। उन्होंने इसे मायावाद कहा। इसी वारण शक्ति को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। शक्ति का ब्रह्म निराकार था। इस कारण जनता इसकी ओर ज्यादा नहीं झुक पाई। और शक्ति मत के विलुप्त निष्पार्क, गमानुज, वल्लभाचार्य आदि साकार वाद के महात्मा ज्यादा लोकप्रिय हो गये। हिन्दू धर्म के अन्य सुधारकों में कबीर, दादु आदि आते हैं। इन सुधारकों द्वारा चलाये पन्थों के कबीर पथी,¹ दादु पथी,² रामस्नेही,³ (शाहपुरा व सेडापा) विश्नोई⁴

(1) कबीर पथी—

इस पथ को रामानन्द के शिष्य कबीर ने चलाया था। कबीर निराकार ईश्वर का उपासक था। उसके नोति विवरक दोहे हिन्दी साहित्य की अमूल्य देन है। कबीर बाणी के नाम से इस पथ के लाग अपने धर्म का मुख प्रभ्य मानते हैं। कबीर पथी साधु विवाह नहीं करते हैं और वे किसी भी जाति के व्यक्ति को अपना चेता बना लेते हैं।

(2) दादु पथी—

इस सम्प्रदाय के संस्थापक दादु अहमदाबाद के नागर शाहपुरा थे। इनके उपदेश जो लगभग 5000 धर्मों में दादु बाणी में सप्रहित हैं। दादु के एक सौ बाबन शिष्य थे। जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में गादिया स्थापित की। दादु पथ के लोग भगवा यस्त्र पहनते हैं। इस पंथ में नागा और निहन-दो शाखाये हैं। इनको मुख्य गढ़ी नरायना में है।

(3) रामस्नेही—

रामस्नेही साधुओं के गुरुद्वारे शाहपुरा और सेडापा में हैं। इस सम्प्रदाय के प्रमुखाधीनी सदा राम-नाम का उच्चारण करते रहते हैं। इनका एक गुरुद्वारा ब्रीवानेर राज्य के सियल गाँव में है।

(4) विश्नोई—

इस पथ के प्रबत्तक जाम्याजी को विद्यु का अवतार बताया जाता है। जाम्याजी पवार राजपूत था। जाम्याजी के 29 उपदेशों और 120 शब्दों का सप्रह "मन्त्र सागर" में सप्रहित है जो इनका मुख्य पार्मिक पर्यय है। इस धर्म में पहले प्रत्येक जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता था लेकिन अब ये एक जाति विशेष बन गई है। वहसे इस धर्म में शाहपुरा, क्षत्रिय, लैश्य और जाट ही ये जो जाम्येश्वरजी के 29 उपदेशों को ही मानते थे।

नवख, ^१ ब्रह्म समाजी, ^२ आर्य समाजी, ^३ देव समाजी, ^४ राधा स्वामी, ^५ आदि भतो के अनुयायी भी यहां पाये जाते हैं।

1) सिक्ख -

इस मत के स्थापक नानकदेव का जन्म स. 1526 कालिक सुदि 15 ता. २० अक्टूबर 1469 ई० (शुक्लार) को पजाय में हुआ था। वे जाति के लक्ष्मी थे और उनके पिता का नाम कालुराम था। उन्होंने यताया कि मूर्तिपूजा धर्यां है। श्वर अवतार नहीं सेता। जात पात व शुभ्रा धून मानना भी धर्यां है, इत्यादि। उनके बाद अगदेव, अमरदास रामदास और अर्जुनदेव ने गुरु का स्थान प्रहरण किया। अर्जुनदेव मुसलमानों द्वारा वि. स. 1663 में मारे गये। उसके बाद रगोविंद गुरु ने सिक्खों को तलबार पकड़ना सिखलाया। नवं गुरु तेग बहादुर को आदशाह और गजेव ने मरवा दाता। गुरु गोविंदसिंह ने सिक्ख लोगों को हवियार गानना और नाम के साथ धीरता सूचक “मिह” शब्द जोड़ना वर्म यत्तलाया और उन्हें सैनिक बना दिया। गुरु के दो पुत्रों को और गजेव ने दीवार में चुनवा दिया। तना होने पर भी सिक्खों ने मुसलमानों के घटके छुड़ा दिये। पाच काल वस्तुएँ ऐतिहासिक सिक्ख रखता है—कडा, केश, हुगल, बधा और कच्छ (जाधिया)। तमाखू इनां पे पाप समझते हैं।

(2) ब्रह्म समाजी -

ब्रह्म समाज की स्थापना स. 1885 कालिक सुदि 2 रविवार (ई० सन् 1828) से राजा रामसोहनराय ने कलकत्ते में की। वह जाति के ब्राह्मण थे। लियो हो जलाया जाना (सती प्रथा), वेदों की विस्मृति आदि बातें उन्हें अच्छी न लगी प्रीत और उन्होंने इनके विलङ्घण और न गुह किया। इस समाज के तिद्वान्तानुसार गरमात्मा एक है तथा जीव उससे भिन्न है। मूर्तिपूजा और जाति भेद मिथ्या है। इस समाज का बगाल में बड़ा प्रचार है। बम्बई प्रदेश से इसका रूपान्तर प्रारंभना समाज है।

(3) आर्य समाजी -

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में स. 1932 की चंत्र सुदि 5 शनिवार (१० अगस्त 1875 ई०) को आर्य समाज स्थापित कर चंद्रिक धर्म का असली स्वरूप हिन्दुओं को समझाया और हिंदू धर्म को ईसाई तथा मुसलमानों कटाक्षों से बदाया। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म का खोलतापन तिढ़ करने में कोई कसर नहीं रखती। इससे कई ईसाई व मुसलमान उसके घोर शत्रु बन गये। इसके असाधा उन्होंने हिंदू धर्म को भी बुराईयों को दूर किया और हिन्दुओं के सामाजिक सम्बन्धों को दृढ़ किया। उन्होंने यत्तलाया कि हिन्दुओं के धर्मप्रथम वेद ही है। आर्य शास्त्रों और पुराणों को आख बन्द कर नहीं मानना चाहिये। उन्हें बुद्धि की कसोटी पर कस

राजस्थान में मुस्लिम धर्मविलम्बियों की संस्था 'लगभग खारह लोग' है। राजस्थान में इस धर्म का प्रचार ग्यारहवीं शताब्दी में हो गया था लेकिन मृथ्युराज चौहान की पराजय (ईस्वी सन् 1192) के बाद से यहाँ इसकी जड़े जमने लगी। मुस्लिम धर्मविलम्बियों का इस क्षेत्र में आने का प्रारम्भ में मुख्य कारण राजनीतिक था। उस समय यहाँ के शासक व जनता छोटे 2 राज्य में बटी हुई थी और वे अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे। इस कारण मासूली भागडो पर वे एक दूसरे राज्य से लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति द्योते रहते थे। यह देख कर ही मुसलमान आक्रमणकारी इस आर तेजी से बढ़े और यहाँ के राजाओं को पराजित कर अपना शासन कर ही समझना चाहिये। वह मूर्ति पूजा, अवतार बाद तीव्र आदि को भी नहीं मानते थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वौराणिक धर्म में कोई सार नहीं है। इससे कई सनातनी हिन्दू उनके शब्द हो गये और उन्हें विष देकर मार डाला।

(4) देव समाजी -

यह समाज वि० स० 1934 (ई० सन् 1877) में कानपुर निवासी ५० शिवनारायण अग्रिमहोत्री ने लाहौर में स्थापित किया था। बाद में संघासी (स्वामी सत्यानन्द) बनकर अग्रिमहोत्री ने देवगुरु भगवान को उपाधि धारण की। ईश्वर को यह समाज नहीं मानता है। समाजता के आदर्श पर यह चताथा जाता है। मण्डपान व मांताहार की मनाही है। इसके अनुयायी बहुत ही कम है।

(5) राधास्वामी -

यह सबसे नवीन पथ है। इसके जन्मदाता आगरा के बाबू शिवदयाल सेठ (लश्चो) ने जो अपने सम्प्रदाय में "स्वामीजी महाराज" कहलाते थे और सर्व शक्ति मान राधास्वामी के अवतार समझे जाते थे। उनके द्वारा वि० स० 1917 माघ मुदि 5 शुक्रवार (ता० 15 फरवरी 1861 ई०) को इस पथ का शुरू होना कहा जाता है। उनका जन्म 1875 भादो वदि 8 सोमवार (ता० 25 अगस्त 1818) को और देहान्त स० 1935 के आसाढ वदि 1 शनिवार (ता० 15 जून 1878 ई०) को हुआ। उनकी धर्मस्तिं "राधाजी महाराज" के नाम से प्रसिद्ध है। इस धर्म की विशेषता योगास्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है। आगरा में सन् 1915 ई० से दयालशाह में इनका प्रथान भट्ठ है। इस पथ में गगा, जमुना, मन्दिर मूर्ति और जात-पात नहीं मानी जाती है। ये स्त्री अपने को "सत्सगी" कहते हैं। इस मत में गुरु भक्ति बहुत है और गुरुजी का बचा हुआ महाप्रसाद लाने में आत्मिक सम्बन्ध से भुक्ति मानने हैं। (देखे दाक्टर दो० प्रा० भडारकर लिखित "नोट आन दी राधा-स्वामी सेषट" सेत्स आफ इण्डिया जिल्ड 9 सन् 1901 ई० पृ० 74)।

जमा वैठे । मुसलमान शासकों ने अपना धर्म फैनाने में भी कोई वसर नहीं रखी । इस्लाम धर्मविलम्बियों में सहन शीलता करती नहीं थी । हिन्दू दूसरे धर्मों का आदर करते आये हैं लेकिन मुसलमान हिन्दुओं के कट्टर विरोधी थे और वे हिन्दू मूर्ति पूजन को प्रणालीया समाप्त करने पर तुले हुए थे । अत उन्होंने यहाँ मारकाट कर लोगों का धर्म परिवर्तन कर, हिन्दुओं की जो दुर्गति की उससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई खुदी वह आज तक पट नहीं पाई है । उन्होंने हिन्दू अद्यतों को लोभ लालच देकर, स्वर्णों के अत्याचारों से छटकारा दिलाने का आश्वासन देकर, काफी लोगों को अपने धर्म—इस्लाम में परिवर्तित किया । इस प्रकार राजस्थान में मुसलमानों की ज्यादा सख्त्या हिन्दू धर्म से परिवर्तित लागों की है । ये धर्म परिवर्तित मुसलमान अपने रहन सहन रीति रिवाज, आदि कम ही छोड़ पाये हैं । इस बारण अभी भी हिन्दुओं के कई रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं । हिन्दुओं द्वारा मूर्तियों की पूजा की जाती है तो यह मुसलमान भी कब्रों की पूजा करते हैं, मिथते मागते हैं, और चढ़ावा चढ़ाते हैं । दहेज, थाढ़ आदि वा भी इनमें प्रचलन हो गया है । जाति प्रथा भी इनमें फैल गयी है । मुसलमानी मजहब में ७२ सम्प्रदाय (फिरके) हैं जिनमें सुनी, शिया, बहाओ (अहले हदीस) मुख्य हैं । इनके सिवाय नौ मुस्लिमों को भी कुछ जातिया है जो अब तक हिन्दू धर्म का कई बात मानती है । हिन्दू व मुसलमान या आपस में से ही रहते थे, लेकिन पिछली शताब्दी से जब अग्रज शासकों ने फून डाली और जासन भेद डालकर करों की नीति अपनाई है तब से विटीश भारत के देखादेखों देशी राज्यों के मुसलमान भी कही कही मस्जिद के सामन बाजा न बजाने का सवाल उठाने लग हैं और हिन्दू मुस्लिम भक्त छोन लग गये हैं ।

उनीसवी शताब्दी के आरम्भ म अग्रज से यहाँ के राजाओं की सविया हा जाने पर काफी अग्रेज यहा रहने लगे । उनके कारण यहा भी उनके धर्म—ईसाई धर्म का प्रचार होन लगा । राजस्थान में पहला ईसाई मिशन “यार” में माच 1860 में स्थापित हुआ और अगस्त, 1861 में ईसाई धर्म का सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रारम्भ हो गया । व्यावर के बाजार में सप्ताह में दो बार अग्रेज पादरी धार्मिक सभाय करने लगे । इनके प्रयत्नों से 22 माच, 1863 को पहला व्यक्ति झाक गाव वा मेर (रावत) उमरावसिंह ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ । अग्रेजी सरकार द्वारा काफी

प्रोत्साहन धर्म परिवर्तन हेतु दिया जाने लगा । फिर भी यहा ईसाई धर्म ज्यादा नहीं फैल सका । इसका मुख्य कारण उनका पश्चिमी सस्कृति में ज्यादा रण होना था । जो भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता वह शराब पीना, गाय और सुअर का मास खाने से परहेज नहीं करता था तथा टोप पहन कर या टाई लगाकर अपने को काला अग्रेज समझता था । मानो वह या उसके पूर्वज इगलेंड से ही आये हो । ऐसे लोग ज्यादातर बनवासी या अचूत जातियों के थे । यो यहा के लोगों में धार्मिक सस्कार इतने सुट्टे थे कि ईसाई धर्म की वाहरी चमक उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी । अत ईसाई धर्म यहा लोकप्रिय नहीं हो सका । अच्छे खानदानों के तो नाम मात्र के लोग ही ईसाई बने । ज्यादातर लोग अनाथ हो जाने, अकाल, आर्थिक स्थिति खगड़ हो जाने या लोभ लालन में आ जाने से ही ईसाई बनते थे । कुछ सीमा तक अग्रे जी शिक्षा ने भी नवशिक्षितों को ईसाई धर्म की ओर धकेल दिया ।

राजस्थान के बाहर भारत के अन्य प्रान्तों में भी ईसाई धर्म का इसी प्रकार प्रचार उभिसवी शताब्दी में हुआ । यह देखकर राम मोहनराय, कैशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण, विवेकानन्द आदि ने हिन्दू धर्म का बास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखा और उन्हे बतलाया कि ईसाई धर्म बास्तव में इतना विवरित नहीं है जितना हिन्दू धर्म । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने न केवल ईसाई धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म के भी इतने दोप बतलाये जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ईसाई व इस्लाम धर्म हिन्दू धर्म से करई अच्छे नहीं है । इससे हिन्दू अपने धर्म के मूल रूप की ओर बाफी आकृष्ट हुए और ईसाई धर्म का प्रचार काफी सीमा तक रुक गया ।

ईसाईयों के मुख्य फिरके पाँच हैं—कैथोलिक (मूर्ति पूजक) प्रोटेस्टेण्ट (मूर्ति विरोधी), मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ इगलेंड और फी चर्च ऑफ स्टाटलैण्ड । प्रोटेस्टेण्ट (मूर्ति निषेधक) नागपुर के पादरी के मातहत और कैथोलिक (मूर्ति पूजक) आगरा के पादरी के नीचे हैं । इन लोगों का मिशन अकाल पीड़ित और रोगियों की सेवा अच्छी करता है ।

पारसी धर्म। और आर्य धर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। पारसी मूलतः ईरान के वासी हैं जो भारत में १० सन् ९३६ में आये। आर्यों की भाति ये लोग अग्नि पूजक थे और इसका अभी तक निर्वाह करते हैं। इनके भी आर्यों की भाति चार वर्ण थे— आधवन (वाहाण), रथेस्तार (क्षनिय), वास्त्रयोप (वंश्य) और हृतीध (शूद्र) इन धर्माविलम्बियों का धार्मिक गथ अवेस्ता है जिसका रचित्यता जयुत्प्र है। भाषा व भाव ऋग्वेद के मात्रों के समान ही है। ईरानी लोग सातवी शताब्दी तक काफी सुसङ्कृत व उन्नति शील थे लेकिन सन् ६५१ में अरबों ने ईरान पर हमला कर ईरानियों को काफी सख्ता में मुसलमान बना दिया। नवी शताब्दी तक ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान बन गई लेकिन तब वे अरबों पर ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो कारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम की भाषा बन गयी और ईरानी स्वत्वति ही इस्लाम की स्वत्वति का पर्याय मानी जाने लगी। जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सके वे भारत में चले आये। वे अपने माथ जयुत्प्र को ईश्वर द्वारा दी गई अग्नि ले आये और वस्त्री में मन्दिर बनवा कर वहां प्रज्वलित रखी जो आज

(1) पारसी -

पारसी भत के सत्यापक महात्मा जयुत्प्र वा जन्म तेहरान के पास रहे नामक गाँव में ईसा मसीह से १५२७ वर्ष पूर्व हुआ था। झावटर हाग के मतानुसार जयुत्प्र ने पजाब और काश्मीर के ग्राहाणों से येद पठे और उनका अनुवाद अपने देश की भाषा में किया। यह भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। इस ग्रन्थ का नाम महर्यि जयुत्प्र ने अपनी भाषा में अवेस्ता रखा।

प्राचीन काल में भारतवर्ष को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व दक्षिणी यूरोप और मिथ्र में भी यह भत कैसा हुआ था। अब इस भत के लोग पारस देश में और कुछ वस्त्री प्रान्त में ही पाये जाते हैं। वे अपने को आर्य कहते हैं लेकिन दूसरे भतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक बताते हैं। ईसा की नवीं सदी में जब मुसलमानों ने ईरान (पर्सिया) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान होने के लिये तग किया, तब उनमें से कितने ही लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये भारत-वर्ष में चले आये। इस समय के पारसी उन्होंने धर्मवीरों के बशज है। ये लोग तगभग सारे ध्यवहारों में हिन्दू ही होते हैं। इनका सिद्धान्त यह है— परमेश्वर अनादि, अनन्त और निर्विकार है। मूर्तिपूजा व जातपात धर्यर्थ है। हवन, दया, गायों की रक्षा और गिला सूत्र का पारण करना, सफाई से रहना, यहो उपदेश इन्हे दिया जाता है। भारत में यह लोग करीब एक लाख हैं।

तक जल रही है। इस धर्म के लोग राजस्थान में कम ही है। ज्यादातर पारसी व्यापार करने हैं। कुछ लोग राजकीय सेवाओं में भी है। शिक्षा व वैभव में ये अन्य धर्मावलम्बियों से काफी आगे हैं।

सिक्ख धर्म के प्रवर्त्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक निराकर वादी थे और जात पात, तीर्थों, और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वे ईश्वर को सर्व व्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म में नानक के चाद, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराम, हरकृष्णराय, तेजवहादुर, और गोविन्दसिंह गुरु हुए। गोविन्दसिंह ने अपने धार्मिक ग्रन्थ “ग्रन्थ साहिब” को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया। इस कारण उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ग्रन्थ साहिब में सभी गुरुओं के बचन और पद सम्प्रहित है। सिक्ख धर्म, प्रारम्भ में शाति प्रिय एवम् भावुक भक्तों का सम्प्रदाय था लेकिन वादशाह जहांगीर तथा औरंगजेब के अत्याचारों के कारण इनमें सामरिकता आ गयी। इस्लाम के अल्लाहो अकबर की भाति ही सिक्ख धर्म का नारा हो गया “सत श्री अकाल”। धर्म के नाम पर जितने बलिदान सिक्खों ने दिये उतने कम ही और धर्म वालों ने दिये हैं। यो हिन्दू धर्म व सिक्ख धर्म एक ही धर्म है। हिन्दुओं की भाति सिक्ख धर्म में भी जात पात, छुआँडूत आदि है। हिन्दुओं और सिक्खों वीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होते हैं लेकिन जाति के अनुसार। सिक्खों की ज्यादा सख्ती वीकानेर राज्य में हैं।

इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू है। हिन्दू धर्मावलम्बियों के अनुपात में मुस्लिम धर्मावलम्बी काफी कम है। इतना होते हुए भी यहाँ हिन्दू और मुसलमान काफी सौहार्दपूर्ण बातावरण में रहते हैं। अलबर राज्य में कुछ साम्प्रदायिक दोगे अवश्य होते रहते हैं लेकिन इसका जहर पैलाने वाले राजस्थान के बाहर के असामाजिक तत्व हैं। अन्यथा सभी राज्यों में हिन्दू और मुसलमान मिल कर रहते हैं। यह अवश्य है कि सान पान, विवाह सम्बन्धों व रीति रिवाजों के पालन में कोई एकता नहीं है। यही बात ईसाईयों के सम्बन्ध में है। हिन्दुओं के लिये ईसाई व मुसलमान अद्भूत ही हैं और जब तक इन तीनों धर्मावलम्बियों में छुआँडूत चलेगा तब तक इनमें एकता नहीं हो सकेगी।

पारसी धर्म^१ और आर्य धर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। पारसी मूलत, ईरान के वासी हैं जो भारत में ६० सन् ९३६ में आये। आर्यों की भाति ये लोग अग्नि पूजक थे और इसका अभी तक निर्वाह करते हैं। इनके भी आर्यों की भाति चार वर्ण थे— आथ्रवन (ब्राह्मण), रथस्तार (क्षत्रिय), वास्त्र्योप (वंश्य) और हुतीक्ष (शूद्र) इन धर्माविलम्बियों का धार्मिक गथ अवेस्ता है जिसका रचियता जयुष्ट्र है। भाषा व भाव ऋग्वेद के मानों के समान ही है। ईरानी लोग सातवी शताब्दी तक वाफी मुसलमान व उन्नति शील थे लेकिन सन् ६५१ में अरबों ने ईरान पर हमला कर ईरानियों का काफी भख्या में मुसलमान बना दिया। नवी शताब्दी तक ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान बन गई लेकिन तब वे अरबों पर ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम की भाषा बन गयी और ईरानी मस्कृति ही इस्लाम की सस्कृति का पर्याय मानी जाने लगी। जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सके वे भारत में चले आये। वे अपने साथ जयुष्ट्र को ईश्वर द्वारा दी गई अग्नि ले आये और बम्बई में मन्दिर बनवा कर वहां प्रज्वलित रखी जो आज

(1) पारसी -

पारसी भत के सत्यापक महात्मा जयुष्ट्र का जन्म तेहरान के पास रहे नामक गाव में ईसा मसीह से १५२७ वर्ष पूर्व हुआ था। डायटर हाग के मतानुसार जयुष्ट्र ने पजाब और काश्मीर के द्वाह्यालों से ब्रेद पढ़े और उनका अनुवाद अपने देश की भाषा में किया। यह भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। इस ग्रन्थ का नाम महर्षि जयुष्ट्र ने अपनी भाषा में अवेस्ता रखा।

प्राचीन काल में भारतवर्ष को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व इक्षिणी यूरोप और मिथ में भी यह भत फैला हुआ था। अब इस भत के लोग पारस देश में और कुछ बम्बई प्रान्त में ही पाये जाते हैं। वे अपने को आर्य कहते हैं लेकिन दूसरे भतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की नवीं सदी में जब मुसलमानों ने ईरान (पर्सिया) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान हानि के लिये तग किया, तब उनमें से कितने ही लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये भारत-वर्ष में चले आये। इस समय वे पारसी उम्ही धर्मवीरों के बशज हैं। ये लोग लगभग सारे व्यवहारों में हिन्दू ही होते हैं। इनका सिद्धान्त यह है— परमेश्वर अनादि, अनन्त और निर्विकार है। मूर्तिपूजा व जातपात व्यर्थ है। हवन, दया, गायों की रक्षा और शिखा सूत्र का धारण करना, सफाई से रहना यही उपदेश इन्हे दिया जाता है। भारत में यह लोग करीब एक साल हैं।

तक जल रही है। इस धर्म के लोग राजस्थान में कम ही हैं। ज्यादातर पारमी ध्यापार करते हैं। कुछ लोग राजकीय सेवाओं में भी हैं। जिक्षा व वैभव में ये अन्य धर्मावलम्बियों से काफी आगे हैं।

सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक निराकर वादी थे और जात पात, तोथों, और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वे ईश्वर को सर्व व्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म में नानक के वाद, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराम, हरकृष्णराय, तेजवहादुर, और गोविन्दसिंह गुरु हुए। गोविन्दसिंह ने अपने धार्मिक ग्रन्थ "ग्रन्थ साहिब" को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया। इस कारण उनके वाद कोई गुरु नहीं हुआ। ग्रन्थ साहिब में सभी गुरुओं के वचन और पद मण्डित हैं। सिक्ख धर्म, प्रारम्भ में शाति प्रिय एवम् भावुक भक्तों का सम्प्रदाय था लेकिन वादशाह जहामीर तथा आरगजेव के अत्याचारों के कारण इनमें सामरिकता आ गयी। इस्लाम के अलाहो अकबर की भाति ही सिक्ख धर्म का नारा हो गया "सत श्री अकाल"। धर्म के नाम पर जितने वलिदान सिक्खों ने दिये उतने कम ही और धर्म वालों ने दिये हैं। यो हिन्दू धर्म व मिथख धर्म एक ही धर्म है। हिन्दुओं की भाति सिक्ख धर्म में भी जात पात, द्युम्रादूत आदि है। हिन्दुओं और सिक्खों बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होते हैं लेकिन जाति के अनुसार। सिक्खों की ज्यादा सत्या बीकानेर राज्य में हैं।

इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू है। हिन्दू धर्मावलम्बियों वे अनुसात में मुस्लिम धर्मावलम्बी काफी कम हैं। इतना होते हुए भी यहा हिन्दू और मुसलमान वाकी सौहारंपूर्ण वातावरण में रहते हैं। अलवर राज्य में कुछ साम्प्रदायिक दोगे अवश्य होते रहते हैं लेकिन इसका जहर फैलाने वाले राजस्थान के बाहर के अमामाजिक तत्व हैं। अन्यथा सभी राज्यों में हिन्दू और मुसलमान मिल बर रहते हैं। यह अवश्य है कि स्थान पान, विवाह सम्बन्धों व रीति रिवाजों के पालन में कोई एकता नहीं है। यही बात ईंगाईयों के मम्बन्ध में है। हिन्दुओं के लिये ईंगाई व मुसलमान अदूत ही हैं और जब इन तीनों धर्मावलम्बियों में द्युम्रादूत चलेगा तब तब इनमें एकता नहीं हो सकेगी।

शिक्षा

मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढग से सस्कृत व प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। उस समय शिक्षा विना किसी शुल्क के दी जाती थी और गरीब विद्यार्थियों को भोजन व वस्त्र भी गुरु या पाठशाला की ओर से दिये जाते थे। मुसलमानों काल में युद्धों की ज्यादा हलचलों से लोगों में शिक्षा का रग बिगड़ गया। इसका यह परिणाम हुआ कि लोग निरक्षर होकर अविद्या के अन्धकार में फँस गये। अग्रेजी के आने तक यही हाल रहा। लोग पाठशाला या मकान में जावर साधारण लिखना पढ़ना या काम चलाऊ हिसाब सीख लेते थे। ठाकुर या जागीरदार और धनों मानी लोगों ने तो यह समझ रखवा था कि पढ़ना लिखना ब्राह्मणों का ही काम है। इधर ब्राह्मण स्वयं भी पचां-टीपणा देखकर बार तिथि बतलाना, भागवत की कथा करना या एकादशी महात्म्य पढ़कर मुना देने में ही अपनी विद्या का पूर्ण होना समझ वैठे थे। वैश्यों का यह हाल था कि विना कानामात्रा के केवल अक्षर लिखना सीख लेना और चिट्ठी पत्री लिखना, वही साता रखना, अपनी शिक्षा की इति थी समझते थे। शुद्धों का तो कहना ही क्या? उनका लिखने पढ़ने का अधिकार ही नहीं समझा जाता था।

सन् 1818 में अग्रेजों से सन्धिया हो जाने के बाद राजस्थान में अग्रेजों शिक्षा का प्रचार आरम्भ हो गया। अजमेर में सन् 1819 से अग्रज पादरी जावेज को शिक्षा अधीक्षक नियुक्त किया गया था और अजमेर तथा पुकर में स्कूल खोली गई। सन् 1822 में भिनाय और केन्डी में भी स्कूल खोली गई। इन स्कूलों में कम ही लड़के पढ़ने आते थे। इन स्कूलों में ईसाई धर्म के प्रचार पर ज्यादा ही जोर दिया जाता था। अत जनता में ये स्कूले लोकप्रिय नहीं हो सकी। इस कारण ये स्कूल शीघ्र ही बन्द हो गई। बाद में मेकारों की नई शिक्षा नीति के अनुसार अजमेर में एक स्कूल मई 1836 में पुन खोली गई। यह स्कूल भी वित्तीय स्थिति कमजोर होने, बार बार अकाल पढ़ने व लड़कों द्वारा पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण सन् 1843 में बन्द कर दिया गया। जब जनता में अग्रेजी शिक्षा के प्रतिवृद्ध रुचि जागृत हुई तब सन् 1851 में यहाँ स्कूल पुन खोला गया और इसमें 230 छान भर्ती किये गये। इस स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल की परीक्षा पहली बार सन् 1861 में दी और तब यह हाई स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया। यही हाई स्कूल सन् 1868 में इण्टर कॉलेज बना दिया गया।

राज्यों में पहला सरकारी स्कूल सन् 1842 में अलवर में खोला गया। इसमें अग्रेजी शिक्षा सन् 1858 से दी जाने लगी। जयपुर में भी सन् 1844 में स्कूल खोली गई जिसमें सन् 1873 तक 800 छात्र हो गये। सन् 1873 में यह स्कूल इण्टर कॉलेज प्राप्ता दिया गया। जयपुर में सन् 1869 में तथा पाली में सन् 1873 में एग्लो चर्ना क्यूनर स्कूल खोले गये। वहाँ के महाराजा जमदंतसिंह ने अपने नाम से सन् 1893 में एवं इण्टर-मार्डियेट कॉलेज खोला जो सन् 1898 में डिग्री कॉलेज बन गया।

अन्य राज्यों में भी अग्रेजी शिक्षा हेतु स्कूले खोली गई। भालावाड़ में बून्दो में सन् 1863 में खोली गई। गोकानर राज्य में सन् 1872 में स्कूल खोली गई लेकिन वहाँ अग्रेजी शिक्षा सन् 1885 में आरम्भ की गई। उदयपुर में स्कूल सन् 1863 में खोलो गई लेकिन अग्रेजी शिक्षा सन् 1865 से आरम्भ की गई।

सन् 1869 की मार्च माह में ईसाई पादरियों ने अपना पहला मिशन व्यावर में स्थापित किया और तब ही एक स्कूल वहाँ खोला गया। यह स्कूल बहुत अच्छी तरह चलता रहा लेकिन जब कुछ मेहतर लड़कों को इस स्कूल में भर्ती किया गया तब 69 में से दो तिहाई लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। सन् 1862 में अजमेर में भी एक मिशन स्कूल खोला गया। तब भी कुछ मेहतर लड़कों का भर्ती किये जाने पर 103 लड़कों में से केवल 11 लड़के—7 मुसलमान व 4 हिन्दू रह गये। नसीराबाद टॉडगढ़, देवली व जयपुर में भी ऋषभ 1862, 1864, 1871 व 1872 में मिशन स्कूल खोले गये। मिशन ने लड़कियों की शिक्षा के लिये सन् 1862 में नसीराबाद में और सन् 1863 में अजमेर में स्कूल खोले।

स्कूलों के साथ ही साथ मिशन ने भूद्रशालय भी स्थापित किये। सन् 1867 में व्यावर में लिथो प्रेस गोला गया। इसमें पढाई की पुस्तकों के अलावा धार्मिक पुस्तकें भी दृष्टी थी। या जयपुर में भी महाराजा रामसिंह ने सन् 1862 में ही एक लिथो प्रेस स्थापित कर दिया था। सन् 1869 में व्यावर के लिये प्रेस में सरकारी 'राजपूताना गजट' (साप्ताहिक) छपने लगा।

इ० सन् 1863 तब विभिन्न राज्यों में केवल 13 राजसीय स्कूल तथा 569 निजि स्कूल थे जिनमें ऋषभ 2222 तथा 12 495 छात्र थे।

छान्नाओं पढ़ती थी। राज्यों में केवल जयपुर, भरतपुर व उदयपुर में ही कन्या पाठशाले थी जिनमें 102 छान्नायें पढ़ती थी। अजमेर मेरवाडा में अलग स्कूल थे। सन् 1872 की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 62 स्कूल थे जिनमें 2142 लड़के व 290 लड़किये पढ़ती थी।

ई० सन् 1870 में राजकुमारों की शिक्षा के लिये अजमेर में मैयो कॉलेज खोला गया। इससे भाती नरेशों को अप्रेजी शिक्षा दी जाने लगी और उन्हे अप्रेजी स्सकृति में रगा जाने लगा। इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त नरेश भी अपने राज्यों में शिक्षा का ज्यादा प्रसार नहीं कर सके। उन्नीसवीं शताब्दी के अत तक नाम भानु के लड़के शिक्षित हो सके। केवल 33,450 लड़के ही स्कूल में शिक्षा पाते थे। विभिन्न राज्य शिक्षा के लिये बहुत कम रकम खर्च करते थे। जयपुर, वीकानेर, उदयपुर, कोटा आदि रियासतें केवल 1·4 प्रतिशत तथा जोधपुर रियासत केवल 89 प्रतिशत रकम खर्च करती थी। अन्य छोटी रियासतों ने तो इस भद्र के अतर्गत कुछ भी खर्च करने का विचार ही नहीं किया। न केवल रियासतों के नरेश बल्कि उनके अधीन जागीरदार भी फिजुल खर्चों में रुपया पानी की तरह बहाते हैं, परन्तु ऐसे काम के लिए पूर्णतया उदासीन हैं। रियासतों की सरकारी सालाना रिपोर्ट और बजट देखने से स्पष्ट जाना जा सकता है कि शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया जाता है और राजकुटुम्ब पर कितना व्यय होता है। उदाहरण के लिये नीचे लिखे राज्यों के खर्च के आवडे देखिये—

राज्य	राजकुटुम्ब पर व्यय	शिक्षा पर व्यय
वीकानेर	11 प्रतिशत	1 4 प्रतिशत
जोधपुर	16 प्रतिशत	0 89 प्रतिशत
अलवर	20 प्रतिशत	1 00 प्रतिशत

प्रारम्भिक शिक्षा की यह दशा है कि 7011 मनुष्यों या 31 वर्ग मील अथवा 17 ग्रामों के पीछे अलवर राज्य में, 12,116 आदमियों या 230 वर्ग मील अथवा 33 ग्रामों के पीछे वीकानेर में एक सरकारी स्कूल है। इसपर भी खास धात यह है कि कई राज्यों में प्राइवेट (गैर सरकारी) शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अलवर, जयपुर और जोधपुर आदि राज्यों में स्वतन्त्र शिक्षण स्थाये राज्य की आज्ञा बिना नहीं खोली जा सकती है।

उधर बहुत से जागीरदारों को यह आशःका है कि प्रजा में शिक्षाका प्रचार दढ़ा तो वे लोग अपने कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों की माग अधिक पेश करेंगे । इसी भाव को लेकर जागीरदारों की जागीरों में विद्या का प्रचार है ही नहीं । मारवाड़ दरवार की सन् 1923-1924 की वापिक रिपोर्ट के पृष्ठ 62 का अवलोकन करने से पता चलता है कि —

‘दुर्भाग्यवश स्वयं अशिक्षित होने के कारण वे (जागीरदार) अपनी प्रजा की शिक्षा के प्रति कम ही उत्साह रखते हैं । वास्तव में उनमें से कुछ को यह गलत फहमी है कि शिक्षा पा जाने से उनकी प्रजा अपने कर्तव्यों के धरले अधिकारों के विषयों में ज्यादा सोचते लगेगी । ऐसी परिस्थितियों में जागीरी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई प्रगति नहीं हुई है और जबतक इस समस्या का हल नहीं निकाला जाता, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य पिछड़ा ही रहेगा ।’

हम यहा झालावाड़ नरेश की प्रश्ना किये विना नहीं रह सकते, जहा शिक्षा के लिये आमदनी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही खर्च किया जाता है ।

राजस्थान की जनता की शिक्षा पिछड़ी हुई है तो ही ही परन्तु यही दण्ड यहा के जागीरदारों, रईसों आदि की भी है । वे पढ़ने लिखने में विलकुल रुचि नहीं रखते हैं । वे अधिक से अधिक अपना नाम लिख देना यथेष्ट समझते हैं जिससे उनको वहुधा काफी हानि पहुँचती है । एक ठाकुर से पूछा गया कि “ठाकुरा बिता पढ़िया” (ठाकुर साहब आप कितने पढ़े हैं?) । उत्तर मिला—“हाथमु करम फोडा जीता” अर्थात् हाथ से अपनी वरवादी कर सके उतना । तात्पर्य यह है कि वे बोहरों के लिखे वागजो पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । अशिक्षित होने से इनके विचार भी समयानुकूल नहीं होते हैं । उनके लिये निम्न इच्छाएं पूर्ण हो जाना ही सब कुँह है ।—

चाकर गोली होय, जमी वहे वारणे ।

मुदबो महलो माय, प्यारी रे कारणे ॥-

कामेतियो करे काम, ढोली नित गावणा ।

इतरा दे किरतार, फेर काई चावणा ॥

अर्थात् चावरी के लिए दास और दासिया हो, भूमि अपने अधिकार में हो, महल में प्रेयमी के साथ विलास के लिए मदिरा हो, काम काज सभालने को कामदार हो और गाना सुनाने के लिए ढोली हो, फिर किसी वस्तु को इच्छा नहीं है ।

राजस्थान में पढ़े लिखे स्त्री पुरुषों की सख्ता केवल 4 प्रतिशत है। इसमें स्त्री शिक्षा तो नाम मात्र की है। जो स्त्रिया पढ़ी लिखी है वे केवल साधारण पत्र पढ़ लिख सकती है। उनमें इनी गिनी स्त्रिया ही ऐसी मिलेगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सके या कोई समाचार पत्र पढ़ सके। राजस्थान में स्त्रियों के लिये एक भी कॉलेज नहीं है और न कोई हाई स्कूल ही है (जयपुर के मिवाय)। एक हजार में केवल दो स्त्रिया ही लिखना पढ़ना जानती है। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान की 48 लाख स्त्रियों में से अब तक (सन् 1929) केवल दो महिलाओं ने मैट्रिक पास किया है। कुछ रियासतों में जो दस-पाँच लड़कियां प्रति वर्ष हिन्दी मिडिल पास बरती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से आये हुए हाकिमों की और अन्य राजवर्मचारियों की पुनियाँ होती हैं। स्त्री शिक्षा के अभाव के कारण है— पर्दा, बालविवाह और पाठ-शालाओं की कमी तथा इस प्रान्त की निधनता। कई राज्यों की अधिकांश आय फिजुल खर्चों में निकल जाती है और विद्या प्रचार जैसे जन हितकर कार्य वैसे ही रह जाते हैं।

राजस्थान में कॉलेजों की सरया 9 है और हाई स्कूल 52 है। इनमें अजमेर मेरगाड़ा जिले के 12 हाई स्कूल और दो कॉलेज भी शामिल हैं। इनमें से कई ईसाई पादरिया के द्वारा और कई राज्यों की आर्थिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की ओर से चल रहे हैं। जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिये वह रियासतों द्वारा नहीं किया जाता है। इस विषय में सराहने योग्य भालावाड़ राज्य है जिसमें आमदनी के लिहाज से शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है। शिल्प कला सीखने के लिये केवल एक स्कूल जयपुर में है जो स० 1925 (ई० सन् 1868) में स्थापित हुई थी। यूरोपियन व एग्लो इण्डियन (अधगोरो) वी पढ़ाई के निये 'लारेन्स स्कूल' आबू पहाड़ पर है जिसमें केवल उन्हीं वे बालक पढ़ते हैं। वहाँ मिडिल स्कूल भी है जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती है। रेलवे वी तरफ से एक हाई स्कूल रेल्वे स्टेशन आबूरोड पर है।

छोटे - छोटे जागारदारों की पढ़ाई के लिए अलग अलग राज्यों में नोवल्स स्कूल स्थापित हो गये हैं परन्तु जैसी शिक्षा इन सरदारों व राज कुमारों को इन स्कूलों में मिलती है वैसी सब साधारण स्कूलों से दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती है क्योंकि विद्यार्थियों में ऊँच-नीच अमीर-गरीब का भेदभाव बना रहने से शासक व प्रजा में सहानुभूति नहीं रह पाती है।

दूसरे प्रान्ती की अपेक्षा राजस्थान में शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है ।¹ लेकिन जो कुछ शिक्षा अग्रेजी ढंग से मिलती है वह विद्या नहीं कही जा सकती है । वह केवल अग्रेजी सिखा कर राजकर्मचारी बलवं बनाने वाली तथा खरबीली है । यहाँ तक कि उपयोगी होने कि बात तो दूर नहीं राष्ट्रीय भावना व स्वतन्त्रता की भावना भी इस पढाई में नहीं होती है । इसी से अपनी रोटी कमाने का साधन भी इस शिक्षा से होना कठिन हो रहा है । इसमें केवल भाषा ज्ञान व पुस्तक ज्ञान से ही विद्यार्थियों का समय चला जाता है । व्यवहारिक कला - कौशल व रोजी का माध्यन उन्हें मालूम नहीं होने पाता है । इसका कारण यह भी है कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा नहीं होता है । अब इस ओर विद्वानों का ध्यान गया है और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात चल रही है ।²

1 सन् 1931 की जनगणना के समय कुल पड़े लिखे 4,07,136 थे जिनमें महिलाएँ 25,534 थीं । अंग्रेजी जानने वाले 29,895 थे जिनमें महिलाएँ 1,686 थीं (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1931) । सन् 1941 में सबसे ज्यादा पड़े लिखे भालावाड़ में 8 ग्रीट बोकानेर में थे किशनगढ़ में 7 प्रतिशत थे । बासवाड़ा व दृग्रथुर में पड़े लिखों का प्रतिशत कम प्रथम 28 व 3 था जो सबसे कम था (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1941) । अब सन् 1971 की जनगणना के अनुसार शिक्षितों का प्रतिशत 18.79 है जिनमें पुरुषों का 28.42 प्रतिशत व महिलों वा 8.26 प्रतिशत है । जिस बार सबसे ज्यादा शिक्षित अजमेर में 30.19 प्रतिशत तथा सबसे कम शिक्षित बाड़मेर में 10.02 प्रतिशत है (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1971) ।

2 राजस्थानी भाषा का राजस्थान के स्वालो आदाद में पढाये जाने के विषय में सेवक ने 1925 से ही प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे । उन्होंने 21 फरवरी 1925 का 'तदण राजस्थान' में एक घटक्य दिया था कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी है । उन्होंने यतनाया की राजस्थान की उद्धति जैसों राजस्थानी भाषा के छारा की जा सकती है वैसों हिन्दी के द्वारा नहीं की जा सकती है । अत शीघ्र ही राजस्थानी स हित्य सम्मेलन (प्रकाशमी) की स्थापना होनी चाहिए । (तदण राजस्थान 21 फरवरी 1925 पृष्ठ 9) । यह प्रस्ताव की बात २८ फरवरी 1926 की जागीरासितूजी गहनोत वे इस घटक्य के भग्नभग 50 वर्ष पाव अब केंद्रीय साहित्य एकादशी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे दी है और भारतीय संविधान की आठदी सूचि में राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर की भाषा व हप में सम्मिलित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बांडे ने हायर सेकेन्डरी में राजस्थानी को एक ऐंडिक्युल विषय बना दिया है । राजस्थान के विषय विद्यालयों में भी एम.ए. सब में राजस्थानी पढाई जाने समी है । राजस्थानी भाषा की स्वतन्त्र अकादमी की स्थापना करने की जी जो रही है । इस प्रकार स्थगीय भी गृहसोतीजी का स्वप्न साकार होता दियाई दे रहा है ।

भाषा

राजस्थान की भाषा को “राजस्थानी” कहते हैं। इसके मुख्य 7 विभाग हैं— मारवाड़ी, हूँडाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, बागड़ी, मेवाड़ी और ब्रजभाषा। वैसे तो उप-शाखाएँ स्थान भेद से 100 से अधिक हैं परन्तु इन्हीं 7 उपभाषाओं में उनका समावेश हो जाता है।

मारवाड़, वीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्यों में मारवाड़ी, बूँदी, कोटा, शाहपुरा, भालावाड़ में हाड़ोती, जयपुर राज्य में हूँडाड़ी; अलवर में मेवाती, मेवाड़ में मेवाड़ी, भरतपुर, धौलपुर व करोली में ब्रज-भाषा और सिरोही, वासवाड़ा, हूँगरपुर व प्रतापगढ़ में बागड़ी भाषा बोली जाती है। यह बागड़ी बोली गुजराती से मिलती जुलती भीलों को बोली है। राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में विशेष अन्तर नहीं है।

सन् 1931 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 77 प्रतिशत व्यक्तियों की मातृभाषा राजस्थानी, 15 प्रतिशत की पश्चिमी हिन्दी व 6 प्रतिशत की भीली भाषा थी। जार्ज प्रियसन के अनुसार राजस्थान की 4 भाषाएँ— मारवाड़ी, मध्यपूर्वी, राजस्थानी व उत्तरपूर्वी राजस्थानी व मालवी हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार मारवाड़ी भाषा भाषी 50 प्रतिशत, मध्यपूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 19 प्रतिशत, उत्तर-पूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 4 प्रतिशत और मालवी भाषा भाषी 3 प्रतिशत हैं। जनगणना अनुसार इनकी सत्या इस प्रकार है—

मारवाड़ी	56,18,885
मध्यपूर्वी राजस्थानी	21,57,974
उत्तर पूर्वी राजस्थानी	4,78,941
मालवी	3,50,856
पश्चिमी हिन्दी	17,21,186
भीली	7,19,640
कुल	1,10,47,482

सामान्यतः सूलों में शिक्षा हिन्दी या उदूँ में होती है अत पढ़े लिखे लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी बतला देते हैं अन्यथा इन लगभग सतरह लाख लोगों की मातृभाषा राजस्थानी ही है। मारवाड़ी की 19 बोलीयां हैं जो

रवाड, धीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, शाहपुरा और जयपुर के नरी तथा पश्चिमी भागों में बोली जाती है। मध्यवर्ती राजस्थानी पुर के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में तथा बून्दी, कोटा, टोक व शनगढ़ में बोली जाती है। उत्तरपूर्वी गजस्थानों अलवर, उत्तरी भरत-रव व जयपुर के उत्तर पूर्व के भागों में बोली जाती है। मालवी कोटा के कुछ भागों भालावाड़, प्रतापगढ़ व टोक (निम्बेहड़ा व छावड़ा तहसीलों) में बोली जाती है। पश्चिमी हिन्दी जयपुर, करोली, अलवर, भरतपुर के कुछ भागों व धौलपुर में बोली जाती है। भीली वासवाड़ा, झू गरपुर, कुशलगढ़, वाड़, प्रतापगढ़ व सिरोही राज्यों के भीली क्षेत्रों में बोली जाती है।

राजस्थान के कुछ भागों में गुजराती व लहन्दा (पश्चिमी पजावी) भी बोली जाती है। गुजराती बोलने वाला की सख्त्या केवल 20,064 है और इसके बोलने वाले झू गरपुर, मेवाड़, वासवाड़ा व सिरोही में ही है। लहन्दा बोलने वाले धीकानेर व जैसलमेर में ही है। इनकी सख्त्या 12,840 है।

यहाँ की प्राचीन भाषा मस्कृत थी। सर्वं साधारण की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत के बाद यहाँ “अपभ्रंश” वा प्रचार हुआ। जैन विद्वानों ने अपभ्रंश में काफी साहित्य छठी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के बीच रचा। अपभ्रंश राजस्थान की साहित्यक भाषा बन गई। इसी के लोक प्रचलित रूप राजस्थानी की आज से लगभग 1,000 वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई। इसका विशेष सम्बन्ध पजाव व सिन्ध की भाषा से रहा। राजस्थानी की एक शैली डिगल नाम से प्रसिद्ध है। इम डिगल भाषा में भाट, चारण, राव, मोतीसर, ढाढ़ी आदि जातियों के विविधों का प्राचीन साहित्य 10वीं शताब्दी में मिलता है। इसके सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ ‘दोलामारु रा दूहा’ और ‘वेलि त्रिसन रुखमणी री’ तथा गद्य ग्रन्थ ‘नैणसी गी रयात’ हैं। डिगल साहित्य प्रधानतया धीर रसात्मक है। डिगल शब्द ‘डीग’ और ‘गल’ शब्द से मिल-कर बना है। इसका अर्थ ऊँची बोली वा है। पर्योक्ति इस भाषा के कवि उच्च स्वर से अपनी कविता का पाठ करते हैं। इसके विपरीत ब्रजभाषा की कविता में ध्वनि उच्च नहीं होती और उसमें मधुरता विशेष होती है। इसलिये ब्रजभाषा से प्रभावित शैली की कविताओं को राजस्थान में पिंगल अर्थात् पागली (लगड़ी-जूली) कविता कहते हैं। पिंगु का अर्थ लगड़ी और गल वा मायना बात या बोली है। इसका मुख्य क्षेत्र पूर्वी राजस्थान रहा। इसमें कई सन्तों ने अपनी रचनायें थीं। कविराजा मुरारदान ने ‘डिगल’

शब्द का अर्थ अनधड पत्थर या मिट्टी का डगला (डेला) किया है क्योंकि इसमें गुजराती, मराठी, मागधी, सिन्धी, ब्रजभाषा, सस्कृत, फारसी, अरवी आदि कई भाषाओं के अपभ्रंश शब्द पाये जाते हैं। अपभ्रंश मी साधारण नहीं है। वह इतना ज्यादा है कि उसका असली रूप जान लेना भी बठिन हो जाता है जैसे—

सस्कृत में—

- १ मुक्तापथ
- मुधिघिर
- ध्रुवभट
- श्रीहर्ष
- हस्तबल
- आलभट

डिगल भाषा में—

- मोताहळ
- जुजळळ
- घुहड
- सीहा या सीहड
- हाथल
- अलट

इस भाषा में ट, ठ, ड, ढ, ण और ल आदि अक्षरों की प्रधानता होती है और 'स' का प्रयोग प्राय 'ह' होता है। इस भाषा में ऋ, क्ष, लृ, ए, ऐ, ओ--- स्वर नहीं होते हैं और तालवी (श) और मूर्धनी (प) के स्थान पर भी दन्ती मवार (स) ही लिखा व बोला जाता है। ऐसे ही 'ख' 'प' लिखा जाता है।

यह भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है और उससे सभ्यता व शिष्टना भलकती है। इस भाषा की कुछ कहावतें नीचे दी जाती हैं जिनसे पता लगेगा कि वे मक्षेष में होने पर भी कितनी मीठी और उपदेश भरी हुई है—

1 अनी चुका दीसा हो— अवसर चूँझने से पद्धताने के सिवाय और कुछ नहीं बनता ।

2 ठगाया मूँ ठाकर बाजे है— एकदार धोखा खाने से आदमी दूसरी बार चतुर हो जाता है ।

3 कलसुँ होवे जो बलमूँ नहीं होवे— जो काम चतुराई से होता है वह पाश्विक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है ।

4 रोयाँ विना तो माँ ही थोड़ो कोयनी दे— विना आन्दोलन किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है ।

5 पूत रा पग पालणे पछाएं जे है— होनहार व्यक्ति के लक्षण मूले में मूलते ही के समय में प्रकट हो जाते हैं ।

6 हप झड़ो गुण वायरो रोईडे रा फूल — रोईडे का फूल रूप में सुन्दर होते हुए भी गुणहीन होता है ।

7 बद्धा रा वाया मोती नीपजे है— समय पर सब बातें बनती हैं ।

8 कथो एक दिसावर घणा— आदमो तो एक उसके करने को काम अनेक ।

9 पईसे री डोकरी टक्को सिर मूँडाई रो— एक पैसे की चोज पर दो पैसे खर्च करना ।

10 घर मे ऊँधरा यिढ्याँ करे— घर मे खाने को अनाज नहीं है ।

11 घर फूटा ने कारी कोयनो— अपने ही घर का कोई व्यक्ति शत्रु पक्ष से मिल जाय तब हार निश्चय है ।

12. मूँछा रो चावल राखणो— घर मे चाहे कुछ भी न हो तो भी रहना इज्जत से ही ।

13 ऊँट खोड़ावे गधो डोभोजे— किसी का अपराध, कोई दण्ड पावे ।

14 मन वायरा पावणाँ धी धालू के तेल— वेमन कोई कार्य करना रुखा रहता है (विना बुलाये मेहमानो का आदर नहीं होता है) ।

15 अबकल शरीरा उपजे दिया लागे ढाँम— दूसरे के समझाने से समझ नहीं आती है जब तक घुद मे समझ न हो ।

16 आप व्यासजी बैगण खावे, दूजे ने परमोद बतावे— आप बुरा कर्म करे लेकिन दूसरो को उसके न करने का उपदेश दें ।

17. एक न नो सी दुःख टाले मैत— द्रव धारण करने से मनुष्य बहुत सी बुराईयों से बच जता है।

18 उखल मे माथो दिए पछे घमकाँ री कई गिनती— कार्य धोत्र मे कूद पड़ने पर दुख-कष्ट से नहीं पवराना चाहिए।

19 मूँज बल गई पर बट कोयनी बलियो— वैभव नष्ट हो गया लेकिन अभिमान नहीं मिटा।

20 आँधे रो तँदुरो रामदेवजी बजावे— निर्वल का सहायक परमात्मा होता है।

21 कोठे होवे जीके होठा आय रेवे— जो मन मे होता है वही मनुष्य बचन से प्रकट करता है।

22 गूगरियाँ रा गोठिया ने खाया ने उठिया— मनुष्य के स्वार्थी मित्र सुख मे ही साथ देते हैं, विपत्ति में नहीं।

नगरो में खड़ी बोली का भी प्रयोग होता है। न्यायालयो मे फारसी शब्दो की भर-मार ज्यादा है। मुगल समय में यहाँ फारसी का जोर था और राजभाषा होने से राज्य के काम मे आने के कारण इसका काफी महत्व था। अभी भी किसी सीमा तक इसी का प्रचलन है, जैसा कि किसी ने कहा है—

अगर मगर के सोले आने इकडम तिकडम बारा ।

अटे कटे के अठ हिज आने, सु सा पईसा चारा ॥

अर्थात् फारसी का मूल्य 16 आने है, मराठी का 12 आने, मारवाड़ी का 8 आने और गुजराती के 4 पैसा है। अब वई रियासतों के कायलियो में हिन्दी को भी स्थान दिया गया है।

लिपि

राजस्थान के प्राचीन लिपि द्वाही थी । उसके बाद गुप्त लिपि का प्रचार हुआ । फिर कुटिन लिपि वनी और इस लिपि से दसवीं शताब्दी के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि वनी है । राजस्थान में इस समय नागरी लिपि का प्रचार है । मारवाड़ी की लेखन शब्दों विचित्र है । उसमें मात्राओं का रयाल प्राय नहीं किया जाता है और एक ही पुस्तक का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता है और कभी कुछ का कुछ अर्थ हो जाता है । महाजनी मुदिया अक्षरों का तो हाल ही बेहाल है । कहा भो है—

वनव पुथ वागज लिखे, वाना मात न देत ।
हीग मिरच जीरो भखे, हण मर जर कर देत ॥

इसका एक रोचक हृष्टान्त है कि किसी ने लिखा—‘कव अजमर गया है न कक कटे है ।’ अर्थात् काका अजमेर गए है और काकी (चाची) कोटा में है मगर पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर गया है और काकी बटे है । इस प्रकार मारवाड़ी लिखावट साफ लिखो ही नहीं जाती है । इसलिये एक कहावत चली आती है कि ‘आला बचे न घापमूँ सूखा बचे न घाप मूँ ।’ अर्थात् गीले अक्षर लेखक स्वयं नहीं पढ़ सकता और सूख जाने पर, यानी कुछ समय बाद तो (वे अक्षर) उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं । मारवाड़ी लिपि में शब्दों के बीच में अन्तर छोड़ना तो जानते ही नहीं है । अब अग्रेजी व देवनागरी की देखा देखी अन्तर छोड़ा जाने लगा है । मुस्लिम काल में फारसी लिपि का ज्यादा प्रचार हुआ । इस समय जयपुर, धौलपुर, टोक व अजमेर जैसी न्यायिक वार्यवाही फारसी में ही होती है । शेष रियासतों में लिखावट व बोली में देवनागरी तथा हिन्दी का प्रचार होने लगा है ।

साहित्य

राजस्थान का साहित्य तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ।¹—

- (१) सस्कृत एवम् प्राकृतक साहित्य,
- (२) राजस्थानी साहित्य, एवम्
- (३) हिन्दी साहित्य ।

राजस्थान में सस्कृत साहित्य की ज्यादातर रचनाये जैनों तथा राजदरबारों के आश्रित कवियों द्वारा की गईं। प्राकृत साहित्य की रचनाये केवल जैनों द्वारा की गईं।

सस्कृत साहित्य की सबसे पहली कृति भीनमाल के महाकवि माघ का “शिशुपाल वध” है जो आठवीं शताब्दी में रचा गया। चित्तोड़ के हरिभद्र सूरि ने भी सस्कृत तथा प्राकृत में कई रचनाये की। उनको “समर-इच्छा कथा” अत्यन्त प्रसिद्ध है। हरिभद्र सूरि के एक शिष्य उद्योतन सुरि ने जालोर में “कुबलय माला कथा” की अशतः प्राकृत व अशत अपभ्रंस में रचना ईस्टी सन् 779 में की। सन् 906 में सिद्धकृष्णि ने “उपमिती भव प्रपचा कथा” की रचना की। अजमेर के चतुर्थ विग्रहराज चौहान ने प्रसिद्ध नाटक “हरकेली” की तथा उसके दरबार के कवि सोमदेव ने “ललित विग्रहराज” नाटक की रचना की। तृतीय पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि जयानक ने “पृथ्वीराज विजय” लिखा।

जैन आचार्यों—बल्लभसुरि, जिनदत्तसुरि, जिनचन्द्रसुरि आदि ने भी सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में अपूर्व योगदान दिया। भेषविजय ने सन् 1760 में सप्त साधना महाकाव्य की रचना की। महाराणा कुम्भा ने जयदेव के “गीत गोविन्द” पर विद्वता पूर्ण टीका लिखी तथा मगीत पर “सगीतराज” ग्रन्थ की रचना की।

1. राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य प्रेमी रहा है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सरस्वती नदी के किनारे प्रारंभिक के ज्यादातर भाग की रचना हुई। सम्भवत प्रारंभिक ब्राह्मण व सूत्र प्रथ्यों की रचना भी यहाँ हुई। प्रसिद्ध ज्योतिविज्ञ वराहमिहर तथा उसके प्रन्त का टीकाकार ब्रह्मगुप्त राजस्थानी ही थे। उसने भीनमाल में ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना थठी शताब्दी में की।

बच्चसेन सुरि ने सबसे पहले राजस्थानी काव्य “भरतेश्वर बाहुबलि गीरा” की रचना की। इसके बाद का राजस्थानी का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रन्थ “भरतबाहुबलि रास” है जिसकी सन् 1185 में शालिभद्र सुरि ने रचना की। रास कविता नृत्य के साथ गायी जाती है। इसके बाद मे कई जैन लेखकों ने रास तथा फाग रचे। फाग शृंगारिक काव्य होते हैं जिनमें वसन्त ऋतु का वर्णन होता है। जिनपदम् सूरि ने सन् 1330 में शालिभद्र का फाग तथा मोम सुन्दर ने सन् 1428 में नेमीनाथ नवरस फाग की रचना की।

बीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ चन्द वरदायो कृत पृथ्वीराज रासो है। चन्द वरदाई अन्तिम हिन्दू सभ्राट पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। इसमें पृथ्वीराज के जीवनवृत्त पर काफी प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज रासो राजस्थानी का ‘महभारत’ कहा जा सकता है। इसके बाद के अन्य रासों ग्रन्थ हैं— नरपति नालू का बीसलदेव रासो दयालदास का राणा रासो, माधोदास दीघबाड़िया का राय रासा, गिरधर आणिया का सगतसिंह रासो दोलतविजय का खुमाण रासो आदि। पदमनाभ का काम्हडदेव प्रबन्ध भी इतिहास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी प्रवार के तत्कालीन इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रन्थ हैं— ढाढ़ी बहादुर रचित बीरमायण, श्रीधर रचित रणमल छद, शिवदास की अचलदास री बचनिका, आदि।

सोलहवीं शताब्दी में भक्त मीराबाई ने सरल लोकिक राजस्थानी में कई पद रचे जो भारत भर में लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार चन्द्रसखों के पद तथा वरतावर के पद भी भक्ति का अपूर्व भाव लिये हुए हैं। दाढ़ी बहादुर, रेवास आदि का भक्ति काव्य भी राजस्थानी की अमूल्य देन हैं।

राजस्थान में कृपाराम के गजिया के दाहे वहुत प्रसिद्ध है। राजिया के अलवा भेरिया जंठवा, विसनिया, नागजी आदि के नीतिपूर्ण दोहे भी यहुत लोकप्रिय हैं। राजस्थानी के स्थाल भी वहुत लोकप्रिय हैं। इन्हे भाट गाते किरते जहातहा दिखाई द जाते हैं। प्रसिद्ध स्थाल “जीनमाता री गीत” श्रीर ‘झू गरी जवाहरजी री गीत” है। इनकी रसमय कविता विसी भी साहित्य की मरस कविता से टकरार ल सकती है।

वही जैन साधुओं ने धर्म प्रचार हेतु गद्य में धर्मवायामें लिखी। इनमें माणवचन्द्र का पृथ्वीचन्द्र चरित्र, प्रसिद्ध है। कुछ ग्रन्थों में पद्य के साथ

गद्य सम्मिलित है। ऐसो मे शिवदास खीची की अचलदास री बचनिका है। राजस्थानी गद्य का बाद मे तो इतिहास ग्रन्थो, चरित्र व प्रेमकथाओ मे काफी प्रयोग हुआ।

इतिहास जानने के लिये “वात और ख्यात” अत्यन्त उपयोगी है। “मुहला नैणसी री स्यात” अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण है। इसमे राजस्थान तथा सौराष्ट्र के राजवशो पर काफी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। अन्य प्रसिद्ध रत्याते है—दयालदास री ख्यात, मु दियाड री ख्यात। बातो मे बीजा सौरठ री बात, अचलदास खीची री बात, चादकु वर री बात आदि प्रसिद्ध है।

इतिहास जानने के लिये बून्दी के सूरजमल का वश भास्कार अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ लगभग 2000 पृष्ठो मे अशत पिंगल मे व अशत राजस्थानी गद्य मे लिखा गया है। सूरजमल की दूसरी महत्वपूर्ण कृति “बीर सतसई” है जिसमे बीररस के सात सौ दोहे है।

इतिहास लेखको मे “बीरविनोद” के रचियता घ्यामलदास तथा “राजपूताने के इतिहास” और “प्राचीन लिपिमाला” के लेखक गौरीशकर हीराचन्द्र ओझा प्रसिद्ध है। ये दोनो ग्रन्थ हिन्दीभाषा मे लिखे गये है। अग्रेजी भाषा मे हरविलाम शारदा के ऐतिहासिक ग्रन्थ ‘महाराणा कुम्भा’ तथा ‘महाराणा सागा’ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

राजस्थान मे अग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद राजस्थानी की कद्र कम हो गई क्योंकि अग्रेज अधिकारियो के इशारे मे यहा गैर राजस्थानी अधिकारी नियुक्ति किये गये। गैर राजस्थाना अधिकारियो ने राजस्थानी के स्थान पर अपने मूल स्थानो की भाषा के अनुसार फारसी को महत्व दिया। यहा तक कि शिक्षा का माध्यम भी राजस्थानी को नही रखा। राजस्थानियो को शिक्षा देने मे उनकी मातृ भाषा राजस्थानी को काई स्थान नही दिया गया। इन कारणो से यहा के ज्यादातर राज्यो के न्यायालयो की भाषा फारसी या फारसी मिश्रित हिन्दि हो गयी। राजस्थानी का स्थान काफी सीमा तक हिन्दी ने ले लिया। राजस्थानी की यह दुर्गति सबको खली लेकिन सब विवश थे। राष्ट्रीय चेतना के साथ ॥ १ ॥ भी यहा के लोगो का ध्यान गया। ऐसे लेस्ट्रेज मे गुलाबचन्द्र नागोरी, सूर्यकरण पारीक न रामकरण आसोपा ने तो राजस्थानी ३४. १८८५ निक

ग्रन्थ भी लिखा और राजस्थानी शब्दकोप तैयार किया । इसी प्रकार इत्तालवी विद्वान डाक्टर टैसीटोरी ने भी पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखे । मुरारदान ने अमरकोप की शैली पर राजस्थानी शब्दकोप की रचना की । नरोत्तम स्वामी ने भी राजस्थानी भाषा और साहित्य पर काफी लिखा ।

आधुनिक राजस्थानी पद्धति में सबसे प्रमिद्ध वारठ केशरीसिंह की नवजागृति की राष्ट्रीय कविताय हैं । ऊमरदान लालम ने भी बहुत मुन्द्र व्यग्रात्मक कविताय लिखी ।¹ उनका 'छपना रो छन्द' बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्बृद्ध 1956 के अक्षाल का वर्णन करता है । मेवाड़ के महाराज चतुरसिंह ने वैराग्य व भक्ति पर काव्य रचा । उनकी कविता "नारी" और "मरणो जानणो" काफी लोकप्रिय है ।

राजस्थानी विद्वानों का ध्यान लोक साहित्य की ओर भी आवर्णित होने लगा है । गजस्थानी गीतों², कहावतों³, वातालायों⁴ आदि का भी सम्ब्रह किया जाने लगा है ।

इस प्रकार राजस्थान में साहित्य रचना वरावर होती आई है । यहाँ के प्राचीन माहित्य की खोज होना अभी बाकी है । आवश्यकता यह है कि राजस्थानी भाषा को यहाँ की शिक्षा का माध्यम बनाया जावे तथा न्यायालयों की भाषा भी राजस्थानी हो । इसी में राजस्थान का हित है ।⁵

1. लेखक भी जगदीशसिंहनो गृहोत्तम ने ऊमरदान के काव्य पर ऊमर वाद्य का सम्पादन सन् 1930 में किया ।

2. लेखक ने सोकगीतों पर सर्व प्रथम सकलन सन् 1923 में "मारवाड़ के पाम गीत" के नाम से प्रकाशित किया ।

3. लेखक ने राजस्थान को दृष्टि कहा वर्तमान सन् 1918 में प्रकाशित की ।

4. लेखक ने राजस्थान के वार्तालाय का प्रकाशन सन् 1929 में किया ।

5. पिछले बादों में राजस्थानी साहित्य में अनुवादन, सकलन व सम्पादन काफी हुआ है । राजस्थानी पद्धति भी बहुत मुद्रित लिखा जा रहा है । अब तो राजस्थानी का साहित्यक मान्यता प्राप्ति हो गई है । आवश्यकता है कि राजस्थान के हिन्दौ लेखक राजस्थानी को अपनायें तथा राजस्थान में शिक्षा का माध्यम राजस्थानी हो । राजस्थानी के गद्य में एक दृष्टि होना भी आवश्यक है । अत सर्वाधिक प्रचलित मारवाड़ी विभाषा को प्राप्त बनाकर सरल गद्य में रचनायें को जानी चाहिए । इसमें धन्य विभाषाओं - दूंदाड़ी, भेड़ाड़ी व मानवी का पुट होना आवश्यक है, ताकि ये सोकप्रिय हो संदेश

बाजे यहाँ प्रचलित थे । मध्यकाल में गायन की शैली और शृंगार रस का प्रचार हुआ । मुगल बादशाहों को गाने वजाने का बड़ा शौक रहा परन्तु औरजेब को इससे नफरत थी । मुगल बादशाहत का पतन होने पर इस कला की कदर करने वाले केवल राजस्थान के राजा रह गये । इनके आथ्रय में कई पुस्तके सगीत विद्या पर लिखी गई और कई राजा भी सगीत के शैकोन थे । महाराणा कुम्भा सगीत विद्या में प्रवीण थे । मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की पत्नि मीरावाई की मलार राग अवतक प्रसिद्ध हैं ।

सगीत में उस्ताद अलापन्दा और जाकिरहीन खाँ के प्रसिद्ध धरानों ने राजस्थान में आथ्रय पाया था । इनकी गायकी भारत भर में प्रसिद्ध हैं । इसी धराने ने ध्रुपद गायकी का एक विशेष अलाप और मोमतोम शैली का आविर्भाव दिया । नाथद्वारा व काकरीली के मन्दिरों में शास्त्रीय सगीत की स्वर लहरी भारत के लोगों को आकर्षित करती है । वहा कई अच्छे-अच्छे गायक वादक तथा पखावजिये हैं । जयपुर, बीकानेर, अलवर, करीली आदि राज्यों में भी कई अच्छे गायक हैं जो भारत भर में प्रसिद्ध हैं । राजस्थानी लोकगीत गाने में लगे, ढोली मिरासी, भवाई, काँमड़ आदि अपनी सानी नहीं रखते हैं । इन सगीतकारों को यहा हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है । इन्होंने लोक गायन और लोक वाद्यों में जितनी प्रवीणता प्राप्त की है उतनी इनसा कदर नहीं की जाती है । आवश्यकता है कि इन्हे प्रात्साहित किया जावे ।

नृत्य

राजस्थान नृत्य कला में काफी प्रसिद्ध रहा है । कर्त्तक नृत्य में भी काफी प्रसिद्ध रहा है । कर्त्तक नृत्य में लखनऊ के वाद जयपुर ही केन्द्र बना हुआ है । जयपुर के नृत्यकारों ने एक नवीन कलात्मक रूप देकर इसको एक नई शैली-जयपुर शैली नाम दिया है । कर्त्तक नृत्य में नारायण प्रसाद व उनके पिता हनुमान प्रसाद काफी प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके हैं ।

नाट्य

नाट्य कला में परवतसर (जोधपुर राज्य) के कठपुतली नाच करने वाले, मेवाड़ के भील जाति के गौरी नाच बराने वाले, बगड़ी (जोधपुर राज्य) के रासधारी वातो, घोमुण्डा (मेवाड़) के रथालवाले प्रसिद्ध हैं । कठपुतलियों का कथा नृत्य देखने योग्य होता है । कठपुतली वाले काठ की पुतलियें लिये गाँव गाव में फिरते दिखाई देते हैं ।

हस्त कला

राजस्थान अपनी हस्तकलाओं के लिये प्रसिद्ध है। विदेशी वस्तुओं तथा कारखानों में बनी वस्तुओं के सस्ते और प्रचुर मात्रा में बनने का कारण इनका चलन कम अवश्य हो गया है लेकिन फिर भी कला पारखी व धनी लोगों की आँखों में अभी भी ये विशिष्ट स्थान रखती है। जयपुर में सूती कपड़ों की रगाई, छपाई का काम, सोने की जडाई मीनाकारी व सामरमर की मूर्तियाँ अच्छी बनती हैं। भरतपुर में चवर, हाथीदात का काम व चन्दन के पखे अच्छे होते हैं। बीकानेर में ऊन के कम्बल, गनिचे और ऊँट के चमड़े के कुप्पे बढ़िया बनते हैं। जैसलमेर में भेड़ों के ऊन के कम्बल बकरे व ऊँट के बालों के थेने (बोरे), पत्थर के प्याले और रकावी, किशनगढ़ में छीट व कपड़े की रगाई और खसखस के बने पखे प्रसिद्ध होते हैं। बोटा में बारीक मलबल, मसूरिया, डोरिया, चादी के बत्तन, घोड़ों और हाथियों की साजे और हाथीदात का काम अच्छा होता है। मारवाड़ में चुनड़ी की बन्धेज की कलापूर्ण रगाई कपड़ों की रगाई व बुनाई, बसीदेशार हन्के जूते तथा पीतल हाथीदात लाख और मगमरमर के खिलाने, ऊनी कम्बल, काठिये (जीन) पत्थर की चविकाय, बादले, और मिठाई अच्छी होती है। मेवाड़ की तलवार, कटार, कपड़ों पर सुनरी छपाई और लकड़ी के खिलोने प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई रगाई व बुनाई, सिरोही में तलवार, भाले वरदी, तीर कमान और टोक में कपड़ा बुनना, गाने, बजाने के भाज—सितार, सारगी, तबला आदि और हाथीदात काम अच्छा होता है।¹ अब ये देशी रोजगार सभास होते जाते हैं। हाथ से बुना हुआ रेजा (खादी) और बीखाने व डोरिया, जिससे

1 आज भी जयपुर की मीनाकारी व नवकाशी को वस्तुएँ रत्न आभूरण, प्रस्तर प्रतिमाएँ विट्ठी व दिलोने, गलीवे, हाथीदात की वस्तुएँ, जोयपुर की कसीदा कारी की जूतियाँ, बटुए, लहरिया, मोठड़े, चूनदडियाँ बादले उदयपुर की लडडी के लितोने, भरतपुर का चन्दन का काम बोटा का मसूरिया डारिया, विरोहि वी तलवारें, चालू व धूरे नायदूरा दी मीनाकारी, सातानेर, चित्तोड़, बगड़ व चाड़मेर के धारे, बोकानेर की खोहिया जैसलमेर का जाली का काम न देवल भारतवर्ष बहिक विदेशी में भी प्रसिद्ध हैं। चूनदड़ी व बन्धेज के साफ जोयपुरी मोजरियों के शयन कक्षीय स्तीरर, बाड़मेरी धारों के कट्टे व साम सउजा के रूप में बराबर बढ़ता जा रहा है। जयपुर तो समस्त दिश में प्राकृतिक व कृतिम रस्तों के तिए प्रमुख कद है ही (महार महिमा-राजस्थान की हस्तकलाएँ, पृ 136)।

कोटा के जुलाहे व बोली जीविका चलाते आये हैं, अब उनकी कद्र नहीं रही हैं। ऊन के कम्बल और लोहियों का धन्धा जिससे मारवाड़, बीकानेर, जयपुर आदि के मेघवाल, भास्त्री बलाई, चमार, रेगर, स्टीक व बोली अपना धन्धा चलाते आये हैं, विदेशी तथा कारखानों की बनी हुई वस्तुओं के मामने नहीं टिक पाते हैं। या राज्यों से भी इन्हें बोई विशेष आश्रय नहीं मिल रहा है। अब ये सब खेती पर ही निर्भर रहने लगे हैं और किसानों के गले के भार बनने जा रहे हैं। भूमि यो भी कृषि हेतु कम है। अत खेतीहरों का यह भार अच्छा नहीं है। राज्यों को इन हस्त शिल्पकारों को सरक्षण देना चाहिये ताकि काश्त की भूमि पर कम भार बढ़े।

रीति - रिवाज

आहुगा, क्षत्रिय और वैष्णव बर्गों की जातियों के विवाह, अत्येष्टी आदि के रीति रिवाज प्राय एक भमान है। तथाकथित उच्च जातियों में विधवा विवाह नहीं होता है। नातरायत राजपूत, बाढ़ेला चारग जाट, माली, गूजर, मीणा, भील, दरोगा (रावणा राजपूत), गरासिया आदि जातियों में पुनर्विवाह होता है। कुछ जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता वर लेती है। राजपूत, भील मीणा आदि जातियों में वह विवाह की प्रथा है। प्राय सब ही जातियों में वाल विवाह की प्रथा है। शादी व गमी के मार्कों पर फिजूल खर्चों लोगों के दबाव के कारण ज्यादा ही हुवा करती है। यह देखभर राजस्थान के एजन्ट हूँ गवर्नर जनरल कन्नेल बाल्टर ने राजपूतों की अनन्द मामाजिर दुराईयों का दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वर एक सभा ईं मन् 1888 की 10 मार्च को अजमेर मध्यापित वी थी। दूसरे वार्षिक अविवेशन पर 15 फरवरी सन् 1889 ई को ३८ सभा का नाम 'वार्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा' रखया गया। राजस्थान के ऐ जी जी उसके मध्यायी सभापति होते हैं। इन सभा की शादी ग्रन्थ ग्रन्थ में वायम है। इमका उद्देश्य राजस्थान के मरदारों में लेकर माधारण राजपूत तर म शादी, गमी आदि के मोरे पर वर्च की परवन्दी करना, वर-वधू की श्रद्धा व नियम की पापन्दी रखना, विवाह के समय चारग, भाट और ढाली (दमासी) लोगों की त्याग (इनाम) देने व नियम बनाना व पालन परवाना है। राजपूतों में लड़ा की आयु शादी के वर्त 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष नियन री गई है। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे दण्ड दिया जाना है। यह भी नियम है कि बोई भी वन्या-30 वर्ष में

अधिक आयु तक कुंवारी नहीं रखनी जावे और एक स्त्री के जीते जी दूसरी शादी नहीं की जाय जब तक वोई दूसरा कारण विशेष न हो । इस सभा का अधिवेशन प्रति वर्ष अजमेर में होता है । इन नियमों के अनुसार और जातियों ने भी फिजूल खर्च घटाने के नियम बनाये हैं ।

यहाँ के हिन्दुओं के धर्म कार्य व्राह्मण पुरोहितों के हाथों में होते हैं । इनके धार्मिक नियम मोताक्षरा स्मृति के अनुसार होते हैं और 16 सरकारा को पुरोहित व पण्डित अपनी विद्या व बुद्धि के अनुसार जैसे तैसे निवाहते रहते हैं । हिन्दू जाति पर व्राह्मणों का अवतरण बड़ा प्रभाव है । पुन जन्मा तो मुहूर्त पुरोहितजी निकालते हैं । नामकरण मन्त्रार भी वही करते हैं । विवाह, मगाई आदि में भी नाई के माथ-साथ व्राह्मण भी शरीर होत है । वरणवेध, जनेक, गृहशुद्धि, प्रतिष्ठा आदि अवसरा पर होम इन्हीं के हाथ से होता है । ये चलते-फिरते सजीव पचाम हैं जो मुबह स शाम तक तिथिय, नक्षत्र, ग्रह, शकुन आदि बतलाने का वाम करते हैं और अपने निर्वाह के लिये प्रात काल धर-धर के २ देवता उच्च म्बर म 'दिन दिन ज्यात (ज्योति) सगाई' का आजीवाद देते फिरते हैं ।

राजपूतों का हाल निराला है । इनके पास समय काटने का बोई वाम नहीं है । ये शराब व अफीम के नशे म चूर रहते हैं और रावले (निवास स्थान) में बैठे ढोली, ढाढ़ी, पातरियों आदि के गीत मुनते व तमाणे देखते रहते हैं । अधिक से अधिक जोश आया ता शिकार को निकल पड़ते हैं या गाव के आम पाम दुर्ग भवानी पर बरग या भैंसा चढाने को चले जाते हैं । जो साधारण स्थिति क है वे सेना व पुनिम म भरती होकर राज्य या जागीरदारों की नौकरी करते हैं । जाति भाज और परम्पर दखतों में राजपूत एक साथ ही थाली (थाल) में भाजन करन म बड़ा हृष्य मानते हैं । कन्या का जन्म होना ये चुरा भानते हैं, बपारि कन्या के विवाह पर टीका (तिलक), दहेज आदि म बहुत खर्च करना पड़ता है । इसी में पहले राजा, उमराव आदि अपनी कन्याओं को मार डालते थे । यो अब भी कुछ लोग लुके छीपे अपनी नड़कियों को मार डालते हैं । इनम यह कहावत प्रभिद्व हैः—

पडो भलो न कोस बो, बेटो भली न एक ।

देणो भलो न गाप बो, माहिव गसे टेक ॥

अर्थात्-पैदल चलना तो एक कोस का भी अच्छा नहीं और एक कन्या का होना भी ठीक नहीं। कर्जा अपने बाप का विया भी भला नहीं है। ईश्वर इन बातों से बचा कर हमारी इज्जत रखें।

हिन्दुओं को भाँति मुसलमानों में भी जात पात का भेद भाव धुस गया है। उनमें भी मोची, महावत, भिस्ती, छोपा, धोबी, जुलाहा, क्याम-खानी, खानाजादा, सिलावट लखारा, रगरेज चढवा (बधारा), मीरासी, पीजारा सिन्धी कुँजडा, इत्यादि जुदा जुदा होते हैं और यदि कोई इस मर्यादा को तोड़ता है तो उसे पचायत कर जाति बाहर निवाल कर उसका हुक्का पानी बन्द कर देते हैं। वह व्यक्ति खुद दण्ड (जुर्माना) देवर ही किर वापिस जाति म शामिल हो सकता है।

राजस्थान में अनेकों जातिया ऐसी है जिनका नौमुसलिम वह सकते हैं। ये हिन्दू जातिया बादशाही जमाने में जार जपर या नोभ-लालच से मुसलमान हुई। इनमें भेद से मलकाना और कायमखानी मुख्य हैं। इनमें कई रीति-रिवाज और धर्म की बात हिन्दुओं के ममान आजतक पाई जाती हैं जैसे भरतपुर के मेव व मलकाने हिन्दुओं के देवी देवताओं को अवतक पूजने हैं। भोमियाजी व हनुमानजी का इष्ट रखते तथा अपने नाम के पीछे 'सिंह' शब्द लगाते हैं और शादिया में केरो के समय मुसलमान काजी और ब्राह्मण पुरोहित दोनों उपस्थित होते हैं। हिन्दुओं की तरह व धोतों पहनते और स्त्रिया घाघरा (लहगा) पहनतो हैं। इसी प्रकार अजमेर मेरवाडा जिला में भी ये नौमुसलिम माताजी, भेरोजी तेजाजी व रामदेव को पूजते हैं और हिन्दुओं के होली, दीवाली व रात्रों त्योहार को मानते हैं। जयपुर व जाधपुर के नौमुसलिमा में हिन्दुओं के रस्म पाये जाते हैं जैसे दुल्हा (बीदराजा) के शहरा (मोर मुकट) वाधना पहेरावनी (दुल्ह के पक्ष वालों को कपड़े आदि भट करना), मेहदी लगाना माली (क्लावा) वाधना, शीतला पूजना इत्यादि। कोटा के नौमुसलिम लोगों में यह रिवाज है कि वे शादी के मौकों पर ज्योतिपी से नग्न पुछवाते हैं। एक विनायक (विनायक) पूजते हैं काँकण डोरा वाधते हैं और हिन्दूप्रा के जसे ही गीत गाते हैं। बोकानेर में भी यह रिवाज है। विवाह के समय काजी और ब्राह्मण दोनों रहते हैं। स्त्रिया हिन्दुओं के जैसे मगल गोत गाती हैं। एक ही खांप (चानू गोत नख) में विवाह करन की भी मनाही हैं जैसी हिन्दुओं में होती है। वे लोग माताजी, भेरोजी, गरेशजी, वेसरिया कुँवर गोगाजी गणगौर व जवारा (जो के उगाये हुए पौधे) का पूजन करते हैं। शादी के

मीके पर कुम्हार का चाक पूजने जाती है। इनका नामकरण और जन्मपत्री-टेवा भी ब्राह्मण द्वारा होता है। दसोटन, विवाह लग्न की रसमें भी ये करते हैं। तोरण भी वाँधते हैं। मारवाड़ में भी इन मुसलमानों में हिन्दुओं के जैसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नहीं पकाते हैं। जिसके घर मातृत्व हुई हो उसके पढ़ोसी या सम्बन्धी खाना खिलाते हैं। 10 दिन तक मातम की जाजम विछाते हैं व जो लोग शोक-महानुभूति प्रकट करने आते हैं उनकी अफीम, तमाखु व ब्रीडी से मनुहार करते हैं। मीसर (नुकता मृतक भोज) करते हैं। उठाना (शोक हटाने) की रीति भी काम में लाते हैं।

अविद्या होने से अवतरण लोगों में अध विश्वास, जादू, टोना भूत-प्रेत और देवी, भैरो, भोपो व पीर-कबर की मानता चल रही है। यद्यपि बड़े बड़े वस्त्रों में सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाएं खुल रही हैं। फिर भी विवाह, होली आदि अवसरों पर अश्लील गन्दे गीत गाना और नाचने की प्रथा ज्यादा ही है।

खानपान

राजस्थान के अलग अलग राज्यों में खानपान जुदा जुदा है। पश्चिमी भागों में लोग बहुधा ज्वार वाजरी व मोठ पर निर्भर रहते हैं। दक्षिणी और पहाड़ी इलाकों में मक्को, ज्वार व गेहूँ पर लोग निर्वाह करते हैं। पूर्वी भागों में गेहूँ अधिक खाते हैं। हिन्दुओं में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। गजपूत बहुधा माम खाते हैं। उनको बकरे व शुप्रक का माम बड़ा प्रिय होता है। राजस्थान के देशी राज्यों में गाय, बकरी, कबूतर, बन्दर, मोर, उल्लू और बिल्ली को मारन की सर्वत मताई है और यह महापाप मिना जाता है।

अधिकतर लोग दिन में चार बार भोजन करते हैं। परन्तु उनका यह भाजन नाम मात्र का ही होता है—

सीरावन—सुबह का कलेवा।

रोटी—11 बजे दिन का भोजन।

दोपहरी—तीन बजे दिन का भोजन।

ब्यालु सन्ध्या का भोजन।

सामान्य लोग गेहूँ, गुज्जी, वाजरी, ज्वार, मवफी की रोटियां रावडी के साथ या साग तरकारी के साथ खाते हैं या मिर्च व नमक की चटनी के साथ खाते हैं। अमीर लोगों को ही चावल व गेहूँ की रोटिया (फुलके) व मिठाई नसीब होती है। किसान अधिकतर कर्ज में डूबे हुए और गरीब होने से एक बक्त की रोटी भी पेट भर कठिनता से पाते हैं। ये लोग रुका सुखा, दलिया, खीच, सोगरा आदि खाते हैं, जैसा कि एक कहावत में स्पष्ट होता है—

वूरा करसा खाय, गेहूँ जीमे वालिया ।

अर्थात् किसान युद वूरा अनाज (घटिया अनाज) खाकर अपने कर्ज पेटे गेहूँ बोहरो (महाजनो) को देते हैं।

तरकारी के लिए गरीब सोग बेर, कुमट, फोग, सागरी, पीलु आदि बनैले पेड़ों की फलिया काम में नाते हैं। उनको गोभी, सलगम आदि की बस्तुएं त्योहार पर भी नसोब नहीं होती है। उनको चावल भी त्योहार पर ही मिलता है। उपरोक्त खाद्य पदार्थों की विशेष व्याख्या इस प्रवार है—

सोगरा — बाजरे के आटे की सेकी हुई मस्त रोटी जो कम से कम 7-8 तोले वजन की होती है।

राय — छाछ में बाजरे का आटा धोलकर मुबह या शामको उबाला जाता है और दूसरे दिन खाया जाता है।

खीच — बाजरे को ओखलो में बूटकर और उसका छिलका उतार कर चीथाई हिस्सा मोठ मिले पानी में पका कर गाढा बनाया जाता है। इसमें कभी कभी खाने समय धी या धोई तिली का तेल ढालते हैं।

घाट — मक्का का मोटा दला हूमा आटा पानी में पका कर गाढा बना लिया जाता है।

दलिया — यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला होता है। गरीब लोगों द्वारा यह पूरी तरह से नसीब नहीं होता है।

धनवान लोगों में धी व मिर्च मसालों का ज्यादा प्रयोग होता है। पश्चिमी राजस्थान का धी ताकतवर होता है। यहाँ की मिठाईया व नमकीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

पोशाक

यहां के पुरुषों का पहिनावा पगड़ी, कमरों अगरखी (अगरखा) और धोती है। देहात के ज्यादातर लोग नगे बदन रहते हैं और केवल घुटनों तक मोटे कपड़े की धोती या जाघिया पहनते हैं और सिरपर छोटा सा पोतिया (साफा) रखते हैं। जाट, सीरवी माली गुजर, अहीर आदि अपने पास रेजे (खादी) का एक पछवडा (अगोद्धा) रखते हैं। किसानों के मिँकं तीन रूपडे होते हैं (जो मोटे रेजे के होते हैं)।—५७ हाथ का लम्बा पोतिया (माफा), एक अगरखा और घुटनों तक रेजे की धोती। अब शहर के लोग बण्डी या अगरखे के बदले विना कफों का कुर्ता पहनने लगे हैं। महाजन (वैश्य) लोग पैचा, पाग या पगड़ी जो १८ गज लम्बी और ९ इन्च चौड़ी बारीक सूत के कपड़े की होती है और जिसके किनारे पर जरी का काम किया हुआ होता है वाधते हैं। इनको भिन्न भिन्न उपजातिया भिन्न-भिन्न तरह से अपन सिर पर वाधती है। सिर पर वाधने की पोशाक में चौचदार पाग राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। जिसकी विशेषता यह है कि इसके चाग तरफ एक पृथक् फीता बान्धा जाता है जिसको सादा होने पर “उपकरणी और सोना चादी के काम से खचित अर्थात् जरीदार होने पर “वालावन्दी” कहते हैं। इस समय लोग सिर पर गाढ़े के पोतिया के बदले साफा (फेटा) वाधने लगे गये हैं जो माधारणत मलमल का होता है। पुरुषों में शहर के पढ़े लिखे अपने गने में लभाल वाधते हैं। बोई-कोई टोपी भी लगान लगे हैं और कई अग्रजी ढग से कोट पतनून या ब्रीचेस तथा अग्रेजी हैट (टोप) भी धारण करन लगे हैं।

स्त्रियों का पहनावा धाधरा (लहगा, राचली (जो केवल छाती को ढकती है और पीठ की ओर तनिया से बड़ी रहनी है) या अगरखी और औदनी है। यह औदनी (लुगडा-दुपट्ठा) २॥ गज लम्बी और १॥ गज चौड़ी होती है, जो मस्तिष्क और शरीर को ढकती है। अब शहर में रहन वाली स्त्रियां में भाड़ी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई नये ढग के बमीज और छ्लाऊज भी पहन लग गई हैं।

मुसलमान अधिकतर पायजामा पहनते हैं। उनको स्त्रिया आधी बाहो का लम्बा कुर्ता या ढीला चोगा जिसे ‘तिलब’ कहते हैं पहनती है और कई बुर्का पहिन कर परदानशोन रहती है, परन्तु देहात के मुसलमानों का पहिनावा करीब करीब हिन्दुओं जैसा ही है। उनका रहन सहन वरीति रिवाज हिन्दुओं से मिलता है और वे अग्रिकाश में हैं भी नव-मुस्तिरम।

शहर के मुसलमान अचकन भी पहनते हैं। इद प्रादि त्योहारों पर इनके कपड़े बहुरगी और भड़वीने होते हैं।

राजस्थान में कुछ राजपूतों व वैष्णों को छोड़कर पर्दे का रिवाज नहीं है। राजपृत जागोरदार, जिनके यहा वादिया (डावडिया दरोगने) बाम करती है उनके यहा पर्दा हाता है विन्तु गरीब और हल्लवड हृपर राजपूतों की स्त्रिया कुए या तालांगे से पानी भर वर साती है और अपने पुरुषों को रोटी देन सेता में भी जाती है। पर्दे का रिवाज मुस्लिम राज्य के समय से प्रवलित हुआ है। इसमें पहन राजामा की रानिया भी पर्दा नहीं बरती थी। वे लडाई शिफार और दरगार म जुने नुँह रहती थी और पुरुषों की भाति अस्त्र-शम्प्र चलाती था। इसी म वई प्राचीन शिलालेखों में रानिया का युद्ध में पवडा जाना वर्णित है। यही नहीं, मेवाड़ राजवंश में महाराणा मध्यमसिंह द्वितीय के समय (मध्यन् 1668) तक महाराणा अपनी पटरानी के साथ राजमिहामन पर बैठते थे और पर्दा नहीं रखा जाता था।

आजकल नागा में धन के साथ साथ पर्दे की प्रथा भी बढ़नी जाती है। देखने में आया है कि ज्या ही एक आदमी न चार पेसे बमाये या अच्छा औहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का गांग उम्बी जान पर मवार हुआ। उसमें भी मुह्य कर मुसलमान और मुत्सदी (राज कर्मचारी) इसमें शोध्य और अधिकता में फसते हैं।

राजम्थान में पाव मे मोने का कडा या 'नार' पहनना प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा चिन्ह है। यह प्रतिष्ठा शासक नरश से प्रदान होती है। पेर में मोना पहनने की इजाजत देने के राजस्थान में 'सोना वस्सना' बहते हैं। बिना आज्ञा के लोगों का पेर म सोना पहनना राजविद्राह ममझा जाता है।

नामकरण संस्कार

पुरुषों के नाम किसी देवी - देवता, तिथि, चार, नक्षत्र, नदी, पशु, पक्षी या वहुमूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते हैं। इनके नाम जन्म के समय घर का पुरोहित या ज्यातियी रखता है। इन नामों के साथ अपने चालू गोत का नाम भा शामिल रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्रों के नाम के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता व दास लगाने की रोति है। [राजपूत अपने नाम के मन्त्र में "सिंह" शब्द लगाते

हैं । ग्राहण के नाम के साथ प्राय देव, शकर व राम जुड़ा रहता है । वैश्यो के नाम के साथ अक्षर चन्द, मल, दास, लाल जोड़े जाते हैं । शुद्धों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे भैम्बलाल का भैरिया, चतुर्भुज का चतुरिया, उदयराम का ऊदा या उदिया पुकारते हैं ।

स्त्रियों के नाम भी मनचाहे रखे जाते हैं, जैसे इमरती जलेवी, पुरी वरफी गटुरी, बाली, तोता, गौरी, मैना मूरी, चमोनी इत्यादि । राजपूतों में सौहागन स्त्रिया समुराल में “ठकुराणीजी” तथा ‘लाडीजी’ और कवर की स्त्री “कवरानीजी” तथा भवर की ‘भपरानीजी’ वहलाती है । विधवा म्त्री “माजी” (माता) वहलाती है । शासक नरेश की धर्मपत्नि ही केवल राणी या महारानी वहलाती है और उम्बे पुत्र गजबुमार या महाराज कुमार वहलाते हैं । उदयपुर, जोधपुर बीकानेर और जयपुर में शासक नरेश के नजदीकी छुट्टर्भैया महाराज वहलाते और जोधपुर में तीन पीढ़ी के बाद उनको ‘ठाकुर’ वहते हैं । जोधपुर, बीकानेर, बासवाडा और अलवर में शासक नरेश को उपत्नि(पासवान) के पुत्र तीन पीढ़ी तक गवराजा वहे जाते हैं और पिर ‘भावा’ । जयपुर व बृन्दी में ये ‘खावावान और ‘लालजी’ वहलाते हैं ।

म्यानों के नाम के मान पुरा गढ़ सेडा मर बाड़, नगर नेर मेर आदि शब्द रहते हैं । जैसे जयपुर जसवनपुर, विणनगढ़, नवखेडा, सेजुसर, मारवाड़, गगानगर, बीकानर, अजमेर इत्यादि ।

“सिंह” शब्द का उल्लेख विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है जब ईरान के राजा हिन्दू सम्प्रता को घरना कर अपने नाम के साथ ‘सिंह’ शब्द बोरता का सूचक जोड़ने लगे थे । पहले पहल पुनरात राजस्थान मालया काठियायाड, दक्षिण आदि प्रान्तों पर राज करने वाले शक जाति के ईरानी क्षत्रपवशी प्रतापी राजा स्त्रिया के द्वितीय पुत्र महालक्ष्य ‘राजा लद्दसिंह’ के समय के शक वर्षत् 103 से 118 (वि० स० 238 से 253 = ई० सन 181 से सन 196) तक के द्वितीयों तथा शक स० 103 (वि० स० 238=ई० सन 181) यंत्राल मुद्दि 5 के उसके शिमालेख में उसके नाम के साथ ‘सिंह’ शब्द लिखा मिलता है । (भावनगर इतिहास पृ० 22) । यात्रियों के परमार क्षित्रि राजाओं के नाम के द्वान्त में ‘सिंह’ लगान का शिलालेख विक्रम स० ३८वी० शताब्दी में ऐवाड का गहनोत विशिष्टों में 12 वीं शताब्दी में, कल्याणी 12 वीं शताब्दी के द्वान्त में बोहानों में 13 वीं सदी में और मारवाड़ के राजों में 17 वीं शताब्दी में जारी होना पाया जाता है । राजपूतों को देखा देख ही तिथियों के दसव गुण गावि-दसिंह (वि० स० 1722-65) में भी 18 वीं शताब्दी में अपने शिष्टों में निवृत्त शब्द का प्रचार किया । पजाव व सोमाप्रान्त के मुसलमान जहा अपने को बढ़ा ज्ञाने को अपने नाम के साथ ‘खान’ या ‘खा’ शब्द जोड़ते हैं तो इसकर्ता ने भी उनकी समाजता करते अपने को “सिंह” (सिंह के समान) कहताना प्राप्त किया । यही रिवाज आज तक सिवल सम्प्रदाय में चला आता है और वे साग चाहे याहूए को या हरिजन (अझू) तक भी “सरदार” कहताते हैं और नाम के आत में “सिंह” शब्द जोड़ते हैं ।

मेले

राजस्थान में अधिकतर मेले तीर्थ स्थानों पर कुछ विशेष धार्मिक पर्वों पर भरते हैं। कुछ मेले पश्च मेले ही होते हैं। जहाँ हजारों पश्च-गाय, बैल, ऊट, भेस, घोड़े, गधे आदि विक्री के लिये इकट्ठे होते हैं। उनमें उत्तरी भारत से प्रान्तों के लोग पश्च खरीदने आते हैं जिससे राज्यों को काफी आय होती है। पुष्टर, तिलवाडा, परवतसर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करीली, गोगामडी (बीकानेर राज्य), के मेले प्रसिद्ध हैं। पुष्टर वा मेला कार्तिक में, तिलवाडा का मेला चैत्र में, परवतसर का मेला भादवा में, केशरीयानाथ (धुनेव, मेवाड) का चैत्र में, चारभुजा (मेवाड) का भादवा में, माता कुण्डलिनी (रासमी, मेवाड) व कोलायत, (बीकानेर राज्य) का कार्तिक में, रामदेवरा (पोकरण - जोधपुर) का भादवा में, महावीरजी (जयपुर राज्य) का चैत्र में, राणीसती मेला झुँनझुँनु का भादवा में, सीतला माता मेला, सिल झूँगरी (चाकमु, जयपुर राज्य) चैत्र में, वासुदेवर (झूँगरपुर) माघ में, वाराणसी (वराट - जयपुर राज्य) वैशाख में, गोगामडी (बीकानेर राज्य) भादवा म, भास्त्रेश्वर मेला मुकाम (नोखा-बीकानेर राज्य) फागुन में व आसोज म, करनी माता का देशनोक (बीकानेर राज्य) चैत्र में, व आसोज में, सीताबारी मेला, केलवाडा (कोटा राज्य) में वैशाख में भरत है। अजमेर म उर्म का मेला तथा गलियाकोट (झूँगरपुर) में, उर्म के मेले में भारत भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं। मण्डोर (जोधपुर राज्य) में बीरपुरी का मेला थावण म भरता है। इस दिन बीरों की पूजा होती है। मण्डोर म बीरों को साल बनी हई है जिसमें मारवाड के प्रसिद्ध बीरों (मलिनाथ पावूजी, हडभू गोगा, रामदेव) व हिन्दू देवी - देवताओं (राम, कृष्ण, गह्य, भैरव चामुण्डा, ककाली), की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मेलों पर विभिन्न स्थानों व राज्यों के आदमी इकट्ठे होते हैं।

त्यौहार

राजस्थान का मुख्य त्यौहार गणगार है। राजा और रक बालव और बालिकाओं तथा स्त्री और पुरुषों द्वारा बड़े उल्लास व साथ मनाया जाता है। गणगार का अर्थ है—गण (शिव) और गौर (पार्वती)। इस त्यौहार का आरम्भ चैत्र माह के पहले दिन से चैत्र मुदि 4 तक चलता है। कुवारी कन्याएँ अच्छा वर पाने के लिये तथा विवाहित स्त्रिया अवधि सौभाग्य के लिये गणगार की पूजा करती हैं। पूजा के अठारह दिनों तक

वह धालिवायें उपवास करती हैं और उनके य उपवास पर्याँ तक चलत रहते हैं जबतक वि वे उजणा (व्रत की ममाति पर दावत) नहीं कर नेती हैं। चैत्र वृषभा प्रतिपदा को ही स्त्रिया होली को रख म गहू या ज्वार उगाती है और उस प्रतिदिन पानी पिलाती है। वह स्थाना पर धनी परिवारों द्वारा ईमर (शिव) व गाँगी (पावती) की लकड़ी की मूर्तिया बनाई जाकर पूजी जाती है।

होली के गाद मानव दिन कु बारी कन्याएं कुम्हार क घर जाकर एक मिट्ठी का घडा नानी है। इस घडे म कई छेद हात है। इस घडे म दीपक रख कर लड़किया धूड़ल का गीत 'गाती फिरती ह आंर पस मिठाई धी, तल आदि इकट्ठा करती है। यह कार्यक्रम दम दिन तक चलता है और गणगीर की ममाति के दिन इस घडे को फोड़कर कुएं या तालाब म डाल देती है। इकट्ठी की गई मिठाई या इकट्ठे किये गये पैमास मिठाई नाकर मध्य मिल कर नानी है।

सभी रियासतों म विशेषकर जयपुर जोधपुर वीकानर काटा भालाद्वाड और उदयपुर आदि म गणगार का त्योहार वडे धूमधाम म मनाया जाना है। गणगीर राजकीय भुक्तम क भाष्य निवलता है। खुदी म गणगीर का त्योहार नहीं मनाया जाता है क्याकि बून्दी क महाराजा बुद्धसिंह के भाई जोधमिह सन् 1706 की मात्र 6 को गणगीर का नाव म न जाते समय ढूव गये थे। तब से राजस्थान म यह प्रसिद्ध हा गया है कि हाडा ल ढूवों गणगीर।

थावगा की नीज का त्योहार राजस्थान में वडे उल्तास स मनाया जाता है। थावगा माम म वर्षा हा जान पर चारा आर हरियाला छा जाती है। हर रग म आच्छादित भूमि नव दूलहन मो लगती है। आकाश

1 पुडल के लिये कहा जाता है कि चत्र मुहिं 3 वर्षकम समवत् 1549 (1 माच 1492) को अजमेर के मूर्खेश्वर मन्त्रालय ने पाण्डिनगर को 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया था। जबकि पे गण 10 का पूरा क लिये गांव क बाहर तालाब पर गयो हुई थे। उस समय म लूखा के साथ नि ध का धूड़ेनखा था। जब मारधाड के राव सातल को यह ज्ञात हुआ तो उसने उनका पीछा कर धूड़ेनखा को पोपाड के पास कोसाणा में मारदाला। राव सातल भी तभी मारा गया लेकिन लड़कियों का बचा लिया गया। महसूखां अजमेर चला गया। इस घटना को याद से अब ऐदवाला घटा धूड़ेनखा का प्रतीक होता है और दोनक मानव का विजय दर्शाता है।

से भरती मोती सी बून्दें और पूर्वाई का मतवाला पवन सभी को मदमस्त कर देता है। प्रत्येक घर में और प्रत्येक बाग में भूले बाध दिये जाते हैं जिन पर स्त्री, पुरुष व बच्चे भूनते हैं। स्त्रिया मीलह शृंगार कर इधर-उधर बागों व खेतों में घूमती फिरती बड़ी मुन्दर लगती है। तीज के दिन सभी स्त्री-पुरुष व बालक-बालिकाये, नगर या ग्राम के बाहर तालाबों या बागों में इकट्ठे होते हैं। वहाँ भूलों पर भूनने की होड़ लग जाती है। लोक गीतों के गाने की भी उम दिन बहार रहती है।

चैत्र मास में क्रृतु परिवर्तन-मर्दी ममास होकर ग्रीष्म क्रृतु आरम्भ होने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। क्रृतु परिवर्तन होने से मनुष्य के शरीर में रक्त बदल जाता है और इसमें चेचक की विमारी फैलने की आशका हो जाती है। ऐसे समय पर ठण्डा भोजन खाना आवश्यक हो जाता है। इम कारण शीशल मस्ती को मितला माता का पूजन किया जाता है। यह त्योहार चैत्र कृष्णा सप्तमी या अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग एक दिन पहले पकाया हुआ ठण्डा खाना खाते हैं। मीतला माता की मूर्ति के स्प में पूजा की जाती है। मूर्ति को धी, दूध व दही में नहलाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि मीतला के प्रकोप से बच्चों आदि को दूर रखे।

बेशाख शुक्ला तृतीया को आखातीज (अक्षय तृतीया) का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नई फसल का स्वागत किया जाता है क्योंकि तब तक फसल का नया धान आ जाता है। सभी लोग बड़े उत्साह से यह त्योहार मनाते हैं। गाव गाव में मैले लगते हैं और मिठाईया बट्टी है। घरों में नये धान का खीड़, गुड़ आदि के माथ खाते हैं। इस दिन गुड़, अफीम आदि से मनुहार की जाती है। काष्ठकारों वे घरों में ज्यादातर विवाह भी इसी दिन होते हैं। इसी दिन अगले वर्ष वे लिये सकुन भी लिये जाने हैं।

रक्षा वन्धन, विजया दशमी व दीपावली के त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाये जाते हैं। विजया दशमी पर रावण व उसके परिवार के पूतले सरकार की ओर से बनवाये जाते हैं। महाराजा की तब सवारी निकलती है और शाम के समय रावण और उसके परिवार के पुतलों को आतिश-बाजी के साथ जला दिया जाता है।

मुसलमानों के मुख्य त्योहार ईद, शब्‌वेरात, मुहर्रम है। मुहर्रम पर कागज व वास का ताबूत बनाकर टोल-टमाकों के साथ शहरों में निकालते हैं और बाद में इन ताबूतों को कर्बला में दफना देते हैं।

स्त्रियों की दशा

राजस्थान में वालिकाओं का जन्म अच्छा, शुभ व सुखद नहीं समझा जाता है। कहा भी है—

पैडो भलो न कोस को, बेटी भली न एक ।
देगणो भलो न वाप को, माहिव गमे टेक ॥

अर्थात्— पैदल चलना तो एक बोस का भी अच्छा नहीं है और एक कन्या का होना भी ठीक नहीं है। कर्जा अपने वाग का किया भी भला नहीं है। ईश्वर इन वातों से बचा कर हमारी इज्जत रखे।

इसी कारण हिन्दुओं और विशेषकर निर्धन राजपूतों में वाल हत्या का ज्यादा ही प्रचार रहा है। अब तो कानून में वाल हत्या बन्द कर्दी गई है किर भी लुके छोपे वालिकाओं की हत्या गला घोटकर या अकोम पिलाकर करदी जाती है। यदि नड़का पैदा होता है तो घर में प्रमद्वता की लहर फैल जाती है और जोर जोर से थाली या होल बजाया जाता है और मन्देश्वाहक को पुरुष्कार दिया जाता है।

मामान्यत गर्भवती स्त्री को कई प्रकार के क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। इन क्रियाक्रमों को करने के लिये किसी आद्यरणा व पण्डित की आवश्यकता नहीं रहती है। परिवार की स्त्रिया ही यह सम्कार करा देती है। पहला जापा सामान्यतः स्त्री के पीहर में होता है। जापा दाई करानी है जो ज्यादातर अनपढ तथा अप्रशिक्षित होती है। इस कारण काफी मध्या में गर्भवती स्त्रिया अनायास ही काल के मुख में चली जाती है।

जच्छा को कम से कम सात दिन तक अलग करने में रखा जाता है तथा उसे वही खाना दिया जाता है। उसके दपडे भी अलग रखे जाते हैं। जच्छा के कमरे में भूत-प्रेत न आ सके इसके लिये वहां पानी व लोहे की बस्तु रखी जाती है। जच्छा को घर की कोई बस्तु छूने नहीं दी जाती है क्योंकि वह तब तक अस्वच्छ मानी जाती है। वाईस दिन बाद जच्छा को स्नान कराया जाता है और सूर्य का पूजन किया जाता है। तब से वह अस्वच्छ मानसी

जाती है, और इसके बाद वह घर के कामकाज कर सकती है तथा घर में धूम फिर सकती है। जब बच्चा लगभग सात माह का हो जाता है तब उसे अन्न खिलाया जाता है।

लड़कियों का विवाह बहुत कम उमर में, यहा तक कि पैदा होते ही कर दिया जाता है। बालक बालिकाओं को याद ही नहीं रहता है कि उनका विवाह कब कैसे व किसके साथ हुआ है। उनके लिये अपनी मर्जी का पति या पत्नि चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस कारण सामान्यत लोगों के वैवाहिक सम्बन्ध मधुर नहीं रहते हैं। छोटी उमर म ही विवाह हो जाने के कारण लड़किया जल्दी ही गमबती हो जाती है और इस कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठती है। कुछ जातियां म बहु-विवाह का ज्यादा ही प्रचार है। राजा महाराजाओं में व सामन्ता में वैवाहिक स्त्रियों के श्रावा उप-पत्नियों, पासवानों आदि को रखन का शोर ज्यादा हा है। यह उपत्निया व पासवानें विभिन्न जातियों की होती है। दरागना, गालियो आदि को जो उनके विवाह पर देहेज म आती है, आता कामनामना शान्त करने को उपभोग करना ता उनके लिये मामूली बात है। पिछड़ी जातियां में पुनर्विवाह होता है लेकिन नथारथित उच्च जातियां म पुनर्विवाह को प्रथा न होने के कारण उनम विधवाओं की सूखा ज्यादा ही है। उच्च जातियों में तलाक को प्रथा भी नहीं है। मुसलमानों म तलाक की प्रथा है लेकिन स्त्रियों को इसकी सुविधा नहीं है।

स्त्रियों में पर्दा प्रथा का ज्यादा प्रचलन है। हिन्दू स्त्रियों से ज्यादा मुस्लिम स्त्रियों म पर्दा सूखी से रखा जाता है। वे बुरबा पहनकर ही बाहर निकल सकती हैं। हिन्दुओं म उच्च वर्गों के लागा म पर्दा ज्यादा है। ये पर्दे के बिना बाहर निकलनी ही नहीं है। जो भा वृक्ष कुछ अच्छे आहदे पर हो जाता है या कुछ धनवान हो जाता है ता अपनो इज्जत बतलाने को अपनी स्त्रियों का पर्दा सम्भन्न कर लेता है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के कारण कम ही स्त्रिया उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। जो कुछ शिक्षा प्राप्त करती है, वे ज्यादातर धनी व संकागी कर्मचारियों की पुत्रिया ही होती है व प्राथमिक पाठशालाओं चटशालाओं या मक्तवा म ही लड़कों के साथ पढ़कर ही प्राप्त करती है। ज्यादा उमर होते ही उन्हें घर के काम काज में लगा दिया जाता है। इस प्रकार जल्दी उमर म ही पर्दे म रहने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। शहर के गरोब वर्ग तथा गावों में किसान व गरीब महिलाओं में पर्दा नाम मात्र का होता है। ये मजदूरी व खेतों में काम बिना पर्दा के बरती रहती हैं।

स्त्रियों को अच्छे कपडे व गहने पहनने का ज्यादा ही शौक है। पहनावा उनकी आयु, सामाजिक स्थिति, तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊँचे वर्गों की स्त्रिया महगे व अच्छे कपडे पहनती है लेकिन गरीब वर्ग की स्त्रिया सादे कपडे ही पहनती है। औरतों का मुख्य पहनावा— लहूधा या धाघरा, चोली, दुपट्टा या ओढ़नी होता है। मुस्लिम स्त्रियों का भी लगभग यही पहनावा है लेकिन वे बुरका पहन कर बाहर निकलती हैं। हिन्दू स्त्रिया धू घट निकाल कर बाहर निकलती है। सौन्दर्य प्रसाधनों का भी काफी प्रचलन है। हाथों व पैरों में मेहदी लगाने व दाता को मिस्सी से रगने का स्त्रियों को विशेष शौक होता है। हिन्दू स्त्रिया सिर के बालों के बीच माग में सिन्दुर भरती है लेकिन मुस्लीम स्त्रिया ऐसा नहीं करती है। हिन्दू स्त्रिया मस्तिष्क पर बिन्दी भी लगाती है। सिर में पैर तक विभिन्न प्रकार के गहने पहनने का सभी वर्गों की स्त्रियों को शौक है। ये गहने मोने, चान्दी व पीतल के होते हैं। हिन्दू स्त्रियों में बाहा में चूड़ा पहनने का विशेष ग्निवाज है।

हिन्दू विधवाओं की हालत बड़ी गरात होती है। उनका समाज में कोई आदर नहीं करता है। तथान्यित उच्च वर्ण के हिन्दूओं में विधवा के पुनर्विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह प्रथा मध्यकाल में प्रारम्भ हुई। अन्यथा प्राचीनकाल में विधवा का पुनर्विवाह होता था। भनु महिला द्वारा ही विधवा विवाह पर रोक लगायी गई तेजिन उमम भी यह लिखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा स्त्री पुनर्विवाह वर सकती है। मध्यकाल में लोग स्त्रीवादी हो गये और विधवा विवाह को धृणा की हस्ति से देखने लगे। परिवार के लिये यह अपमानजनक था कि विधवा पुनर्विवाह कर। इनके विपरित यदि विधवा मृतक पति के माय मती हो जाती थी तो इसमें अपनी बड़ी इज्जत ममझन थे। इस कारण मध्यकाल में जबरदस्ती विधवाओं को पति के शव के माय जलाया जाने लगा। पिछली शताब्दी में ही कानून द्वारा मती की प्रया को समाप्त की गयी है। यो विधवा को घर में बड़ा अपमानजनक परिस्थितियों में जीवन विताना पड़ता है। घर में इसी भी जन्म, विवाह आदि शुभ बार्यों पर उमकी उपस्थिति अच्छी नहीं ममझी जाती है। इस बारण वह उनमें भाग नहीं ले सकती है। उसको गहने पहने या शृंगार करने की मनाही होती है। उसे बांने या सफेद कपडे पहनने पड़त है व तेल तक नहीं लगा सकती है और वह खाट पर सो तक नहीं गती है। इन बारणों से

विधवायें या तो शोघ्र अस्वस्थ होकर ससार छोड़ देती है या घर से भाग जाती है। मुस्लिम विधवा की इतनी खराब दशा नहीं होती है। वह पुनर्विवाह कर सकती है लेकिन पति की मृत्यु से कम से कम सवा चार महिना बाद।

इस प्रकार राजस्थान में स्थिरों की स्थिति, भारत की अन्य प्रांतों की भाँति अच्छी नहीं है। उनकी हानत को सुधारने की काफी आवश्यकता है।

अन्धविश्वास एवम् जादू टोने

प्रकृति के प्रकोपो व देवी घटनाओं वा देखकर लगा का विश्वास हाने लगा कि किमी अद्भूत शक्ति का इनक पीछे हाथ है। इस नारण उसस बचने के लिये व ऐसी दुर्घटनाय न होने दन के लिय उन दैविय शक्तियां वा प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे और इस प्रभार लाणा का धर्म-भर्म मध्यान जाने लगा। सामान्यत चमत्कार व धर्म एवं दूसरे म मिले हुए है। लोगों का दोनों म विश्वास प्राचीन काल म ही चला आ रहा है। ऋग्वेद व अथर्ववेद में कई मन्त्र इनके विषय म मिलते हैं। शिव, भैरव भवानी, ककाली, इनुमान, पावृ, तेजा, गोगा, गमदेव आदि जादू टोने वे लिये माने हुए देवता हैं। इनकी पूजा के विशेष दिन ह। यथा शनिवार गविवार, अमावस्या, सप्तमी आदि। गावो म जादू टोना करने वाली जातिया, भीत मीणा, कराड, गूजर आदि हैं। इनको भोपा कहा जाता है। ये लोग इन देवी-देवताओं व लोक देवताओं के पूजारी हात हैं और मन्त्राच्चारणा कर देवी देवताओं आदि का प्रसन्न करने हैं। इन देवी-देवताओं व भाना का भूत प्रेतों, चूडेना आदि को नियवण म रखने व जादू टाना करन म प्रबीण माना जाता है। देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिये भोपे आग लगाकर व दीपक जलाकर ज्योत करते हैं। लोग कुछ धान देवी देवताओं के सामने रखते हैं और उनकी यश-गायाय गाते हैं व ढोल, भाभा आदि बजाते हैं। तब ही सम्बद्धित व्यक्ति का सबट दूर करने की प्रार्थना की जाती है। भोपा के ग्रलावा नाथ भी जादू टोना करते हैं। ये लोग उपवास कर तथा नवरात्रों में पूजा पाठ कर यह विद्या ग्रहण करते हैं। कुछ शमसान भूमि म जाकर इसम सिद्धी प्राप्त करते हैं। नाथ अपने ईष्ट देवता वो प्रसन्न कर सिद्धी प्राप्त करते हैं। भोपे विमारियो व सबट के दूर करते हैं लेकिन नाथ मरण व उच्चटन मनो में प्रबीण होते हैं। जोगनिया भी भूत - प्रेतों को दूर करती है। वे भवानी के लाल कपड़े पहन गाव मे फिरती रहती हैं।

जादू टोने वी प्रकार के होते हैं — (1) रक्षात्मक व (2) आक्रमक रक्षात्मक जादू में लोगों की विमारिया, (हिस्टीरिया, मलेरिया, सिरदर्ढ आदि) दूर की जाती है। साँप, बिच्छु आदि के काटे व्यक्ति को ठीक किया जाता है। किसी के सकट व कष्ट को दूर किया जाता है आदि आदि आक्रमक जादू में शत्रु का नाश, बीमारी, आफत, अकाल लाकर या अप्राकृतिक मृत्यु लाकर किया जाता है।

रक्षात्मक जादू-टोने— बीमारियों को दूर करने के लिये भोपालीम की डाली या मोर पब लेकर बीमार के सिरपर धूमाकर भूतप्रेत को भगाने हेतु मध्य बोलता है व आग में मिरचे आदि भी डालता है और उस व्यक्ति के सामने फेंकता है। कोई कोई देवी-देवता का ढोरा भी बीमार के हाथ पर बाधते हैं, ताकि बीमारी दूर हो जावे। मना हुआ पानी पिला कर या पान आदि खिला कर भी बीमारी दूर की जाती है।

व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिये दीपावली, होली आदि पर पूजा पाठ करते हैं और दबात-कलम व वहियों की पूजा कर उनपर स्वस्तिका का चिन्ह लगाते हैं और वहियों पर 'शुभ-लाभ' लिखते हैं। वे लोग प्रतिदिन दूक्कान पर जाने के पहले शकुन लेते हैं। जब तक शकुन अच्छे नहीं होने हैं वे घर से रखाना नहीं होते हैं। इसी प्रकार याना आदि पर जाने के पहले भी शकुन लेते हैं। कुछ विशेष दिनों पर ही यात्रा व व्यवहार किये जाते हैं।

वाणिकार अच्छी फसल लेने के लिये शकुन लेते हैं। इसके लिये ज्वार आदि को हृत्ती से रग कर मक्कान के बाहर लगाया जाता है। आगामी वर्ष में भी अच्छी फसल हो इसके लिये सायर-माता की पूजा भी जाती है। टिही दल को भगाने के लिये नाय लोग भेरव या हनुमान की पूजा कर मध्य बोलते हैं।

नजर लगाना भी राजस्थान में गहूत माना जाता है। इस कारण मुन्दर उच्चों के बाली डितो, गाल या मम्पिट्ट पर लगायी जाती है। दूल्हा व दुल्हन को जल्दी ही नजर लगाने का भ्रम लोगों वो रहता है। इस कारण दुल्हन के दुन्हे में निम्बु और दूल्हे के बमर में तलवार या बटार बांधा जाती है। इसी प्रकार दूल्हे व दुल्हन को कसाई में कारग-डोरा बांधा जाता है। नया मक्कान बनाने या नया गहना पहनने पर भी कोई न बोई कानी बन्तु या ढोरा लगाया जाता है। ताकि इसी बी भजर न लगे।

आक्रमक जादू टोने— बुद्ध व्यक्ति अपन शत्रु स बदला लने के लिय उस पर आक्रमक जादू टोने करते हैं। इसक लिय भोपे मारण मत्रा का प्रयोग करते हैं। शत्रु के किसी वपडे या उसके द्वाग प्रयोग की जाने वाली वस्तु पर मत्र बोल कर उस द दी जाती है। ताकि शत्रु ना अनिष्ट हा जावे। इसी प्रकार शत्रु पर मूठ भी फक्त व के लिय चना का प्रयाग किया जाता है। मात या इक्कोम चना पर मत्र बोल कर शत्रु की ओर फक्त जात है और इससे शत्रु समाप्त हो जाने तक की आशा की जाती है। इसी प्रकार शत्रु का आटे या मिट्टी का पुतला बनाकर व उस पर मारण मत्र बोलकर पुतन के अगा को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एसा करन से शत्रु को काफी बष्ट होता है और वह मर तक सकता है। इस बायबाही से यह भी अनुमान किया जाता है कि यदि पुतलो पर मत्र करने वाला व्यक्ति बोई गलती कर दना है तो उस व्यक्ति पर उल्टा असर भी हो सकता है।

कई व्यापारी धान महगा करने के लिय अचाल की स्थिति पदा कर देने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण वर्षा नहा होन देने के लिय घडा का पानी से भरकर जमीन मे गाड़ देते हैं। यह घडे लाल करडे मे ढके रहते हैं। घडा पर प्रतिदिन मत्र पढे जाते हैं। यह अनुमान किया जाता है कि इससे वर्षा रुक जावगी और धान महगा बिक्गा।

बड़ी पुरुष और स्त्रिया किसी अन्य स्त्रो या पुरुष को वश मे करने के लिये वशीकरण मत्रा का प्रयोग करत है। वगारण मत्र पान आदि पर पढ़कर वश मे किये जानेवाले व्यक्ति ने विन दिया जाता है। इसम पान खानेवाला पुरुष या स्त्री उस पुरुष या स्त्री का आर आर्द्धित हो जाती है। इसी प्रकार दो प्रविष्या या मित्रा के बोच भेद लाने को मत्र पढे जाते हैं।

भोपे भाव म आकर भी लोगो क सक्त दूर करते हैं। भाव मे आने के लिये भोपे देवता को सम्मुख दीपक जला वर ज्योत करते हैं। देवता की मूर्ति पर सि दुर लगाया जाता है और ज्योत को तज किया जाता है। ढोन व झाझा जोर जोर स वजाया जाता है। भावा मूर्ति व सामने नाचता है व अपना शगीर हिनाने लगता है। तज नोग उससे अपने सकटा वा दूर करने के उपाय पूछते हैं और वह भाव मे ही उत्तर देता रहता है। भाव म पूछने पर वह भविष्य मे होने वाली वर्षा फसल विमार्खियो आदि के बारे मे भी बनलाता है। यह भाव लगभग एक घण्टे तक रहता है। बाद म वह सामा य स्थिति मे आ जाता है।

कुछ लोग साँप व विच्छु के विष को दूर करते हैं। इन लोगों को तेजा का इष्ट होता है। तेजा के थान प्रत्येक ग्राम में मिलते हैं जहां भादवा शुक्ला पचमी को पूजा की जाती है। जब कभी किसी को विषधर काट लेता है तो तेजा के नाम का ढोरा बान्धा जाता है और ज्योत जलाई जाती है। ढोल बजाकर लोगों को उत्तेजित किया जाता है और सब नाचने लगते हैं। साप के जहर को चूसा भी जाता है। इससे बीमार अच्छा हो जाता है।

गाव में डाकनियों से भी यहुत डरा जाता है। किसी भी बदसूरत बूढ़ी औरत को डाकन समझ लिया जाता है। लोगों का अनुमान है कि डाकनिया बच्चों को खा जाती है और कमज़ोर स्त्रियों के बीमारी लगा देती है। यह भी माना जाता है कि वे इमसान भूमि में रहती हैं और वहां छोटे बच्चों की लाशों को भूमि से निकाल कर उन्हे खा जाती है। रात को इमसान भूमि में ये डाकनिया नाचती, गाती फिरती हैं। पिछली शताब्दी तक इन तथाकथित डाकनियों को मारडाला जाता था या जला दिया जाता था। अब कानून से उन्हे मारना या जलाना बन्द कर दिया गया है फिर भी लोग डाकनियों में विश्वास करते हैं और बतलाते हैं कि वे लोगों का अनिष्ट करती फिरती हैं।

भूत, भूतनियों, जिनों आदि में लोग भी विश्वास करते हैं। उनके लिये कहा जाता है कि वे एकान्त स्थानों खण्डहरों, पुरानी सेजडियों आदि पर रहती हैं और जब कभी किसी व्यक्ति को, विशेष कर बच्चों औरतों व कमज़ोर पुरुषों के लग जाते हैं तो उसे नाना प्रकार से कष्ट देते हैं और यहा तक कि पागल कर देते हैं। इनको भी भगाने हेतु भोपे भाडे झपटे करते हैं।

इस प्रकार राजस्थान की अशिक्षित जनता दिना किभी तर्ब के जादू टोनों में विश्वास करती है और भोपो, नाथो, जोगनियो आदि के चक्कर में फसी रहती है। ज्यादातर मामलों में मक्ट या चिमारा टलती नहीं है लेकिन इसके लिये ये चमत्कारी लोग अनेक बारण बतला देते हैं। इस प्रकार अन्धविश्वास चलता रहता है और जादू टोना करने वाले उनके बारण गुलछरें उड़ाते रहते हैं।

पेशे

राजस्थान में सन् 1931 की जनसंख्या के अनुसार 38,54,111 पुरुष तथा 20,81,152 स्त्रियों काम करने वाली तथा काम पर निर्भर हैं। इनका व्यौरा इस प्रकार है—

धन्धा	काम करने वालों की संख्या
1. कृषि एवं पशु पालन	42,57,801
2 खनिज कार्य	7,980
3 उद्योग	6,81,198
4 परिवहन	51,104
5. व्यापार	2,97,785
6 जनवाल	56,045
7 प्रशासन	65,167
8. जन-उपयोगी धन्धे	1,54,609
9 अपनी आमदनी पर निर्भर	5,771
10 घरेलू कार्य	86,786
11 अवरणि	1,84,638
12 अनुत्पादित	76,379

खनिजकार्य में सबसे ज्यादा लोग धोलपुर, कोटा व मारवाड़ के हैं। इन राज्यों में मुख्य काम पत्थरों की खान का है। मारवाड़ में नमक उद्योग में भी काफी लोग काम करते हैं।

कपड़ा उद्योग पर 1,63,443 चमड़ा उद्योगों पर 31,418 लवड़ी, मिट्टी के बर्तन बनाने, कपड़े व प्रसाधन उद्योग व भवन निर्माण सम्बन्धी उद्योगों पर क्रमशः 39,418 व 58,448 व 65,793 व 1,59,267, 53,190 लोग काम करते हैं।

परिवहन के कार्य में कुल 51,104 व्यक्ति लगे हुए हैं। जिनमें से रेलवे सेवा में 27,218 हैं। सड़क परिवहन में 27,218 व्यक्ति काम करते हैं।

व्यापार में 2,97,785 व्यक्ति लगे हुए हैं। यो व्यापार व उद्योग एक दूसरे के आश्रित है। यदि एक व्यक्ति चमड़े के उद्योग में लगा हुआ है तो वह उसको बेचता भी है। इस प्रकार वही व्यक्ति व्यापार भी करता है। यो

लेन देन का काम 35,329 कपडे का व्यापार, 16,325 चमड़े का व्यापार, 3,154 तथा लकड़ी का व्यापार 1604 व्यक्ति करते हैं। धान के व्यापार में 1,46,893 व्यक्ति लगे हुए हैं। इन्धन का व्यापार 23,910 व्यक्ति करते हैं।

भार्वंजनिक प्रशासन-ने कुल 6,65 167 व्यक्ति लगे हैं। सेना में 28,440 व पुलिस दल में 27 605 व्यक्ति हैं। जन उपयोगी धन्धों में से धार्मिक कार्यों में 1,06,297, बकालत में 2 140 स्वास्थ्य सेवाओं में 8,333 तथा शिक्षा में 6,318 व्यक्ति लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में दाईश्रों की संख्या 4,677 भी सम्मिलित है। घरेलू सेवाओं में 86,786 व्यक्ति लगे हुए हैं।

सन् 1931 में राजस्थान में पढ़े लिखो (मेट्रिक पास) में केवल 128 बेकार थे लेकिन यह सम्भव बराबर बढ़ती ही जा रही है। इस कारण पढ़े-लिखो में अमनोप फैलता जा रहा है।

उद्योग

राजस्थान उद्योग के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। पानी विजली, यातायात आदि की कमी के कारण यहाँ उद्योग कम ही खुल पाये हैं। आर्थिक साधनों की कमी तथा जासकों की उद्योगों में हचि वी कमी भी यहाँ उद्योगिकों को आकर्षित नहीं कर सकी है। राजस्थान में केवल व्यापार में ही सूती मिले हैं।¹ मिसेन्ट के लिये यहाँ केवल एक कारखाना लाल्हेरी (बून्दी) में है।² नमक साभर, डीडवाना व पचपदरा में बनता है। केवल राजस्थान की ही झीलों में नमक बनता है।³ जयपुर में बिडला वन्धुओं ने वालवेरिंग का कारखाना लगाया है। राजस्थान में अभी उद्योगों की काफी कमी है। यहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज पदार्थों आदि में कई

1. राजस्थान में प्रथम व्यापार के अनावा पाली भीलवाड़ा, किशनगढ़ विजय नगर (धनमेत्र), जयपुर, गगानगर, भद्रानीमढ़ी कोटा व उदयपुर में सूती मिले हैं। सबसे बड़ी मिल पाली की उम्मेद मिल है। सभी मिलों में लगभग सात करोड़ मीटर कपड़ा तंयार होता है।

2. अभी सीमेन्ट के कारखाने लालेगी के अनावा सवाई माधोपुर, चित्तोड़ व उदयपुर में हैं। इनमें लगभग 14 साल टन सिमेन्ट प्रति वर्ष तंयार होती है।

3. भारत के कुल नमक उत्पादन का 10 प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है। यही लगभग 5 साल टन नमक का उत्पादन होता है।

उद्योग चालू हो सकते हैं। इनके लिये न केवल धन, तक निकी शिक्षा बल्कि नरेशों द्वारा सहायता दी जानी आवश्यक है।'

राजस्थान में कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, रसायनों, खाद्यान्नों, भवन निर्माण सामग्रो आदि पर आधारित उद्योगों के पनपने की काफी मुंजाई र्ही है। अभी जो भी उद्योग यहाँ हैं वे घरेलू उद्योग या लघु उद्योग कहे जा सकते हैं। ये उद्योग ज्यादातर जातिवार हैं यथा, बलाई व कोली आदि कपड़ा उद्योग में, गडरिया, जोगी, खटोक, जटिया आदि बकरी या ऊँट के वालों के थेले, रस्सिये आदि के उद्योग में, डवगर ऊँट के चमड़े के कृष्णे बनाने के उद्योग में। विछले कुछ वर्षों से स्वदेशी कपड़े बनाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। इसका कारण किभी सीमा तक अग्रेजी प्रान्तों में स्वदेशी आन्दोलन का चलना है। खादी बेन्द्र वडे वडे नगरों एवम् कस्बों में खुलने लगे हैं। यो जोधपुर के प्रधान मन्त्री सर प्रतापसिंह तथा बीबानेर नरेश महाराजा गगासिंह ने भी स्वदेशी कपड़ों को काफी प्रोत्साहन दिया है। फिर भी मिलों का कपड़ा मस्ता व टिक ऊ होने के कारण ज्यादा पहना जाता है। जब तक करघों को मुधारा नहीं जावेगा, खादी के कपड़ों का लोकप्रिय होना कठिन है।

व्यापार

भारत के वडे वडे व्यापारिक केन्द्रों— वस्त्रई, बलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद आदि पर राजस्थानी व्यापारी बहुतायत से मिलते हैं। ये व्यापारी राजस्थान में ही वाहर गये हैं। उनके यहाँ से जाने वा मृत्यु कारण यहाँ व्यापार की कमी तथा आवश्यक मुविधाये नहीं मिलना है। यहा प्रत्येक नगर, वस्त्रे व गाव भ लोगों की आवश्यकतानुसार वस्तुएं मिल जाती है। प्रत्येक नगर व वस्त्रे में व्यापारियों के लिये अलग अलग बाजार है। जो वहाँ की जनसंख्या के अनुमार छोटा व बड़ा होता है। कई गावों (लगभग 200) में निश्चित दिनों पर हाट लगते हैं जिनमें प्रति हाट

1 राजस्थान में चीनी के लीन कारखाने भोपाल सागर (वित्तीडगढ़ ज़िला), गणगानगर व केसोरावपाटन (झूँदी) में हैं। इनसे प्रतिवर्ष 18 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। इनके अलावा तावे व एत्युमिनियम के तार, बिजली के मीटर बनाने, बनस्पति धी तैयार करने, ऊनी कपड़ा तैयार करने हड्डी धोसने, रेल के बेगन बनाने, जिक, सीसा व ताँबा तैयार करने, विसाई के धन्त्र बनाने, तेल निकालने के कारखाने भी खुल गये हैं। कोटा में तो पचासों कारखाने खुल गये हैं और वह अब "राजस्थान का कानपुर" बन गया है।

श्रीसत्तन 60 दुकाने लगती है। उस दिन उस गाव या आस पास के गावों में लोग अपनी अपनी आवश्यकता का सामान खरीद ले जाते हैं। उस हाट में कपड़ा, खाद्य पदार्थ, साग व मट्ठो, बत्तन, चुडिया आदि वस्तुएँ मिलती हैं। इन हाटों को लगाने वाले राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदार होते हैं जो राज्य का निर्धारित रकम देकर मनमाने ढग से बिराया हाट में आने वाले व्यापारियों में वसूल करते हैं।

राजस्थान में कई पश्चु मेले भरते हैं जिसमें हजारों पश्चु विकते हैं। इस कारण पश्चु पालन पर लोग बहुत ध्यान देते हैं। पश्चु खरीदने के लिये व्यापारी काफी मात्रा में आस पास के राज्यों व प्रान्तों से आते हैं।¹

1 राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 75 प्रतिशत भाग पापा जाता है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में ही पशुधन ज्यादा है। भेड़ों व बकरियों का प्रतिशत अमरा 21 व 16 है।

राजस्थान की तिम्हि पशुओं की नस्ते भारत भर में प्रसिद्ध है—

- (1) गांव मातानी साढ़ीर व मालवी
- (2) भेंस - मुरा
- (3) बैल नामोरी
- (4) ऊट जसलमरी
- (5) घोड़ा मालानी
- (6) बकरी - बाड़मेरी
- (7) भेड़ - नाली, भगरा चौकला (शेखावटी) मारवाड़ी, जसलमेरी मालपरा सोनाडी, पूर्णांग व चायडी

ऊटों के सिये राजस्थान का एक विद्यार्थ है। यहां का नदसे महत्वपूर्ण पशु ऊट है जो सवारी, समान छोन, पानी खोचन खेत जातन आदि का काम आता है। ऊट के बालों के नमदें व रस्सिया बनाई जाती है। ऊट एक घण्टे में 8 घोल तक जा सकता है। ऊट सेना में भी काम आते हैं। बीकानेर का गया रसाला भारत भर में प्रसिद्ध है।

भेड़ों की ऊन भारत भर में प्रसिद्ध है। नगनग तीन करोड़ पौँड ऊन प्रति वर्ष बेची जाती है। ऊन को प्रमुख मिडिया द्वावर पाली, बीकानेर व कैकडी है। राजस्थान में लगभग दो करोड़ पौँड ऊन निर्यात की जाती है। लगभग 15 लाख भेड़ों मास के लिये भी निर्यात की जाती है। भेड़ों व ऊन से राजस्थान लगभग 7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं।

व्यापारियों को यहा सबसे ज्यादा असुविधा नियंति या आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाली जवात है। प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग दरों से यह वसूल की जाती है। यहा के लोगों का राजस्थान से बाहर जाकर उद्योग लगाने व व्यापार करने का यही मुख्य कारण है।

राजस्थान के आर्थिक हृष्टी से सम्पन्न लोग महाराजा, सामन्त व कुछ व्यापारी हैं। ये व्यापारियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं लेकिन इनका ज्यादा धन अग्रेजी प्रान्ती के नगरों में विलास को वस्तुएँ खरीदने में ही लग जाता है। उद्योग में भी ये लोग धन लगाते हैं तो वह भी अग्रेजी प्रान्ती में ही। अत यहा के उद्योग व व्यापार पनप नहीं रहे हैं। पढ़े निखो में भी इसी कारण बेकारी फैलती जा रही है। इनका असतोष कहा ले जायेगा, यह विचारणीय है।

परिवहन

प्रत्येक राज्य की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ आवागमन के साधन अच्छे हों। इससे वहाँ के लोगों का सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है लेकिन राजस्थान में आवागमन के साधनों की बड़ी कमी है। आवागमन के मुख्य साधन हैं - रेल व मटक।

राजस्थान में दो प्रकार की— बड़ी और छोटी रेल की पटरिय है। वहै नाप की लाईनों में बी० बी० एण्ड मी० आई० और जी० आई० पी० रेलवे है जो अग्रेज मरकार की छत्रछाया में गोरे व्यापारियों द्वारा बनाई जाती है। बॉम्बे, बडोदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे की बड़ी लाईन रत्नाम में होकर दिल्ली को गई है। ग्रट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा खालियर से धीलपुर हाती हुई आगरा को गई है। जैसलमेर, वांसवाडा व ढूंगरपुर में बोई रेल मार्ग नहीं नहीं है।

बी० बी० एण्ड मी० आई० रेलवे की एक छोटी लाईन आदू के पास राजस्थान में प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बौद्धीकुई, अलवर होनी हुई दिल्ली गई है। ऐसे ही अजमेर में एक शाखा चित्तोडगढ़ होतो हुई रत्नाम (मालवा) की ओर गई है। इसी प्रकार कई छोटी लाईनें राज्यों ने अपने यहाँ खोल रखी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर रेलवे, जयपुर रेलवे, उदयपुर रेलवे और धीलपुर रेलवे हैं। राजस्थान में रेलवे की कुल लम्बाई 2995 मील हैं। जोधपुर रेलवे का एक तिहाई भाग सिध में है।

इन रेलों का यह प्रभाव पड़ा है कि पुराने जमाने में अकाल पड़ते थे, उनका भयकर स्वरूप अब देखने में नहीं आता है। अब अकाल होने पर भी दस्तुओं की कीमत बराबर रहती है और एक स्थान का माल दूसरे स्थान पर पहुँचाने में किसानों को लाभ होता है। व्यापार भी इनके कारण काफी ज्यादा होने लगा है लेकिन राजस्थान प्रात का क्षेत्रफल देखते रेल लाईनें बहुत ही कम हैं।

राजस्थान में सड़कों की भी बढ़ी कमी है। ज्यादातर सड़के रेलवे के समानान्तर बनी हैं। सड़कों में मुख्य ग्राड ट्रक रोड है जो दिल्ली से चलकर अलवर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, जोधपुर, सिरोही होती हुई अहमदाबाद तक गई है। दूसरी सड़क अजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी प्रकार नसीराबाद से देवली को पक्की सड़क गई है। आवूरोड (खराढ़ी) से आवू (माउण्ट आवू) को भी पक्की मड़क बनी है। पक्की सड़के जयपुर में 485, भरतपुर में 112, कोटा में 260, उदयपुर में 135, अलवर में 170 और जोधपुर में 300 मोल हैं। इनके सिवाय प्रत्येक रियासत में कच्चों सड़के भी हैं। मामान्यत सड़के रियासतों की राजधानियों के आम

1 राजस्थान के निर्माण के बाद सभी रेल मार्ग भारत सरकार के नियन्त्रण में चले गये हैं और इस कारण रेल मार्गों का नाम भी बदल गया है। अब जोधपुर व बीकानेर राज्यों के रेल मार्ग उत्तर रेलवे, जयपुर व उदयपुर के रेल मार्ग पश्चिमी रेलवे में विलीन हो गये हैं। उत्तर रेलवे की कुल लम्बाई 328·5 किलो मीटर है जो भूतपूर्व जोधपुर व बीकानेर राज्यों के जिलों में होकर जाती है। पश्चिमी रेलवे की लम्बाई 2 523·5 किलो मीटर हैं जो जयपुर अलवर सवाई माधोपुर अजमेर, चित्तोड़ा घास, उदयपुर, दूंगरपुर, मिरोही व भरतपुर जिलों में होकर जाती है। पश्चिमी रेलवे का 272 किलो मीटर बोडेज रेल मार्ग भरतपुर, सवाई माधोपुर व कोटा जिलों में होकर निकलता है। मध्य रेलवे की बोडेज रेल पट्टी धौलपुर व भरतपुर होकर निकलती है। इनकी लम्बाई 133·5 किलो मीटर हैं। गगानगर से हिन्दूमल कोट (पजाब) तक 27·6 किलो मीटर लम्बा रेल मार्ग जनवरी 1971 से आरम्भ हो गया है। उदयपुर से अहमदाबाद दूंगरपुर होकर 185 किलो मीटर रेल मार्ग नवम्बर 1965 से आरम्भ हो गया है। पोकरण से जैसलमेर रेल मार्ग 1967 से चल भू हो गया है।

पास वनी हुई हैं ।¹ यहा तक की एक रियासत के प्रमुख नगर भी सड़कों से सम्बन्धित नहीं हैं ।²

राजस्थान में डाकखाने और तारघर अग्रेजी सरकार द्वारा प्राय प्रत्येक महत्वपूर्ण कस्बे व शहर में खोने गये हैं । जयपुर राज्य में डाकखानों का प्रबन्ध राज्य की ओर से हैं । अग्रेजी सरकार के डाकखाने राजस्थान में कुल 586 हैं ।

भूमि और पंदावार

राजस्थान का ज्यादानर भाग रेतीला है । केवल पूर्वी व दक्षिणी भाग में काली तथा उपजाऊ भूमि है । आडावला पहाड़ के पश्चिमी भागों में, सिवाय कुछ विशेष स्थानों के, एक फसल खरीफ (सियानू) की होती है । रवी (उनालू) फसल कुए, तालाव या नहरों की विचाई से होती है । इस भाग में कम से कम पानी 75 फुट गहरा खोदने पर मिलता है । इसलिये कृषि हेतु इसकी सिचाई में लाभ नहीं हो सकता है । ज्यादातर लोग खरीफ (सियालू) फसल और वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं ।³

1. राजस्थान में ग्राम सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 3300 किलो मीटर है । अब सभी ज़िलों से उपजिले व तहसीलें सड़कों से जुड़ गई हैं तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को महां से जोड़ दिया गया है । अभी भी सड़कों की स्थिति पूर्ण सतोषजनक नहीं है । सड़कों को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है ।

2. शोध परिवहन के लिये बायु भागों का होना अत्यन्त आवश्यक है । इस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा को हवाई रोड़ों पर उपलब्ध है ।

3. राजस्थान के कुल क्षेत्र के केवल 39 प्रतिशत भाग पर लेती होती है । कुल बोये गये क्षेत्र में से केवल बीस प्रतिशत में सिचाई मुविधायें उपलब्ध हैं । आन्ध्रा शैय 80 प्रतिशत क्षेत्र केवल वर्षा पर निर्भर है । वर्षा का श्रोमत भासावाड़ ज़िले में 100 सेण्टीमीटर व जैसलमेर में केवल 10 सेण्टीमीटर है । कईवार तो कई गाँवों में एक सेण्टीमीटर भी वर्षा नहीं होती है । अच्छी लेनी के लिये सामान्यत 3 दर्या कुछ दिनों के अन्तर से होना आवश्यक होता है । लेकिन अईवार होता यह कि । या 2 दिन ही वर्षा होकर रह जाती है । कईवार फसले अच्छी होती है तो उन्हें चूड़े, पक्की या कोडे ला जाते हैं । इस प्रकार काशतकारों को कभी भी दूर्ग विश्वास नहीं होता है कि, उनकी फसल अच्छी होगी । सभी भाग का खेल होता है । वर्षा के लिये लोग कितना तरसते हैं यह निम्न दोहे से ज्ञात होता है —

सौ साढ़िया, सौ करहला, पूत निपूनी होय ।

मेहड़ता बूठा भला, जे दुखियारण होय ॥

अर्थात् जिस श्रोतर के सौ ऊंट और सौ ऊंटनिया और सभी सम्भाने भी ज्यादा वर्षा से नष्ट हो जावे तब भी वह सब प्रकार के ऊंट उठाते हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है ।

राजस्थान का पूर्वी भाग उपजाऊ है और पानी की वहुतायत होने से वहां काफी क्षेत्रों में दो फसलें होती हैं। इम भाग में पानी गहरा नहीं है। इस क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब व वान्ध अधिक हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों में खेती करने का एक रिवाज है जिसे बालर या बल्ला कहते हैं। ये लोग खेती के लिये जगल के वृक्ष व भाड़ियों को काटकर मैदान साफ करते हैं और उसकी राख का खाद बनाकर खेती करते हैं। यह रिवाज हानि-कारक होने से सिरोही, डूगरपुर आदि राज्यों में बन्द कर दिया गया है।

राजस्थान की मुख्य पैदावार गेहूं, जौ, मक्की, जवार, बाजरा, मूँग, मोठ, चना, गवार, चावल, तिल, अलमी, मरसो, कमास, जीरा, छड्डी, तम्बाकू, अफीम, गन्ना, मिर्च, मैथी और धनिया हैं।¹ सिचाई के लिहाज से जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़, अलवर, कोटा व शाहपुरा की रियासतें उन्नति पर हैं। पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी भाग में सिरोही व जोधपुर राज्य के कुछ परगनों (सिवाना, जालोर, बाली, जसवतपुरा) में कुएं बहुत हैं। पानी अरहट और ढेकली (चोच) से सीचा जाता है।

सिचाई

छपने के अकाल (सन् 1899-1900) के समय यह महसूस किया गया कि सिचाई की सुविधाये होना अत्यन्त आवश्यक है। अत विभिन्न रियासतों में आर्थिक स्थिति के अनुसार सिचाई कार्य हाथ में लिये गये। कई राज्यों में सिचाई के वान्ध बनाये गये व नहरें निकाली गयी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य बीकानेर नरेश महाराजा गणसिंह ने किया। उनके द्वारा लाई गई नहर गगानहर कहलाई। इस नहर से पूरे साल भर मिचाई होती है। जोधपुर राज्य में सरदार समद, एडवर्ड समन्द, चौपडा वाध, सादडी वाध, मेली वाध आदि तैयार किये गये। कोटा राज्य में अट्ठ से मागरोल तक चम्बल, बालीसिंध व पावंती नदियों में नहरें निकाल बर मिचाई की जाती हैं। अन्य राज्यों में बाकी मात्रा में सिचाई के कुएं खुद-बाये गये हैं। ऐसे राज्य हैं—अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करीलो, उदयपुर, बून्दी व सिरोही। ज्यादातर राज्यों ने बाष्ठकारों को कुएं बनाने

1. राजस्थान की 662 साल एकड़ कृषि घोष्य मूलि में से लगभग 375 साल एकड़ मूलि में खेती होती है। अर्थात् विद्युत 25 घण्टों में 50 प्रतिशत मूलि पर कारत बढ़ा है। लगभग 33 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में विभिन्न स्तरों से सिंच होती है। इससे घब जाधार उत्पादन 70 साल टन हो गया है।

हेतु कृण दिये गये लेकिन काश्तकारो ने इन ऋणों का कम ही लाभ उठाया है। सन् 1921 ई० तक केवल 8,31,261 बीघा में ही सिचाई होने लगी है। जागीरी क्षेत्रों में तो नाम मात्र की सिचाई होती है। जागीरदार कुएँ खोदने के लिये काश्तकारों को प्रोत्साहित हो नहीं करते हैं। काश्तकारों को भी जागीरदारों पर कम विश्वास रहता है क्योंकि पता नहीं कव वे उनसे कुएँ छुड़वा लेव। आवश्यकता इस बात की है कि नदियों पर छोटे छोटे बाध बनाये जाव ताकि उनसे सिनाई हो सके।

मालगुजारी व भूमि के अधिकार

राजस्थान में भूमि की श्रेणिया—खालसा, जागीर, जूना जागीर, ईनाम, भोम, भोमीचारा, पसायता, माफी, सामण (धर्मादा) आदि हैं।¹ खालसा के अलावा सभी प्रकार की भूमिया जागीरदारों प्रथा के अन्तर्गत मानी जा सकती है। अत मोटे रूप से भूमि को दी वगा में खालसा व जागीर के नाम से बाट सकते हैं। राज्य के सोधे अधिकार की भूमि खालसा कहलाती है और जागीर की भूमि दरवार से दी हुई उन लो॥ के अधिकार में होती है जिसके लिये वे मालगुजारी व लगान राज्यों को देते हैं। खालसा व जागीर की सब किस्म की जमीन पर स्वामित्व नरेश का होना है। केवल कब्जा और उसकी पैदावार को नेने का अधिकार जागीरदार को होता है। जागीर वश परम्परा के लिये होती है और जब उस जागीर का प्राप्त करने वाले के वश में कोई होता है तब तक जब्त नहीं होती है। किसी सगान अपराध या राजविद्रोह के अपराध में जागीरदार की जागीर जब्त की जा

1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब नवीन राजस्थान प्रान्त का निर्माण हुआ तब राजस्थान में कुल 16,573 गाव खालसा के तथा 18,075 गाव जागीरों के थे जिनका क्षेयफल कमश 44,458 व 87,485 वर्गबोल था। जागीरों के कुछ गाव पूर्णतया जागीरदारों के ही कब्जे में थे लेकिन कुछ गावों के भाग ही खालसा व जागीर में थे। जागीरों में विभिन्न तर्फों को निम्न प्रकार की सूमित्रा भी आती थीं। जागीर के अलावा इस्तमरार, चाकोटी, तनखा, सूना, मामता ईनाम लालजी खानगी, अलूना, ढीकाना, (धापपुर में) लानपान, लिंदपत जायदाद सीमा मुग्राकी टाकेदार, भोम, सलामी चाकराना पितरोटी राजबी, ताजीभी, भोगता, हजूरी, सांसण, मुत्सही, लवास पासवान, रिसाला मर्जीदान पट्टा, गुजारा उदक, जूना-जागीर, भोमीचारा, पसायता बाड़ दुम्बा, ढोली, मितक पुग्यां, धर्मादा ईजारा, इस्तमरार, बापोती व बलमोस।

सकती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार को नज़रना या उत्तराधिकारी फीस (हुकमनामा) देकर नया पट्टा कराना होता है। जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह राज्य का केवल नियत लिंगाज देता है।'

इनाम, माफी और सासण भूमि के धारणा करने वालों को कोई कर, आदि नहीं देना पड़ता है। उनको कोई लगान भी नहीं देना होता है। पसायतादार को भूमि भोगने के एवज में राज्य या गाव की जनसेवा करनी पड़ती है।

ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व रियासतों में जागीरदारों की ज्यादा ही चलती थी। नरेश उन्हें अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे और राज-काज बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्राय युद्ध के समय जागीर-

1 जागीरों में जागीरदारों के मालिकाना अधिकार नहीं होते थे। जागीरदार राज्य व काश्तकार के बीच एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकारों से लगान वसूल करता था। राज्य जागीरदार को कुछ निरिचत रकम के ऐवजाने से जागीर दे देता था लेकिन वह रकम वर्षों तक बढ़ती नहीं थी। इसके बिप्रीत जागीरदार काश्तकार से मनमाना लगान वसूल करता था तथा अपने निजी काम में लता रहता था। राज्य को दिये जाने वाले लिंगाज (रकम) से उस वसूली का कोई सम्बन्ध नहीं था। जागीरदार काश्तकारों से उपज का हिस्सा लेते थे जो आधे से आठवा हिस्से तक होता था। लेकिन जावाहातर जागीरदार आधा हिस्सा ही लेते थे। खालसा गावों में ऐसी बहुत नहीं थी। यहां सम्भाल्यत उपज के घरेवें से आठवें हिस्से तक लगान लिया जाता था। काश्तकारों से इस लगान के अलावा लागवाग भी ली जाती थी। ये लागवागें इतनी थीं कि काश्तकार देते देते तग आ जाया करता था। ये लागवागें न बहुत जागीर के गावों में बहिक खालसा के गावों नी ली जाती थी। जो लोग लगान आदि नहीं देते थे उन्हें काठ' में छाल दिया जाता था या और फूर तरीकों से परेशान किया जाता था। एक प्रकार से काश्तकारों से लाटे नहीं लिये जाकर उन्हें लूटा जाता था। काश्तकारों को जब चाह तब उनके लेतो या कुछों से बेदखल कर दिया जाता था। यही बार तो काश्तकारों को जो जागीरदार से बना कर नहीं रखते थे गाड़ तक छोड़ा पड़ता था।

इन अत्याचारों को देखकर ही नवीन राजस्थान प्रात का निर्माण हो जाने पर जागीरों का पुनर्प्रहण किया गया। लगभग 2,36,623 जागीरों का पुनर्प्रहण कर दिया गया है। इनके अलावा जमीदारियों और बीस्वेदारियों के 4,870 गाव भी पुनर्प्रहित किये गये। जमीदारियों एवं बीस्वेदारियों के ज्यादातर गाव (3,543) अलवर व भरतपुर ज़िलों में और 1,146 गाव गगनगर ज़िलों में थे।

दार ही उच्च सेनिक अधिकारी बनाये जाते थे । इस बारण जागीरदार बहुत ही शक्तिशाली बन गये । उन्होंने अपने प्रभाव से राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया । राजाओं का अब जो से मधि करने का यह भी एक बारण था । सन् 1818 ई० के बाद से जागीरदारों की महत्ता क्षीण होने लगे । सधियों के अनुसार अग्रे जी सरकार ने रियासतों की बाहरी शक्तियों से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और भीतरी उपद्रवों को शान्त करने भी सहायता देने का बचन दिया । नरेश का नि सन्तान स्वर्गवास होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बौन हो, इसका निर्णय भी अंग्रेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया । ऐसी दशा में जागीरदार का महत्व काफी कम हो गया । अस्तु इस समय जागीरदार रियासत की शोभा मात्र रह गये परन्तु व अब भी गाँवों में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं ।¹

खालसा या जागीरी भूमि में किसानों का बापो पट्ट दिये जाते हैं जिससे वे लोग जमीन पर बश परम्परागत काविज रह सकते हैं और एक बन्दोबस्त से दूसरे बन्दोबस्त तक यानि 20 वर्ष तक विना किसी खास कारण स्तीफा नहीं दे सकते हैं । जोधपुर राज्य में अकाल या किसी और बारण से बापीदार अपनी जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसका अधिकार उसपर पाच वर्ष तक बना रहता है । बाद में उसके अधिकार छीन जाते हैं और जमीन राज्य की हो जाती है । यदि बापीदार पाच वर्ष के भीतर वापस आ जाता है तो उससे उन वर्षों का बकाया लगान नहीं लिया जाता है । बापी को भूमि परदेशियों, ब्राह्मणों, राजपूतों, ब्रह्मभट्टों

1 राजस्थान में जागीरदारों व इन्तमरारों के हट जाने के बाद गाव में उनका स्थान कुछ नये पूँजीपतियों व राजन ति १ ने ले लिया है । इन्होंने गाँवों के अच्छे उपजाऊ मूलखण्डों पर येन केन प्रकरेण कद्मा कर लिया है और मन माने दण से काशकारों का शोषण करके मुनाफ़ा कमाने लगे हैं । बड़े बड़े भू-खण्ड इनके कद्मे में आ गये हैं । भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों ने इन्हें कम ही प्रभावित किया है । भूमि की अधिकतम सीमा कानून लागू होने के पहले ही इन पूँजीपतियों व राजनीतिज्ञों ने अपनी भूमि अपने ही सम्बन्धियों व नोकरों में इस प्रकार बाट दो कि यह कानून उनको प्रभावित ही नहीं कर सके । इस प्रकार साधारण कानूनकार कम ही लाभान्वित हुए हैं । साधारण किसान आर्थिक स्थिति अच्छी न होने, सिचाई की सुविधाएँ कम होने, घोसम पर उपादा निर्भर रहने तथा अगिक्षित होने से भी अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सका है ।

और चारणों को बेचने, गिरवी रखने या दे देने की मनाही है। वह किसानों को ही हस्तान्तरित कर सकता है।

इन किसानों से मालगुजारी बटाई (लटाई) या बीघोड़ी के स्वप्न में वसूली की जाती है। बटाई का अर्थ है पैदावार को बाँटकर राज्य द्वारा हिस्सा लिया जाना और बीघोड़ी में अर्थ भी बीघा जमीन पर नकद लगान नेता है। यह प्रणाली सर्वत्र ममान नहीं पाई जाती है। गाव की आर्थिक दशा देखते हुए कहीं पर गवी (उनालू) फसल में ग्राधा में नीथाई नक या पाचबें हिस्से तक लगान (मालगुजारी) ली जाती है और ग्वरीफ (सियालू) फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक लगान ली जाती है। अब अधिकतर रिवाज बीघोड़ी वसूल करने का चल पड़ा है। ज्यादातर जागीरदार लटाई ही करते हैं।

लाग वाग

राज्य सरकारों के अलावा जागीरों को आय का मूल्य स्रोत मालगुजारी होता है। मालगुजारी मनमाने ढग में काश्तकारों द्वारा उत्पन्न फसल के आठबें हिस्से से लगाकर आगे हिस्से तक ली जाती है। इसके अलावा लागवागें भी वसूल की जाती हैं। लाग वाग एक अस्थायी एवं मृश्निश्चित कर होता है जो अपनी प्रजा पर कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी लगाया गया था अथवा स्वयं प्रजा ने राज्य की आवश्यकताओं को समझकर देना ग्वीकार किया था। इनमें से कुछ को प्रजा ने अपने गजाया जागीरदार की इजजत बढ़ाने या शिष्टाचार के नाते अपनी मरजी से देना आरम्भ कर दिया था लेकिन इनको राजाओं व जागीरदारों ने म्याई स्वप्न देकर वसूल करना चालू कर दिया। लाग वागें मभी गावों में एक ममान नहीं होती है। किसी गाव में काई लाग होता है तो दूसरे गाव में और कोई लाग होती है। इनकी दर भी भिन्न भिन्न होती है। ये दर भी घटती बढ़ती रहती है। ये लाग वाग प्राचीन बाल में उत्पादित मन्त्र के स्वप्न में वसूल की जाती थी लेकिन अब इनकी ग्रन्थ निश्चित कर दी गई है।¹

इन लाग वागों का लगाव जाने के अनेक तरीके थे। एक मनारजव उदाहरण है कि एक जागीरदार अपनी घोड़ी को गाव के चारों ओर दोड़ा रहा था। अक्समात् एक चट्ठान पर बने हुए चबूतरे स द्रव्यकर खाकर घोड़ी

1. स्वतप्ता पूर्वकाल में किसान आनंदोन्मोहों से तग आकर विभिन्न विद्यासतों ने लाग वागें बनव कर दी। नये राजस्व कालून के अत्यंत अब सागवागें लेना पूर्ण-स्थायी बनित है।

गिर पड़ी और ठाकुर साहब भी गिर गये । घोड़ी चट्टान पर गिरने के कारण वही मर गयी । इस दुर्घटना का समाचार सुनकर गाव के बहुत से निवासी एकत्रित हो गये । ठाकुर साहब के भी पीड़ा हो रही थी । सभलने पर भी बार-बार उनके मुँह से कहराने का शब्द निकल ही जाता था । लोगों ने समझा, घोड़ी के मरने का ठाकुर साहब को बहुत शोर हुआ है, अत समझाना आरम्भ किया । परन्तु घोड़ी का शोक हो तब तो समझाने से शांति हो । यहाँ तो बात पीड़ा की थी । अन्त में धनाड्य सेठा ने कहा कि आप एक घोड़ी का इतना शोक क्यों करते हैं, ऐसो घोड़ी जितने में मिले आज ही दूसरी खरीद लीजिए । ठाकुर ने कहा इतने रुपये कहा है? लोगों ने “राजभक्ति” के जोश में आकर कह दिया हम देंगे । उसी दिन 500/- रुपये में घोड़ी खरीदी गयी और गाव के लोगों ने इस आशा पर 500/- रुपये एकत्रित कर दिये कि जमीन का लगान लेते समय ठाकुर उसके रुपये भर देगा । परन्तु लगान के समय ठाकुर ने जवाब दिया कि तुम्हारे गाँव के चारों ओर दोड़त हुए मेरी घोड़ी मरी । ऐसी दशा में उसका मूल्य देना तुम्हारा धर्तव्य था ।’ साल भर व्यतीत हाते ही ठाकुर के वर्मचारिया ने “धुड़ पड़ी” लाग के 500/- रुपये माग । लाग शिरायत लार ठाकुर के पास पहुँचे । जागीरदार न कहा वह घोड़ी हर साल एक बच्चा 500/- रुपये का देती थी इसलिए तुम्हें ये रुपये दने ही पड़े । यदि न दाग तो तुम्हार लिए काठ तैयार है । अन्त में यह 500/- रुपये वार्षिक की लाग लग ही गयी और वह आज तक बसूल होती है ।

कुछ अन्य लाग वाग इस प्रकार है— अखराई— राजकीय कोष में रकम जमा कराने पर रसीद दी जाती है । उस रकम पर एक रापा पीछे एक पैसा लिया जाता है ।

बासा— शादी या गमी पर ठिकाने का रकम दनी पड़ती है । यो जागीरदार के यहाँ कम से कम पच्चीस पतल खाना भेजना पड़ता है ।

बामला री ऊन— गडरिया से कम्बल बनाने की लाग ली जाती है या कम्बल ही ली जाती है ।

कुता रो नजरानो— फसल का कुता करते समय प्रति आमामी एक रुपया जागीरदार द्वारा लिया जाता है ।

खरगढ़ी— गढ़ के लिये गधे की लाग । गढ़ को मरम्मत आदि के लिए गधे पर ईंट, चूना, मिट्टी आदि लाई जाती है । पहले गधे बेगार में मगाये जाते थे लेकिन अब रकम तय कर दी गयी है ।

खरदा— श्रमजीवी जातिया—भावी, मोची छोपा कुम्हार आदि पर यह लाग लगती है। इसकी वसूली राज्य के लिये चौधरी करते हैं।

खीचडी— राज्य की सेना जब किसी गाव में पड़ाव डालती थी तब गाव बालों को सेना के नाश्ते के लिए बाजगी की खीचडी तैयार करनी पड़ती थी। अब खीचडी के नाम पर रकम ली जाती है।

घर गिनती— राज्य प्रत्येक घर के पीछे एक रूपया नहा है।

चराई— बीड़, चारागाह या पड़त भूमि में धाम कट जाने पर गाव के पशुओं को चराने की दूट दे दी जाती है। इस चराई के लिए जानवर के हिसाब से चार आने से तीन रूपया तक वसूल किया जाता है। यह लाग पूँछडी लाग भी कहलाती है।

धारणीपल्ला— तेली से प्रत्येक धारणी पर एक पल्ला तेल लिया जाता है। कहीं कहीं इसकी भी रकम तप बढ़ दी गयी है।

चापा रो परवानो— जगल में गाय, भेम आदि चराने को ले जाने वाले व्यक्ति को राज्य से परवाना लेना पड़ता है। इसकी रकम देनी पड़ती है।

चौधर लाग— काश्तकारा से चिंडोडी या हासल वसूल करने के लिए एक चौधरी नियुक्त किया जाता है। इसके लिए काश्तकारों से उपज का चालीसवा हिस्सा लिया जाता है।

जाजम रा रुपया— भूमि के प्रत्येक विक्रय पर यह रकम वसूल की जाती है।

जावणी रो धीरत— वर्षा कृतु में जागीरदार काश्तकारों से दूध देने वाली गायों और भेमों का एक दिन का दूध दूहावर धी लता है।

भाल लाग— सरकारी कर्मचारियों के ऊंगों व धोडों के लिए भाल लो जाती है। है वह भाल लाग कहलाती है। इसकी भी रकम वसूल की जाती है।

डामा— एक गाज्य में दूसरे गाज्य में मान लाने लेजाने पर यह लाग ली जाती है।

डोगी पूजन— पटवारी प्रत्येक आँमामी में कुते वा एक रूपया वसूल परता है। कुते के लिए बनायी गयी होगी वीरकम 'डोगी मर्च' अनुग बगूत भी जानी है।

थाणायत री लाग— किसी गाव में थाणादार नियुक्त किया जाता है तो उसके नाम से वसूल की जाने वाली लाग ।

नजराना— होली, दशहरा, दीपवली आदि त्योहारों पर जागीरदार या महाराजा को नजर करने को रकम वसूल की जाती है ।

नया बारना रो परवानो— पट्टे में लिखे दरवाजा वे अलावा दरवाजे निकालवाने पर भकान मालिक को परवाना लेना पड़ता है । इसकी भी रकम देनी पड़ती है ।

नाता रो परवानो— जिन जातियों की स्त्रिया नाता (पुनविवाह) करती हैं उन्ह राज्य द्वारा परवाना दिया जाता है । इसकी लाग "नाता सुकराना" के नाम से सरकार में जमा होती है ।

न्यात चबरी— लड़की की शादी पर यह लाग लगती है ।

नूता— जागीरदार अपन परिवार में मृत्यु या विवाह हान पर गाव वालों को निमन्त्रण भजता है उसकी रकम नूता के नाम से बमूल करता है ।

पास रो नजरानो— जागीरदार के परिवार म मृत्यु हो जान पर गाव वालों से सामूहिक रूप से रकम वसूल की जाती है ताकि उस रकम से नयी पार्गे बध सके ।

पावगा पावरा— जागीरदार अपने मेहमाना का खचा चलाने के लिए गाव वालों से रकम लेता है ।

पीलागी लाग— सरकारी कर्मचारियों के मरानो के छप्पर पर घास आदि ढानी पड़ती है । इसकी अब रकम ली जाती है ।

पेटिया— यदि रामदार कूता करने जाता है तो उसकी लाग देनी पड़ती है जो पेटिया कहलाता है ।

बन्दोले री लाग— जागीरदार के घर में विवाह होन पर गाव वालों से खचा बमूल होता है ।

बीन्द रो पगेलागनो— लड़के के विवाह पर यह लाग लगती है ।

भरोती— लागो की कुल रकम खजाने में जमा होती है तब रकम जमा कराने वाला रसीद काटता है । इस रसीद काटने वाले को भी रकम देनी पड़ती है जो राज्य कोष में जमा होती है । इसे भरोती लाग कहते हैं ।

मलवा— सभी प्रकार के गवाई खर्च के लिए मालगुजारी की लगभग ५ प्रतिशत रकम काश्तकारों से वसूल की जाती है। यह रकम सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों या ठिकाने के कर्मचारियों के दौरे के समय खर्च की जाती है। यो यह रकम धार्मिक कार्यों, नाड़ी गुदवाई आदि पर भी खर्च की जाती है।

भापा— एक गाव से दूसरे गाव में माल लाने व बेजाने पर लगता है। जागीरदार इसका कुछ हिस्सा राज्य को भी देता है। व्यापार पर ली जाने वाली कुछ रकम मापा आढ़त कहलाती है।

रमाल— जागीरदार काश्तकारा से गुड़, काकड़ी, मिर्च गन्ने का रस, बादा आदि मगवाते हैं।

लिखाई री लाग— काश्तकारों से भूमि अधिकार आदि लिखवान की लाग ली जाती है।

सिंगोटी— यह मवेशा के विक्रय पर लो जाती है।

हजूर फरमाईम— महाराजा या जागीरदार आवश्यकतानुसार झन, मूँज, पाला चारा आदि गाव से मगा नना है तब गाव वालों का लाग के रूप से देना पड़ता है।

हरिया रो क्यारा— इस लाग के अन्तर्गत जागीरदार खेत में सड़ी कसल से अपने खेत के लिए या अपने जानवरों के लिए गेहूँ जौ चना, रिजका आदि के पुले मगवाते हैं।

हल लाग— जो काश्तकार खेती करता है उसस प्रति घर एक हल वे हिसात्र से लाग वसूल वी जाती है।

इस प्रकार लागवागों की इननी अधिकता है कि काश्तकार इन्हे देते देने तग आ जाता है। जागीरदार वा ता गाव के भन के लिये कुछ भी खर्च नहीं बरना पड़ता है। यहा तक की कही कही काश्तकार का जागीरदार वे दुर्घटनों के लिये भी लाग देनी पड़ती है यथा पातर लाग,— वश्याद्या वे यर्चे के लिए भट्टी लाग— शराब वी भट्टिया निकलवाने के लिए, आदि आदि। ऐसी परिस्थितियों में काश्तकारों की आर्थिक स्थिति खराब होती है लेकिन जागीरदारों का पतन होना भी यस्याम्भावी दिखता है। लाग वागों वी मरणा मैकड़ा पर पहुँच रहा है। काश्तकार इनवा भुगतान बरते बरते तग आ गये हैं। वे बजे में दूरते जा रहे हैं। निर्धन यामीगा खेंगे और रव तर इन लाग वागा रा भार उठाते रहेगे? यह गत्य मर-गारों वो विचार बरना चाहिये।

अकाल

राजस्थान में अकाल ज्यादा ही पड़ते हैं। इससे यहाँ के लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा काफी गिरी हुई हैं। अकाल सामान्यत वर्षा कम होने या निश्चित समय पर न होने के कारण पड़ते हैं। इससे धन, पशुचारा, पानी आदि की कमी आ जाती है। अकाल अपनी विशालता के अनुसार महाभयकर, भयकर, सख्त व कुर्रा बहलाता है। धन ज्यादा महगा हो जाने पर कुर्रा अकाल कहलाता है। यो अकाल चार प्रकार के होते हैं— अन्नकाल, जलकाल तृणकाल और त्रिकाल। त्रिकाल में अन्न, जल व तृण (पशुचारा) तीनों की कमी रहती है। त्रिकाल भी दो प्रकार के होते हैं— भैरव और गोमार काल।

राजस्थान में रामायण काल से ही अकाल पड़ते आये हैं। इसका मुख्य कारण इस प्रात का वर्षा वरसाने वाली हवाओं के क्षेत्र में न होना है। प्राचीन शिलालेखों, ग्रथों आदि से पता चलता है कि यहा सन् 1250, 1258, 1294, 1320 व 1335 में भयकर अकाल पड़े थे जिनके बारण हजारों मनुष्य व पशु मर गये। हजारों लोगों ने अपने बच्चों को बेच दिया।

पिछली चार शताब्दियों में जो अकाल पड़े हैं उनका व्यौरा इस प्रकार है—

महाभयकर अकाल— सन् 1555 1595 1598, 1613, 1660, 1661, 1732, 1783, 1892, 1836, 1868 1899 1939।

भयकर अकाल— सन् 1742 1746 1747 1755, 1770 1788, 1793, 1796, 1819, 1833, 1838, 1848, 1868, 1869, 1877 1891।

सख्त अकाल— सन् 1799, 1850 1853, 1860, 1890, 1915, 1918, 1921, 1925।

कुर्रा अकाल— सन् 1792, 1804, 1888, 1895, 1898, 1901, 1905, 1911, 1928, 1936, 1938।¹

1. पिछले 30 वर्षों में जो अकाल पड़े उनका व्यौरा इस प्रकार है—

महा भयकर — 1968, 1969, 1973

भयकर — 1950 1951, 1952, 1972

सख्त — 1961, 1963, 1964

कुर्रा — 1948, 1949, 1953, 1957, 1962, 1966 ?

अकाली मे वहुधा लोग मवेशी लेकर मालवा, सिन्ध¹ व आगरा की ओर चले जाते हैं और वर्षा होने पर वापस लौट आते हैं। रेल और सड़कों के बनने से और खान-पान की वस्तुओं का भाव सब जगह एकसा रहने से अकाल की भीषणता का थब अनुभव नहीं होता है। अकाल के समय राज्यों मे अकाल पीडितों की सहायता हेतु सड़कों व बन्धे बनाना, तलाव खुदवाना आदि के राहत कार्य खुल जाते हैं।² अन्धक्षेत्र या गरीब खाने भी धनी लोग अकाल पीडितों के लिये सोल देते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों मे यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड़ जाता है। एक दोहा प्रचलित है, जिसमे पश्चिमी राजस्थान मे अकाल कहा कहा अधिवतर पड़ा करता है, उसका वर्णन किया गया है—

पग पुङ्गल धड़ कोटडे, बाहु बायडमेर ।

जोयो नादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥

अर्थात् अकाल वहता है कि मेरे पेर पुङ्गल (बीकानेर) मे और धड़ (बीच का हिस्मा) कोटडा (मारवाड़) मे और भुजाएँ बाडमेर (मालानी) मे स्थायी रूप से है और कभी कभी तलाश करने पर जोधपुर मे भी मिल जाता हूँ परन्तु जैमलमेर मे मेरा खास ठिकाना है।

I अब तो सिन्ध पाकिस्तान का भाग बन गया है अत उधर पशुओं का जाना बन्द हो गया है।

2 राजस्थान मे अकाल के नाम पर विद्युत 22 बयों मे लगभग 150 करोड रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सन् 1952-53 मे 102 72 लाख रुपये खर्च किये गये और सन् 1970-71 मे 4211 लाख रुपये खर्च किये गये, विद्युत 6 बयों के खर्च के आकड़े इस प्रकार है—

1966-67 मे 1141 98 लाख रुपये

1968-69 मे 1950 00 लाख रुपये

1969-70 मे 1000 00 लाख रुपये

1970 71 मे 4211 00 लाख रुपये

1971-72 मे 893 00 लाख रुपये

सन् 1972-73 मे लगभग 21 000 गाव अकाल प्रस्त है। मार्च 1973 तक लगभग 1,000 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा लगभग इतने ही रुपये प्राप्ति 4 महिनों (अप्रैल से जुलाई) मे खर्च रुपये जायेंगे।

बेहडा— इसकी मीजी बादाम की तरह खाई जाती है। बाहर का छिलवा “त्रिफला” अर्थात् हड, बेहडा और पांचला के नाम से संबंधो दबाओ में वाम आता है। फल चैत्र में लगते हैं।

महुआ— सूखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बनाकर या मीठा खाया जाता है। फल कच्चा और पकवा दोनों तरह से खाया जाता है। इसके फूलों से शराब भी निकलती है। दवा के काम में यह विलायती शराबों की तरह पाचन शक्ति कम न भरके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती है। बीजों में 30 प्रतिशत तेल निकलता है। खली में खास तरह वा विष रद्दता है और इसका प्रयोग वतोर एमेटीक यानि कं लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। फल-फुल चैत्र में लगते हैं।

बबूल— यह सब स्थानों में मिलता है। इसके फलिया बहुत हाती है। उनको उवाल वर तरकारी बनाई जाती है और अकाल के समय इसके पत्ते व फलियाँ भेड़ वकरी और ऊन्टों का चाग वा काम दती हैं। बबूल के बीज गरोब लोग मामूली अकाल में भी काम में लाते हैं। उनको भून कर खाते हैं या पीम कर आटे में मिला वर रोटी बनाते हैं। बीज स्वादिष्ट होते हैं।

नीम — इसकी पक्की हुई निम्बाली खाई जाती है। यहां वे जगली फलों में यह स्वादिष्ट समझी जाती है और वह खून साफ़ करने वाली भी है। यह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा काम आता है। इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयागी है और इसको बगीचों में डाना जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है।

इमली— इसकी खेती भी होती है और जगल में भी पाई जाती है। पक्के फल खाये जाते हैं और बीजों को भून कर खाते हैं। छाल पीम कर आटे में मिला वर खाई जाती है। इससे पेट फूल जान का भय रहता है।

फोग — यह सरंग ल मिलता है। फल और फूल तरकारी के काम में आते हैं। इनको पीसकर रोटी भी बनाई जाती है।

करोंदा— फल भादवा में पड़ते हैं। इनकी तरकारी बनती है।

छोटीकाटी—फलों को कूट कर तिनक निकाल दिये जाते हैं। पीछे पीस कर आटे में मिला वर रोटी बनाते हैं। कच्चे फल व डालियाँ उवाल कर तरकारी के काम में लाते हैं। वर्षा में इसमें बेल पौदा होती है।

तस्तुम्बा— इसके फल भादो मे पकते हैं और बड़े कडवे हीते हैं। यह ग्रीष्मियो मे भी काम आते हैं। बीज भीठे होते हैं और भोजन के काम आते हैं विशेषकर रेगिस्तान मे पीस कर रोटी बनाई जाती है। वर्षा के बाद पीधा जल जाता है और जड़ रह जाती है। इसका तेल भी निकाला जाता है।

कॉवच— इसके बीज भूने जाते हैं और छिलका उतार कर गूदा खाया जाता है। यह पुष्टिकारक है। आडावला पर्वत की तर धाटिया मे यह बारहो मास रहती है। वर्षा के मिवाय और वक्त मे पत्ते नहीं रहते हैं।

मुसली सफेद— यह जगल मे प्याज के जैसे पत्तो की पौदा होती है। जड़ को पीस कर आटे की तरह खाई जाती है। दवा के काम मे भी आती है।

गवारफली— यह बोई भी जाती है और वैसे जगल मे भी उगती है। कच्ची फलियें उवालने पर साग (तरकारी) के काम मे आती हैं। बीज पीसे जाकर आटे मे मिलाये जाते हैं। फलिय कार्तिक मे पकती है। गवार गोद बनाने के काम भी आता है।

भूरट— यह रेतीले क्षेत्रो की खास घास है। खरोक वी फसल के साथ अनाज की तरह इसको डट्टा किया जाता है। अकाल मे गरीब लोगो का सहाग है, बीज मनुष्या का भोजन ह और भूसा पशुओ का। मामूली अनाज की तरह पीस कर भी यह काम मे लाया जाता है।

घीयामाटा— यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। आडावला पहाड़ और अन्य स्थानो मे यह काफी मात्रा मे पाया जाता है। इसे भी अकाल के समय गरीब लोग खाते हैं।

मुलतानी मिट्टी— यह (मेट) रेतीले भाग का खनिज पदार्थ है। प्राय मिथिया गर्भावस्था मे इस खाती है।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा

आवहया की हृष्टि से राजस्थान भारत के स्वास्थ्यवर्धक भागों में माना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ठण्ड की मौसम में अधिक ठण्ड और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और तब नू (गर्म हवा) भी बहुत चला करती है। इस भाग में रेतीले मैदान और कम वर्षा होने के कारण यहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहाड़ी भागों में पानी भारी होने से वहां के लोग इतने स्वस्थ नहीं होते हैं जितने कि मैदान में बसने वाले होते हैं। इस प्रदेश के लोगों के लिये सबमें ज्यादा दुसरमयी वीमारीयाँ हैं—ताव (मलेरिया) शीतला व बाला (नार्स)। ताव की बीमारी में हजारों लोग फसल की कटाई के समय सितम्बर व अक्टूबर माह में खाट पफड़ लेते हैं और कई बार तो गाव में फसल काटने वाला ही नहीं मिलता है। शीतला माला की बीमारी मार्च व अप्रैल में ज्यादा ही फैलती है। यह बीमारी बच्चों को ज्यादा होता है। इस बीमारी से शरीर पर दाने निकल आते हैं जो बच्चों को कुरुप बना देते हैं। कई बच्चों को अन्धा या पागला बना देती है। राजस्थान में शुद्ध व मीठे पानी की बड़ी कमी है। ज्यादातर गावों में पानी खारा होता है इस कारण लोग तालाबों व नाड़ों का पानी पीते हैं जिसमें जानवर भी बैठते हैं और गन्दगी कर देते हैं। आदमों भी गन्दे पेर लेकर पानी में चढ़ने जाते हैं। इन कारणों से लोगों के नीचले भागों में, मुख्यकर पेरों में बाला (नार्स) निकल

1 राजस्थान में स्वच्छ व मीठा पानी भाग्यशाली प्रान्तों को ही मिलता है। ऐसे भाग्यशाली स्थानों के गाँव कठिनाई से 10 प्रतिशत होते। सामान्यतः स्थानों को 4 से 10 किमी मीटर दूर से पानी लाना बड़ता है। पश्चिमी जिन्हों के ज्यादातर प्रान्तों गर्मी की मौसम में कैवल पीने का पानी सरकारी बाहनों से पी लेते हैं लेकिन नहाने धीने के लिये तो उन्हें खर्च पर ही निभंर रहना पड़ता है। वर्षा अंकुम में तालाबों व कुञ्जों में जो कुछ पानी इस्टुआ हो जाता है उसको ही बाद के माहों में पीने आदि के काम में लिया जाता है। यह पानी मिट्टि मिथित होता है। इस प्रदार इन संत्र के प्रान्तों का जीवन मर्त्यन्त अप्पमय होता है।

आता है। इससे लोगों को असह्य पीड़ा होती है और वे उठ बैठ तक नहीं सकते हैं, काम करना तो दूर रहा। गर्भी के दिनों में रात्रि में प्रकाश न होने के कारण काफी लोगों को विच्छु डक मार देते हैं। इससे काफी लोग परेशान रहते हैं। वह मर भी जाती है। गावों में कस्वों में सफाई की व्यवस्था कम रहती है। अत लोग गन्दगी व वदवू से तग रहते हैं। किसी भी राज्य के गाव या बडे कस्वों में नगरपालिका की कौन वह साधारण प्रकाश और सफाई का प्रबन्ध तथा सड़क और औपधालय की व्यवस्था तक नहीं है। यथा समय औपचिन्मिलने से हजारों लोग प्रति वर्ष अकाल मृत्यु से मर जाते हैं क्योंकि अच्छे अस्पताल केवल बड़े नगरों या राजधानी में ही होते हैं और गाव वालों को नीम हकीम, लाल बुभकड़ के बहने पर या बुखार आदि में भी कुनैन के बदले जाडे भपट्टे (मन तब, डोरेडाडे आदि) पर विश्वास करना पड़ता है। मृत्यु या महामारी आने पर या तो वे अपने भाग्य की कोसते हैं अथवा उस विपत्ति को ईश्वर की भेजी हुई समझ कर सहन करते हैं।¹ नीचे वे आकड़े आकड़ों से उम्मत कह लाने वाले राज्यों के मरकारी अस्पतालों की स्थिति ज्ञात होगी।

	जोधपुर	वीकानेर	अलवर
अस्पतालों की संख्या	27	14	10
किंतने मनुष्य पर एक	75,000	47,000	70,000
किंतने बग मील पर एक	1,400	1,665	400
किंतने गाँवों पर एक	81	154	107

1. जिस ग्रामों के लोगों को स्वच्छ पेय जल नहीं मिलता हो, निःन्तर अकाल पड़ते रहने के कारण खाने का पूरा धान नहीं मिले वहां के लोगों का स्वस्थ रहना कठिन है। जहां हवा में मिट्टी बरायर उड़ती रहती है वहां के लोगों के पेट में कितनी मिट्टी पहुँचती होगी यह अनुमान लगाना भी आसान नहीं है। ऐसे लोगों को ईश्वर ही स्वस्थ रखता है। उदाहरणात् नागोर जिले के बकराना पचासपत्त समिनि के 46 गाँवों में पानी इतना अशुद्ध है कि वहां के लोगों को पानी पीने से शरीर दृढ़ हा आता है। इस कारण यह 200 बग मील क्षेत्र 'बांका पहां' कहलाता है। वहां गाँवों में पानी इतना गम्दा होता है कि लोगों को नाल (गाला) निकल जाता है और दूम कारण उन्हें महिनों तक विहृतर में रहना पड़ता है। राज्य सरकार ने शुद्ध प्रेष उपलब्ध करने के लिये एक पोजना 70 करोड़ रुपये की बाई है लेकिन ५५ ५५ लाख रुपया वहां तक सफल होगी, पह मन्दहास्पद है। आगामी 10 वर्षों में भी यह ग्राम पूरा हो जाए तो जनता अपने को तौमानायशातो समझेगी।

यो प्रत्येक गाव व नगर मे हकीम, वैद्य, जरौं आदि रहते हैं। इनमे कुछ पढे लिखे व कुशल चिकित्सक होते हैं लेकिन ज्यादातर अनपढ व नीम हकीम खतरे जान होते हैं। स्थियो के जापे अनपढ व अप्रशिक्षित दाईया कराती है जिनके कारण काफी जच्चाएं एवं शिशु अकाल मृत्यु के ग्राम बन जाते हैं। महिलाओं की चिकित्सा के लिये महिला डाक्टर नाम मात्र की है। राजस्थानी की महिला डाक्टर वेवल एक (जोधपुर की डा पार्वती गहलोत) है जिसने सन् 1928 मे डाक्टरी परीक्षा पास की थी। स्पष्ट है कि राजस्थान मे महिलाओं की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है। राज्यो को जनता के स्वास्थ्य व चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

वेगार

इस प्रात की राजनीतिक दशा का तो वहना ही क्या हैं। यहाँ की प्रजा वृटिश भारत की प्रजा से बहुत पिछड़ी हुई हैं। भीस्ता, दब्बुपन, अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता और अविद्या आदि अनेक कमिया है। फिर भी यहा बेगूँ, विजोलिया, और नीमूचाणा जैसे भोपण खून रजित काढ किये जाये तो आश्चर्य ही क्या हैं? जहा अग्रेजी भारत मे वैठ वेगार जैसी प्रथा को हटा दिया गया है वहा राजस्थान मे इसका चलन अभी तक वैसा ही बना हुआ है, अर्थात् यहाँ की सीधी और निधन प्रजा मे भाँवी, भील, सरगरा चमार आदि छोटी जातियो से पारिथमिक दिये विना ही काम कराया जाता है। ऐसे वेगारियो की सख्त्या 18 03 626 हैं अर्थात् कुल जन सख्त्या मे 18 प्रतिशत से अधिक वेगारी है। जागीरदार लोग नाई, कुम्हार, खाती, जाट, माली, नुजर आदि जातियो के स्त्री पुरुषो मे विना कुछ एवजाना दिये, काम करवाते हैं और वे इसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इस कलकित्र प्रथा के अनुसार कोई भी राज-कर्मचारी या जागीरदार विना कुछ दिये या नगण्य मजदूरी पर कुछ जातियो से हर समय और कुछ विशेष अवसरो पर मजदूरी करा सकता है।

प्रत्येक गाव मे प्रति दिन कम से कम दो चार वेगार रहती ही हैं। पटवारी, हवलदार आदि यदि एक से दूसरे गाव जावे तो उसका वस्ता एक वेगारी ही ले जायेगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे कामो के लिए भी वे बेचारे पकडे जाते हैं। इन लोगो मे किस प्रकार वेगार ली जाती है इसकी कुछ बानगी यहाँ दी जाती है—

भाँवी (ब्लाईं-मेघवाल) जाति के स्त्री, पुरुष तथा बच्चों से दाना दलाना, धास कटवाना, चमड़ो के साजों की मरम्मत कराना और जनाने, मरदाने मकानों को गोवर से लोपने - पोतने का काम बिना मूल्य बराया जाता है।

सरगरा जाति के लोग कासीदी करते हैं। विवाह आदि में बाँकिये (तूरी) और थाली भी बजाते हैं और इस पर भी तुर्रा यह है कि यदि उपस्थित न हो सके तो उन्हे बदले में दूसरा एवजी में रखना पड़ता है।

नाईयों से जागीरदार लोग बिना मजदूरी दिये हो अपने घरों में रोज दिए जलवाते, भोजन तैयार कराते, कपड़े धुलवाते, जूठे बत्तेन मैंजवाते, रात में पैर दबवाते और जलसों में बेश्याओं और भाँडों की चाकरी में मशाल (चिराग) लिये खड़े रखवाते हैं।

इसी प्रकार कुम्हारों से धड़े मँगवा कर पानी भरवाया जाता है और कृपक जैसे जाट, माली, सीरवी आदि से बैलगाड़ी, हल, दूध, दही, धास आदि बस्तुएं अफमरों का दौरे के समय और जागीरदार की आवश्यकता-नुसार ली जाती है। इनकी मिथ्यों को भी बेगार नहीं छोड़ा जाता है। उनसे विवाह, गोठ, गुगरी आदि के समय मनो आटा पिमवाया जाता है। नोहारों से और नहीं तो केंदिया की बेडियाँ बनवाना, पहनाना और निकालने का काम लिया जाता है। भीणों तथा गुजरों से पहरा दिलवाया जाता है। अनपढ़ ब्राह्मणों से अहलकारों वे निए भोजन बनवाया जाता है और शिक्षिकों से पचांग मुनवाने और गाँति-पाठ कराने का काम लिया जाता है। यहा तक कि महाजन (चैश्य) नोग भी इस अभानुपिक बेगार से मुक्त नहीं है। यहा अनेक जातियाँ विशेष प्रकार के जाली उजालदान, झरोखे, टोड़े आदि रख कर मकान नहीं बना सकते जिससे उसमें प्रवाश आ सके। वे विशेष प्रकार की मवारी भी नहीं रख सकते हैं। यदि किसी जाति में कोई सम्पत्तिशाली हो गया, और वह घोड़ा गाड़ी (यग्धी) आदि मवारी रखना चाहे तो वह नहीं रख सकता है। इनमें से बहुतेरी जातियाँ विशेष प्रवार के आभूषण और कपड़े नहीं पहन सकती हैं। विवाह गर्भी आदि वे समय विशेष प्रवार भोजन तर नहीं बना सकती हैं। विवाह के समय प्रत्येक जाति वा बीद (दूलहा) "बीद राजा" कहताता है, परन्तु इन भाग्यहीन जातियों में जन्म लेने वे कारण उस समय "राजा" कहनाये जान्मर भी वे घोड़े पर मवार नहीं हो सकते हैं। भाँडी, मरगरे तथा मेहन्तर आदि निम्न जातियों वा रट्टाहा हा क्षण, ये तो पशु योनि से भो गया भीता जीवन

बीताते हैं। इनको चाँदी के आभूपण तक पहनने नहीं दिया जाता है पर कई राज्यों में अब जागृति होने लगी है और लोग अपने अधिकार समझ लगे हैं। अदालतों से भी इनके पक्ष में निर्णय हुए हैं, जैसे कि जो व्रत राज्य के भाँवियों को सोने की मुरकियाँ, कुण्डल कानों में और गले में पूर्ण (देव मूर्ति) आदि गहना पहनने का अधिकार है। इस प्रकार निर्णय चीजों कोटि जोधपुर का स० 1979 में हुआ है। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग विरले ही कर पाते हैं। बेगार के पक्षपातियों का यह तर्क है कि बेगार बहुत सी मुविधा हैं और उसके उठ जाने से राजकर्मचारियों को मजदूरी सवारी अथवा सामान समय पर न मिल सकेगा। यह तर्क पोचा है। जो पूरी मजदूरी दी जाये तो प्रत्येक वस्तु गरीबों तक को मिल सकती है राज्य की तो कौन कहे? वरना पूरा मूल्य देने में सब तरह का मुभीता रहता और गरीबों को भी वृथा तग नहों होना पड़ता है। कई राज्यों से बेगार उठा दी गई हैं और कहीं असल मजदूरी से पौनी, आधी, वही नाम में की स्थिर कर दी गई है परन्तु यह भी प्राय गरीब बेगारियों के पल न पकड़कर स्वार्प्य अहलकारों को जेब में ही चला जाता है। इससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी। बहुधा किगया किये हुए सवारियों को उत्तर कर बेगारियों का बैल, ऊँठ या घोड़े के सहित ले जाया जाता है। भोज आदि दिये विना रात-दिन उनके काम लिया जाता है और चलते समय लाल-लाल आँखे दिखा कर टरका दिया जाता है। भारत सरकार का ध्यान इस और कौन दिलावे। लाट साहूव वी स्पेशल ट्रेन किसी राज्य में आया है या किसी राज्य में होकर गुजरती है, तब उन्हें अपनी मुधरी सेज पर फेहदे हुए क्या पता चल सकता है कि पीप की अर्ध रात्रि का ठण्ड अथवा ज्येष्ठ की कडाके की धूप में रेल की पटरी के दोनों ओर तार के प्रत्येक खम्भे के पास कोई प्राणी उनकी रक्षा के लिये खड़ा है और उसे इस का कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा।

होली, दोबाली, वर्ष-गाँठ आदि के दिन मब्र महाजन पनों को इवां होकर मजरे के लिए राज्य या जागोर की कचहरी में जाना पड़ता है और पचायत वी और मे कुछ भट देनी पड़ती है। दूधरी कौमों को भी ऐसा करना पड़ता है। जातीरदार या अफमर आने वालों को अमल की मनवा किया करते हैं।

दास प्रथा

वेगार और लाग-वाग की तरह कलकित दाम-प्रथा भी राजस्थान में प्रचलित है। यद्यपि ससार भर से गुलामी उठ गई है, किन्तु यहा इसका अभी भी बोलबाला है। यहा वीसवीं सदी में भी मनुष्यों का एक समुदाय (1,61,735 स्त्री, पुरुष) गुलाम बना कर रखा गया है। इस समुदाय के अनेक जातिवाचक नाम हैं—दरोगा, चाकर, हजूरो, रावणा, खवास, चेला, गोला, ढीकड़िया, खानजादा आदि। इनकी बहिन वेटिया आदि भी जागीरदार की ओर से दहेज में दी जाती है। यही नहीं वे आपस में क्रय-विक्रय भी कर दिये जाते हैं। इनका नाममात्र के लिए विवाह कर दिया जाता है, परन्तु वे पति-पत्नि की भाँति नहीं रह सकते हैं। उन्हें बहुत थोड़ा और साधारण अन्न-वस्त्र दिया जाता है। उनकी स्त्रियों अथवा पुरुषों का कोई आदर नहीं किया जाता है। उन्हें उच्छिष्ट भोजन करना पड़ता है और पायाने के बर्तन उठाना, कपड़े धोना तथा बर्तन माँझना आदि सभी कार्य करने पड़ते हैं। उनको अपने स्वामियों की सेवा में दिन-रात उपस्थित रहना पड़ता है। थोड़ी सी त्रुटि पर गाली गलीज और मार-पीट सहन करना उनके लिये साधारण सी बात है। जागीरों और रियासतों में होने वाले गुप्त पड़यन्त्रों और हत्याकाण्डों के लिये यही लोग मुलभ अस्त्र हैं। इनकी इतनी पतित अवस्था हो गयी है कि न वे इससे मुक्त होने की छँदा ही करते हैं और नहीं हो सकते हैं क्योंकि परस्पर रियासतों में ही अपने गुलाम को मालिक बिना का नहीं दिक्कतों के हो पकड़वा लेते हैं। जो लोग रियासतों में से भाग कर अग्रेजी इलाके में चल जाते हैं वहाँ से चोरी आदि के अपराध लगाकर उन्हें पकड़वा कर वापस बुलवा लिया जाता है। अग्रेज अधिकारी वाम्तविक मिथनि में ग्राँख यीच कर एकस्ट्रेडिशन प्रत्यावर्तन कानून की आड में उन्हें उनके स्वामियों के हवाले कर देते हैं। वहा वापस पहुँचने पर उनके साथ जो व्यवहार होता है वह पाठक स्वयं जान ले। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि यह समुदाय स्वामिमान से सर्वथा ही हाथ धो बैठा है। निराश होकर ये लोग यह समझ बैठे हैं कि हम उसी हेतु उत्पन्न हुए हैं।

इधर इनके स्वामियों का ध्यान अपने स्वार्थ निकलते रहने में उनकी दीन-हीन दशा की ओर बहुत कम जाता है। क्या हुआ यदि राजपूत जागीरदारों में से कुछ नई रोगनी के जागीरदार जवानी जमा सर्व बतलाते या कुप्रथाओं पर नेम देते हुए इस ‘दास प्रया’ की बुराईयाँ बता देवें।

जैसा कि जयपुर राज्य के मुप्रसिद्ध विद्वान् जागीरदार ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत थे। ए खाररियावास ने इस कलकित दास-प्रथा का घोर विरोध करते कहा है —

“दहेज के साथ दास-दामियाँ भी दी जाय, इस प्रथा से लाभ तो केवल नौकरी या सुभिता का है, परन्तु हानियाँ बहुत हैं। दास दासियों को रखना और उन पर यहाँ तक अधिकार रखना कि उनको दायजे में दे देना एक तरह की गुलाम-प्रथा है। अब गुलाम-प्रथा लगभग समस्त सासार से उठती चली जा रही है। जो घर में दूसरों को गुलाम रखता है, उसको भी दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है।”*

इस दरोगा जाति का भाग्य अब आशातीत प्रतीत होता है, क्योंकि नेपाल सम्राट् ने जिस प्रकार दाम प्रथा का अन्त कर दिया है वैसे ही राजस्थान में भी कुछ नरेश अग्रसर हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य में दास-प्रथा हटाने के लिए कानून बनाये हैं। जोधपुर के नवयुवक महाराजा द्वारा जोधपुर स्टेंट कॉन्सिल के सन् 1916 ई० की 11 जुलाई के प्रस्ताव सं० 11 के रूप में एक राजनियम बना दिया गया था, जिसके अनुसार ठाकुर अपने यहाँ के दरोगों (रावणों) और उनकी मित्रयों एवं सन्तान से उनकी इच्छा के विरुद्ध न केवल काम हो ले सकते थे, वरन् जबरदस्ती दहेज तक में दे सकते थे, वह बन्धन अब किसी जागीरदार द्वारा इस समुदाय पर बलात् नहीं लगाये जा सकते हैं। अपनों इच्छा से दरोगे जागीरदार के यहाँ रह तो सकते हैं। ऐसी आज्ञा के लिए जोधपुर महाराजा धन्यवाद और कृतज्ञता के पात्र है। साथ ही आशा की जाती है कि राजस्थान के अन्य राजा, महाराजा व उदार जागीरदार भी समय की गति को देखते हुए अपने यहाँ की इस निन्दनीय दासप्रथा को उठा कर प्रजा के एक समूह को सुखी व स्वच्छन्दतापूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान करेंगे।

*देखो राजस्थान क्षत्रिय महासभा, अजमेर मुख्य पत्र, मार्ग 3, अंक 8, पृष्ठ 3, सं 1926 ई०

उपसंहार

सारांश यह है कि राजस्थान की सामाजिक स्थिति अभी परिवर्तन के रही है। कई शक्तियां और कई प्रभाव भिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की विटिंग भारत की राजनीतिक स्थिति है। राजनीतिक जागृति के लिए तो यहा सवाल ही नहीं उठ सकता क्योंकि यहा अनेक रियासतों में आज भी याने और तहसीले नीलाम किये जाते हैं। राज्य कमचारियों को जबान ही यहा कानून है। चाहे जिम मनुष्य को चाहे जिम अपराध में चाहे जैसी मजा दे देना यहाँ माधारण बात है। ऐसे ही महाराजा या उनके मन्त्री वोई आज्ञा निकाल दे, जिसी बात को जुर्म करार दे देवे, उसकी मजा तय कर दे और फिसी की न्यायाधीश बना दे, बिना मुकदमा चलाये किसी को देश निकाला या कैद वी मजा देवे—यह उनके बायें हाथ का खेल है। यहाँ न तो ध्यापावाना है और न समाचार-पत्र न तो इन्हे चलाने की आज्ञा आसानी से दी जाती है और न स्पष्ट बोलने व लिखने की छूट है। माधारण राजनीतिक वभार्ए करने तक को म्वतन्त्रता नहीं है। न यहा कोई निषिद्ध कानून है। जहाँ है वहाँ उनको बनाने में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है जिन पर वे लागू किये जाते हैं। यह भी नहीं कि उन कानूनों का मवेद द्वारा समान रूप से पालन होता हो। तर्क में, न्याय से और कानून से मिठ वानें मत्ता और धन के लिहाज से भूझी करार दे दी जाती है। प्रायः ऐपा देखा जाता है कि कभी कभी जिन बातों पर प्रजाजन को कठोर दण्ड दिया जाता है, उन्हीं में राज्य कमचारियों को मारू छोड़ दिया जाता है। उनकी सिफारीश से ही न्यायालयों के फंसले बदल दिये जाते हैं। लोग जान वूझ का अज्ञानान्धकार में ढूबे हुए हैं और अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की ओर से सर्वथा अनजान रखते जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार आदि को समझते भी हैं वे शासकों के भय से चुप हो रहते हैं।'

1. यह लेख सन् 1929 में तिला गया था। तब लेखक थी जगदीशसिंहजी गहलोत मारवाड़ राज्य की सेवा में थे। अतः राजस्थान और विशेषकर भारत में चलने वाले राजनीतिक आनंदोलनों के पक्ष में वह स्पष्ट रूप से नहीं लिख सके लेकिन इन पक्षियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह इन राजनीतिक आनंदोलनों के पक्ष में थे तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सहानुभूति रखते थे। इसी कारण राजस्थान के मुप्रसिद्ध कारप्रेसी कार्यकर्ता एवं स्वतन्त्रता सेनानी विजयसिंह परिक, जयनारायण व्यास, ग्रन्चलेश्वर प्रसाद शर्मा, चांदकरण शारदा, भवरलाल सरीक आदि उनके प्रभिन्न मित्र ये और उनसे राजनीतिक पतिविधियों के बारे में वरावर विचार विमर्श करते रहते थे।

अब लोगों में धीरे धीरे आत्म-वल बढ़ रहा है। वे अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं। वे अपने अधिकारों के लिए गिरफ्तार होना, जेल जाना, दण्ड पाना कोई नई बात नहीं समझने लगे हैं क्योंकि उनके प्राचीन इतिहासों में महान् पुरुषों का भी अन्यायी द्वारा दण्डित होने के उल्लेख मिलते हैं। रामदून हनुमान का राक्षस पुरी (लका) में सीता देवी को खोज में जाना और वहाँ गिरफ्तार होना तथा राक्षसों (दुष्टों) द्वारा अनेक प्रकार से दण्डित होना, यही बताता है कि अन्यायियों द्वारा धर्मात्मा पुरुषों को दण्ड दिया ही जाता है। श्री कृष्ण के पिता और माता को अन्यायी कस द्वारा वर्षों जेल में रखा गया और वही श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ। यदि पाप के कारण या ससार के अपकार के कारण जेल जाना हो तो वह न कर्त है, किन्तु जो परोपकार के निए और धर्म, देश व जाति के लिए जेल जाते हैं, उनको वह स्वर्ग के समान ही प्रतीत होता है और वे शान्त चित्त से उसको तपोभूमि मानते हैं, जैसा कि अग्रेज कवि ने कहा है —

“पृथर की दीवारों से कैदखाना नहो बनता है। लोहे के सीकचों से केवल पीजरा बनता है। लेकिन दोष रहित तथा शान्ति प्रिय व्यक्ति बन्दीगृह को भी तपोभूमि मानते हैं।”

नि सन्देह स्वदेश - प्रेम प्राणी का स्वभाविक धर्म है। यदि उसकी रक्षा के लिए शरीर को किसी प्रकार का दुख हो तो वह दुख नहीं, किन्तु सच्चा मुख है।

सामान्यतः जनसाधारण की पहुँच अपने राजाओं तक नहीं होती है जिससे कि वे अपनी दुख की कहानी अपने भाग्य विधाताओं को सुना सक। इसका कारण यह है कि बहुधा नरेशों के पास स्वार्थी व खुशामदी कर्मचारा रहते हैं जो प्रजा के विषय में इस प्रकार की भावनाएँ उत्तरदाता रहते हैं कि यदि जन साधारण की वुगई स्वयं मुनने लगे तो शासन व्यवस्था न चल सकेगी और उनका रोब दाव प्रजा पर कम हो जायेगा। परन्तु यह धारणा व्यर्थ है, क्योंकि भूतपूर्व शान्तियर महाराजा तथा वर्तमान जोधपुर, भालावाड़ आदि के कई नरेश अन्य बातों में चाहे जैसे हो, किन्तु कर्मचारियों के विस्तृद्व प्रजा की शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा करने से उनके मार्ग में कोई कठिनाई कभी आतो नहीं देखो सुना गया। कोटा, भालावाड़, प्रतापगढ़ और कई अन्य उत्तरति प्रिय राज्यों के नरेश मर्व-साधारण से भी मिलते जुनते हैं, फिर भी शासन-सत्ता व मर्यादा को कोई

हानि नहीं पहुँचती है वल्कि यह देखा जाता है कि राजा व प्रजा में उत्तरो-तर प्रेम बढ़ता जाता है और अधिकारियों के अन्याय घटने लगते हैं।

इस प्रकार आज बीसवीं शताब्दी में भी अनेक रियासते सोलडी सदी के समान ही पिछड़ी हुई है। प्रजा अन्ध-विश्वास के कारण एक लाठी से हाँकी जाती है और वह इसी में सन्तोष मानती है कि विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य अच्छा है परन्तु समय की गति बतला रही है कि प्रजा में जागृति जिस प्रकार आरम्भ हुई है, वह बन्द नहीं हो सकती है। मध्य भारत के प्रेस्ट टू गवर्नर जनरल वेविल की यही भविष्यवाणी सत्य निकलेगी, कि—

“अब रियासते अलग नहीं रह सकती है वल्कि (विटिश भारत के) नवीन सुधारों का उभपर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी तक तो रियासतों के काम पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और वह जैसा था मान लिया गया, परन्तु अब वह समय समीप आ रहा है जब प्रत्येक शासक को अपने काम का यथोचित कारण प्रजा वो बताना होगा। उसको चाहिये कि वह उनका नेता बने, उन्हें सुधार कर रास्ते पर ले जाने, धीरे धीरे उनको अपना अधिक विश्वास पात्र बताये और काम करने में उनको अपने साथ रखें।”

अब बनेल वेविल की भविष्यवाणी के पूरे लक्षण दिख रहे हैं। राजस्थान के कुछ नरेश प्रजा के कट्ट निवारण की ओर ध्यान देने लग गये हैं। वे यह समझ गये हैं कि राजा का कल्याण प्रजा की भलाई में ही है। प्रत्येक शासक को शासन-कार्य हाथ में लेते समय वाईसराय लार्ड रीडिंग के ये अनमोल शब्द अपने हूँदिय में रख लेना चाहिये जो उन्होंने बत्तमान जोधपुर नरेश को पूर्ण राज्याधिकार संपत्ते समय कहे थे—

“शासन कार्य अब जैमा कठिन और जटिल हो गया है बैसा कभी नहीं था। महायुद्ध के पश्चात् से समार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पुरानी प्रथाओं की कड़ी आलोचना हो रही है। इस प्रकार को अशान्ति शुभ लक्षण ही है पर परिवर्तन का यह समय शासकों के लिए बड़ा कठिन है। जितने में लोगों के पूर्वे पुरुष सन्तुष्ट थे उतने में अब लोग सन्तुष्ट नहीं होते हैं। आपके मरदार और प्रजाजन भी बत्तमान युग की उम्रति की दीड़ में पीछे रहना पसन्द नहीं करेंगे, समय की गति से न तो आप ही पीछे रह सकेंगे। उनकी उच्चकालाओं पर ध्यान


देना ही उचित होगा । तरह तरह को कठिनाईयां उपस्थित होंगी अवश्य, लेकिन दूरदर्शिता, साहस और बुद्धिमत्ता से उनका सामना करने से वे अपने आप दूर हो जायेगी । यदि आप लोगों के हितों पर सदा हृषि रखेंगे और न्याय और सहानुभूति से राज्य करेंगे तो भविष्य में आपको जनता से कोई भय नहीं रहेगा ।"

अन्त में हमारा यह अनुमान है कि एक नए दिन राजस्थान फिर अपनी प्राचीन शान को प्राप्त होगा और इमके देशी नरेश महाराजा रामचन्द्र के सहश होगे, जिनके शामनवाल में प्रजा सब प्रकार में मुग्गी व सन्तुष्ट होगी, एवं राजा प्रजा में किसी की बोई शिकायत न रहेगी । इम अवस्था को उपस्थित करना राजा व प्रजा दोनों का ही कर्तव्य है, परन्तु इस सम्बन्ध में राजाओं का उत्तरदायित्व प्रजा को अपेक्षा अधिक है । वह दिन अब दूर नहीं है कि हम प्रजाजन उस अवसर से नाभ उठावेंगे ।'

"सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे मनु निरामया ।
मर्वे भद्राग्नि पश्यन्तु भा व शिचत् दुख भाग्भवेत् ॥"

1. लेखक को यह प्राशा थी कि शोध ही नरेशों की घटनाया में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जावेगा और जनता मुझे व समृद्ध हो जावेगी लेकिन राजाओं ने हवा के छल को नहीं पहचाना । अस्तु जनता व नरेशों के बोच काफी सघर्ष हुए और अन्त में, भारत के सन् 1947 में स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजाशाही समाप्त होकर रही । अब न तो राजा है और न साम्राज्य । लोकतन्त्र की स्थापना हो गई है और जनता समाजवादी समाज के निर्माण की ओर अप्रसर हो गई है । एक अहिंसात्मक फौति ने राजाओं और उनके साम्राज्यों को समाप्त कर दिया और अब एक और काँति समाजवादी समाज की स्थापना करके रहेगी ।








महाराणा प्रताप

ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଦେବୀଙ୍କିରାମ





मामन्त दुर्गादाम राठीड

बीकानेर नरेश — गंगासिंह, शार्दूलसिंह एवं करणसिंह






जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह




राजमहल — उदयपुर



लालगढ़ राजमहल — वीकानेर

उमेद भवन राजमहल — जोधपुर



राजमहल — जयपुर





हु गरपुर नरेण — लक्ष्मणसिंह

विजयसिंह पश्चिम
राजनीतिक एव नागिकारी नेता



वीर एवं धार्मिक महापुरुषों की तियाका,
मङ्डोर




किसान वालों




सिंधी समाजान



ब्राह्मण






दयगर



गाढ़ा



राजपूत सामन्त — एक गोली के साथ





साकी साधु



श्रलखधारी — जोगी



जैन साधु

मति — जैन साधु



जैन साधु




लोहाणा

सारणी



विमाती



भील




महाराष्ट्र



महाराष्ट्र



भील स्त्री





बणजारा



कलाल



दमासी





जाट




माली

कनकटा साधु — नाथ

भस्त्रेवानि परीर

राजसूता की मञ्जिल





दाढ़पची साथु



राठोड़ राजपूत



भाट



महीर



नाई



वीहरा — मुमलमान




पात्र




पात्र

सोनार



कलवी





जोगी



तेज़म

यापो मे प्रमने चली



शीतला का पूजन





चम्बा कानता महिन य




ग्रन्थो पर चित्रकारी करती महिनाय




मेघवाल




वानवेनिया



विश्वासोदै महिला



मेघवाल स्त्री




पानी के इन्तजार में




दो बादक

परिहारी




एक राजकीय जनूम





द्वोला मारु



मुगल मूर्ति, चौहटरा



राग रागिनी — किमतगढ़ धैलो

